[1]राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001

(2002 का अधिनियम संख्यांक 16)

{राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 3 अक्टूबर, 2002 को प्राप्त हुई}

राजस्थान राज्य में सहकारी सोसाइटियों से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :–

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और प्रसार –

(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 2001 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना[2] द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषायें. –

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में, –

[3]{(क) "शीर्ष सहकारी बैंक" से ऐसी शीर्ष सोसाइटी अभिप्रेत है जो राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों का परिसंघीय निकाय है और बैंककारी के व्यवसाय में लगी हुई है;}

[4]{(कक)} "शीर्ष सोसाइटी" से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जिसका प्रमुख उद्देश्य उससे संबद्ध अन्य सोसाइटियों के कार्य संचालन के लिए सुविधाएं देना है और जिसके कार्यक्षेत्र का प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है;

---

[1] अधिसूचना सं. प.2(21) विधिध 2/2001 दिनांक 11.11.2002 राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(क) दिनांक 11.11. 2002 पृष्ठ 27(1) से 27(96) में प्रकाशित और शुद्धि पत्र सं. प. 2(21) विधिध 2/2001 दिनांक 16.11.2002 द्वारा शुद्ध किया गया, राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4(क) दिनांक 18.11.2002 में प्रकाशित।

[2] अधिसूचना सं. एफ. 12(15) कोप./2000 दिनांक 13.11.2002 द्वारा 14.11.2002 से प्रभावी, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(।।) दिनांक 13.11.2002, पृष्ठ 433 में प्रकाशित।

[3] 2010 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा जोड़ा गया (16.10.2009 से प्रभावी)।

[4] 2010 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा पुनः संख्यांकित किया गया। (16.10.2009 से प्रभावी)।

(ख) "सहकारी सोसाइटी का कार्यक्षेत्र" से उपविधियों में यथाविनिर्दिष्ट ऐसा भौगोलिक क्षेत्र अभिप्रेत है जिस तक सोसाइटी की सदस्यता और कार्यकलाप सधारणतः सीमित हैं;

(ग) "उपविधियाँ" से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई और तत्समय प्रवृत्त किसी सोसाइटी की उपविधियाँ अभिप्रेत हैं और इनके अन्तर्गत ऐसी उपविधियों के रजिस्ट्रीकृत संशोधन भी हैं;

[1](घ) "केन्द्रीय सोसाइटी" से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जिसका कार्यक्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित है और जिसका अपने मुख्य उद्देश्यों में, प्रमुख उद्देश्यों का संप्रवर्तन करना और उससे संबद्ध अन्य सोसाइटियों के प्रवर्तन के लिए सुविधाओं का उपबंध करना है और जिसके कम से कम पांच सदस्य स्वयं सोसाइटियाँ हैं;

{(घक) "केन्द्रीय सहकारी बैंक" से ऐसी केन्द्रीय सोसाइटी अभिप्रेत है जिसके सदस्य प्राथमिक कृषि साख सोसाइटियां हैं और जो बैंककारी के व्यवसाय में लगी हुई हैं;}

(ङ) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" से ऐसा व्यक्ति, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाये, अभिप्रेत है जिसे समिति के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशों के अध्यधीन रहते हुए सोसाइटी का प्रबंध सौंपा जाता है।

(च) "प्रमुख उद्देश्य" से किसी सहकारी सोसाइटी के संबंध में, सोसाइटी के ऐसे मुख्य उद्देश्य अभिप्रेत हैं जिनके लिए उसका गठन किया गया है; और जो नियमों के अनुसार उसके वर्गीकरण के आधार हैं;

(छ) "कलक्टर" से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 20 के अधीन नियुक्त किसी जिले का कलक्टर अभिप्रेत है;

(ज) "समिति" से किसी सहकारी सोसाइटी का ऐसा शासी निकाय, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाये, अभिप्रेत है जिसे सोइटी के कार्यकलापों का प्रबंध सौंपा जाता है;

(झ) "सहकारी सोसाइटी" या "सोसाइटी" से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई सोसाइटी अभिप्रेत है;

(ञ) "परिसीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी" से ऐसी सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है जिसमें सोसाइटी के परिसमापन की दशा में, उसके ऋणों के लिए उसके सदस्यों का दायित्व उसकी उपविधियों द्वारा निम्नलिखित तक परिसीमित है :–

---

[1] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा प्रतिस्थापित (4.4.2016 से प्रभावी)।

(i) ऐसी रकम तक, यदि कोई हो, जो उनमें से प्रत्येक द्वारा धारित शेयरों पर असंदत्त है, और

(ii) ऐसी रकम तक, जो सदस्यों द्वारा अभिदत्त शेयर पँजी की रकम की पाँच गुनी से अधिक न हो और जिसका उनमें से प्रत्येक सोसाइटी की आस्तियों के प्रति अभिदाय करने के लिए वचन दें;

(ट) "अपरिसीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी" से ऐसी सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है जिसके सदस्य उसके परिसमापन की दशा में, उसकी बाध्यताओं के लिए और उनके संबंध में और सोसाइटी की आस्तियों में किसी भी कमी के प्रति अभिदाय करने के लिये संयुक्ततः और पृथक्तः दायी हैं;

(ठ) "कार्यपालक अधिकारी" से ऐसा अधिकारी, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाये, अभिप्रेत है जो किसी सोसाइटी के कार्यकलापों के प्रबंध में समिति के अधीक्षण नियंत्रण एवं निदेशों के अध्यधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता के लिए धारा 29 की उप–धारा (2) के अधीन नियुक्त किया जाता है;

(ड) "कुटुम्ब" से पति और पत्नि और उन पर आश्रित सन्तानें और पति की विधवा माता, जो उन पर आश्रित हो, से मिलकर बनने वाला कुटुम्ब अभिप्रेत है;

(ढ) "वित्तीय बैंक" से तात्पर्य ऐसी सहकारी सोसाइटी से है, जिसका मुख्य उद्देश्य अन्य संस्थाओं को धन उधार देना है तथा जिसमें भूमि विकास बैंक सम्मिलित है;

(ण) "सरकार" से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(त) "सदस्य" से किसी सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण्रा के लिए आवेदन करने में सम्मिलित कोई व्यक्ति, और ऐसे रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् इस अधिनियम और नियमों तथा उपविधियों के अनुसार सदस्य बनाया जाने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई नाममात्र का और सहयुक्त सदस्य भी है;

[1]{(तक) "राष्ट्रीय बैंक" से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 61) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अभिप्रेत है;}

[1] 2010 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा जोड़ा गया (16.10.2009 से प्रभावी)।

[1]{(तख) "पदाधिकारी" से, किसी सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अभिप्रेत है और इसमें किसी सहकारी सोसाइटी की समिति द्वारा निर्वाचित किया जाने वाला कोई भी अन्य व्यक्ति सम्मिलित है;}

(थ) "अधिकारी" से किसी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रशासक, समापक या कोई सदस्य और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाये, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत किसी सहकारी सोसाइटी के कारबार के संबंध में निदेश देने के लिए नियमों और उपविधियों के अधीन सशक्त कोई अन्य व्यक्ति भी है;

[2]{(थक) "प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी" से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 5 के खण्ड (गग iv) के अधीन यथा परिभाषित और इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है;}

[3](द) "प्राथमिक सोसाइटी" ये ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जो न तो शीर्ष सोसाइटी है न केन्द्रीय सोसाइटी और जो प्रमुख रूप से सदस्यों के रूप में व्यष्टियों द्वारा गठित हो;

(ध) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(न) "रजिस्ट्रार" से इस अधिनियम के अधीन सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत रजिस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति भी है जब वह रजिस्ट्रार की समस्त या उनमें से किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग करता है;

[2]{(नक) "भारतीय रिजर्व बैंक" से भारतीय बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है;}

(प) "राजस्व अपील प्राधिकारी" से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 20–क के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में नियुक्त या पदाभिहित अधिकारी अभिप्रेत है;

(फ) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;

(ब) "विशेष संकल्प" से किसी सोसाइटी के साधारण निकाय का ऐसा संकल्प अभिप्रेत है जिसे, मत देने का अधिकार रखने वाले सदस्यों के पचास प्रतिशत से अधिक

---

[1] 2013 का अधिनियम संख्यांक 17 द्वारा अन्तःस्थापित। (24.4.2013 से प्रभावी) ।

[2] 2010 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा जोड़ा गया (16.10.2009 से प्रभावी)।

[3] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा प्रतिस्थापित (4.4.2016 से प्रभावी)

और बैठक, जिसमें उसे पारित किया गया है, में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो–तिहाई से अन्यून सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त है;

(भ) "स्वसाहाय्य समूह" से व्यक्तियों का उनके उपार्जन से अल्प रकम की बचत करने के लिए और उसके सदस्यों को ऐसे निबंधनोंपर, जो परस्पर करार पाये जायें, उधार दिये जाने हेतु उधार लेने के लिए भी स्वेच्छा से बनाया गया सजातीय समूह अभिप्रेत है;

[1]{(भक) "लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी" से या तो शीर्ष स्तर पर, केन्द्रीय स्तर पर या प्राथमिक स्तर पर लघु अवधि सहकारी साख व्यवसाय में लगी हुई कोई सोसाइटी अभिप्रेत है और इसमें शीर्ष सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी सम्मिलित है;}

(म) "अधिकरण" से धारा 105 के अधीन गठित अधिकरण अभिप्रेत है;

(य) "कमजोर वर्ग" से ऐसे भूमिहीन कृषि–श्रमिक, ग्रामीण कारीगर, सीमान्त कृषक, लघु कृषक और आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो राज्य सरकार द्वारा, उनकी जोत के आकार, आय और ऐसे विभिन्न इलाकों को, जिनमें राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम सं. 11) के अधीन अधिकतम सीमा अवधारित करने के प्रयोजनार्थ, राज्य को विभाजित किया जाता है, ध्यान में रखते हुए राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें;

(र) "वर्ष" से बारह मास की ऐसी कालावधि अभिप्रेत है जो किसी सहकारी सोसाइटी के लेखे रखने के लिए विहित की जाये।

अध्याय 2

निगमन

3. सहकारी आन्दोलन की अभिवृद्धि –

(1) सरकार की यह नीति होगी कि राज्य में सहकारी आंदोलन को प्रोत्साहित और प्रोन्नत किया जाये और इस दिशा में ऐसे कदम उठाये जायें जो आवश्यक या वांछनीय हों।

[1] 2010 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा जोड़ा गया (16.10.2009 से प्रभावी)।

4. रजिस्ट्रार –

(1) सरकार किसी व्यक्ति को राज्य के लिए सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी तथा उसकी सहायता करने के लिए अन्य व्यक्ति नियुक्त कर सकेगी।

(2) सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें वह अधिरोपित करना उचित समझे, रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए नियुक्त किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन की रजिस्ट्रार की समस्त या कोई भी शक्तियां प्रदत्त कर सकेगी, या किसी भी सोसाइटी के किसी भी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी। सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश भी दे सकेगी कि इस अधिनियम या नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य समस्त या किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग रजिस्ट्रार या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, और ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अध्यधीन रहते हुए किया जा सकेगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे रजिस्ट्रार की शक्तियां प्रदत्त या प्रत्यायोजित की गई हैं, रजिस्ट्रार के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

5. सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन –

(1) जहां, –

(क) कम से कम पन्द्रह व्यक्ति, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति भिन्न कुटुम्ब का सदस्य हो, अनुसूची–क में यथाविनिर्दिष्ट सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए कतिपय सहकारी क्रियाकलापों को जिम्मा लेने के उद्देश्यों से सहकारी सोसाइटी बनाने का आशय रखते हैं; या

(ख) कम से कम पाँच सहकारी सोसाइटियों के उद्देश्यों को सुकर बनाने के उद्देश्य से अन्य सहकारी सोसाइटी बनाने का आशय रखती हैं,,

वहां वे ऐसी उपविधियां, जिन्हें वे अंगीकार करना चाहते हैं, संलग्न करते हुए रजिस्ट्रार को ऐसी रीति से आवेदन करेंगे जो विहित की जायेः

परन्तु न्यूनतम शेयर पँजी सोसाइटी के संबंधित वर्ग, जैसा कि नियमों के अधीन वर्गीकृत किया गया हो, के लिए विहित न्यूनतम शेयर पूँजी, यदि कोई हो, से कम नहीं होगी और सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य के लिए कम से कम एक शेयर धारित करना आवश्यक होगा।

(2) इस प्रकार संलग्न उपविधियां, अनुसूची 'ख' में विनिर्दिष्ट विषयों पर विनिर्दिष्ट होंगी और साधारणतः नियमों के यथाविहित, सोसाइटियों के वर्ग या उपवर्ग के व्यापक परिणामों के अनुरूप होंगी और जिनमें सोसाइटी का उसके प्रमुख उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र, सदस्यता, या कोई भी अन्य मानदण्ड, जो विहित किये जायें, के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किया जाना आशयित है।

(3) कोई सहकारी सोसाइटी परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व के साथ रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी और जहां कोई सोसाइटी परिसीमित दायित्व के साथ रजिस्ट्रीकृत की जाती है तो शब्द 'परिसीमित' या अंग्रेजी भाषा में इसका पर्यायवाची इसके नाम का अन्तिम शब्द होगाः

परन्तु किसी ऐसी सहकारी सोसाइटी का दायित्व, जिसकी सहकारी सोसाइटी सदस्य है, परिसीमित होगा।

[1]{(4) किसी भी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी या उसके परिसंघ या संगम (सिवाय उनके जिन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) के अधीन बैंक के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया गया है) को उसके रजिस्ट्रीकृत नाम में शब्द "बैंक" या शब्द "बैंक" के किसी भी अन्य व्युत्पन्न शब्द के साथ रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायेगा या वह अपने नाम के भाग के रूप में उसका उपयोग नहीं करेगाः

परन्तु जहां किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी या उसके परिसंघ या संगम को (सिवाय उनके जिन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) के अधीन बैंक के रूप में कार्य करने के अनुज्ञात किया गया है) राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (2009 का अध्यादेश संत्र 7) के प्रारंभ से पूर्व उसके रजिस्ट्रीकृत नाम में शब्द "बैंक" या उसके व्युत्पन्न शब्दों में से किसी के साथ रजिस्ट्रीकृत किया गया है, वहां वह ऐसे प्रारंभ की तारीख से तीन मास के भीतर–भीतर अपना नाम परिवर्तित करेगा ताकि धारा 9 के उपबंधों के अनुसार उसके नाम से शब्द 'बैंक' या उसका व्युत्पन्न शब्द, यदि कोई हो, हटाया जा सके :

---

[1] 2010 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा जोड़ा गया (16.10.2009 से प्रभावी)।

परन्तु यह और कि जहां पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट कोई सोसाइटी उक्त परन्तुक के उपबंधों का, उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर–भीतर अनुपालन करने में विफल रहती है, वहां रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी के परिसमापन का आदेश करेगा।}

6. रजिस्ट्रीकरण –

(1) यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है –

(क) कि प्रस्तावित सोसाइटी उसके प्रस्तावित कार्यक्षेत्र में सुस्थ कारबार की अपेक्षाओं का पालन करती है;

(ख) कि आवेदन इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों का पालन करता है;

(ग) कि प्रस्तावित उपविधियां इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं हैं; और

(घ) कि प्रस्तावित सोसाइटी के उद्देश्य सामाजिक न्याय, सहकारिता और लोक सदाचार के सिद्धांतों से असंगत नहीं हैं और प्रदेश की विधियों के अल्पीकरण में नहीं हैं,

तो वह, आवेदन के प्रस्तुत किये जाने से साठ दिन के भीतर–भीतर यथाविहित वर्ग या उपवर्ग के अधीन इसकी उपविधियों सहित सहकारी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत करेगा और अपने हस्ताक्षर और मुद्रा से उसका प्रमाण पत्र जारी करेगा जो इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगा कि सहकारी सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत है, जब तक कि यह साबित नहीं कर दिया जाये कि ऐसा रजिस्ट्रीकरण रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रद्द कर दिया गया है।

(2) यदि रजिस्ट्रार यह पाता है कि उप–धारा (1) में अधिकथित शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया गया है तो वह, ऐसे आवेदकों को, जो विहित किये जायें, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, आवेदन के प्रस्तुत किये जाने से साठ दिन के भीतर–भीतर नामंजूरी के आदेश से, उसके कारणों सहित, संसूचित करेगा।

(3) यदि उप–धारा (2) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर–भीतर किसी नामंजूरी से संसूचित नहीं किया जाता है तो आवेदक ऐसी कालावधि की समाप्ति से तीस दिन के भीतर–भीतर उनके आवेदन पर विनिश्चय के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान को, जहां रजिस्ट्रीरकरण प्राधिकारी उसका अधीनस्थ है और सरकार को, जहां रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान स्वयं रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी है, समावेदन कर सकेंगे और

रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी, राजस्थान या, यथास्थिति, सरकार आवेदन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर–भीतर इसका विनिश्चय करेगी और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवश्यक और निश्चायक निदेश जारी करेगी, जिसमें विफल रहने पर सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत की हुई समझी जायेगी।

7. सहकारी सोसाइटियों का निगमित निकाय होना –

रजिस्ट्रीकरण हो जाने से सहकारी सोसाइटी उस नाम से, जिससे उसका रजिस्ट्रीकरण किया गया है, निगमित निकाय बन जायेगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मोहर होगी तथा जिसे सम्पत्ति धारण करने, संविदा करने, वाद तथा अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित करने और उनका प्रतिवाद करने की तथा जिन प्रयोजनों के लिए वह गठित की गई थी, उनके लिए आवश्यक सभी कार्य करने की शक्ति होगी।

8. उपविधियाँ –

(1) इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के कृत्य इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत उपविधियों के सैट द्वारा विनियमित किये जायेंगे, जिसकी विषयवस्तु अनुसूची–ख के रूप में संलग्न है और उनके कोई भी संशोधन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक ऐसा संशोधन रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत न कर लिया गया हो।

(2) किसी सहकारी सोसाइटी की उपविधियों का कोई संशोधन, ऐसे दिन से प्रवृत्त होगा जिसको उसे रजिस्ट्रीकृत किया गया है, जब तक कि उसमें किसी विशिष्ट दिन को उसका प्रवर्तन में आना अभिव्यक्त नहीं किया जाये।

9. सहकारी सोसाइटी का नाम परिवर्तन –

(1) जहां कोई सहकारी सोसाइटी अपने साधारण निकाय में पारित विशेष संकल्प द्वारा अपना नाम परिवर्तन करने का विनिश्चय कर लेने के पश्चात् रजिस्ट्रार को आवेदन करती है, वहां रजिस्ट्रार, इस आशय का एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करवायेगा तथा ऐसे प्रकाशन के एक माह की अवधि के भीतर–भीतर प्राप्त आपत्तियों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् सहकारी सोसाइटियों के रजिस्टर में पूर्ववर्ती नाम के स्थान पर नया नाम प्रविष्ट करेगा और रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र को तदनुसार संशोधित करेगा।

(2) किसी सहकारी सोसाइटी के नाम परिवर्तन से सहकारी सोसाइटी के अधिकारों या बाध्यताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या उसके विरूद्ध की गयी कोई भी

विधिक कार्यवाहियां त्रुटिपूर्ण नहीं हो जायेंगी, और कोई भी विधिक कार्यवाहियां, जो सोसाइटी द्वारा या उसके विरूद्ध उसके पूर्ववर्ती नाम से चालू हों या प्रारंभ की गई हों, उसके नये नाम से चालू रखी या प्रारंभ की जा सकेंगी।

10. उपविधियों का संशोधन –

(1) किसी सोसाइटी की उपविधियों के संशोधन के लिए प्रस्ताव, सोसाइटी द्वारा उसके साधारण निकाय की बैठक में विशेष संकल्प द्वारा उसे पारित कर दिये जाने के पश्चात्, रजिस्ट्रार को ऐसी रीति से अग्रेषित किया जायेगा जो विहित की जाये और यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि प्रस्तावित संशोधन ऐसी अपेक्षाओं की पूर्ति करता है जो धारा 6 के अधीन उपविधियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक है तो, वह संशोधन का रजिस्ट्रीरकण करेगा और प्रस्तुत किये जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर–भीतर उसका प्रमाणपत्र जारी करेगा। रजिस्ट्रार द्वारा इस प्रकार जारी, हस्ताक्षरित और मुद्रांकित किया गया प्रमाणपत्र इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगा कि संशोधन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है:

[1]{परन्तु कोई भी सोसाइटी उसकी उपविधियों में ऐसा कोई संशोधन पारित नहीं करेगी, जो सोसाइटियों के वर्ग या उपवर्ग, जिसके अधीन सोसाइटी मूलतः रजिस्ट्रीकृत थी, की उपविधियों के अनुकूल न हो।}

(2) यदि रजिस्ट्रार को यह प्रतीत हो कि प्रस्तावित संशोधन ऐसी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है जो उपविधियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक है तो वह उस पर अपनी टिप्पणियों सहित, उसके प्रस्तुत किये जाने के साठ दिन के भीतर–भीतर उस पर पुनर्विचार करने के लिए उसे सोसाइटी को वापस भेजेगा।

(3) जहां सोसाइटी उप–धारा (2) के अधीन यथा–अपेक्षित पुनर्विचार के पश्चात्, प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करे तो रजिस्ट्रार प्रस्तावित संशोधन कर साठ दिन के भीतर–भीतर रजिस्ट्रीकरण करेगा, यदि उसका उपविधियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक अपेक्षाओं की पूर्ति से समाधान हो जाता है या अन्यथा नामंजूरी के अपने आदेश से सोसाइटी को संसूचित करेगा।

(4) यदि कोई नामंजूरी उप–धारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर–भीतर संसूचित नहीं की जाती है तो सोसाइटी प्रस्तावित संशोधन पर विनिश्चय के लिए ऐसी कालावधि की समाप्ति से तीस दिन के भीतर–भीतर रजिस्ट्रार, सहकारी

---

[1] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा जोड़ा गया (04.04.2016 से प्रभावी)।

सोसाइटी, राजस्थान को, जहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी उसका अधीनस्थ है और सरकार को, जहां रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान स्वयं रजिस्ट्रीरकण प्राधिकारी है, समावेदन कर सकेगी और रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान या, यथास्थिति, सरकार ऐसे संशोधन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर–भीतर उस पर विनिश्चय करेगी और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवश्यक और निश्चायक निदेश जारी करेगी, जिसमें विफल रहने पर प्रस्तावित संशोधन रजिस्ट्रीकृत किया हुआ समझा जायेगा।

11. रजिस्ट्रार द्वारा उपविधियों में संशोधन के लिये प्रस्ताव –

(1) यदि किसी भी समय रजिस्ट्रार को यह प्रतीत होता है कि किसी सहकारी सोसाइटी या सोसाइटियों के किसी वर्ग की उपविधियों का संशोधन ऐसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग या उसके सदस्यों के व्यापक हित में या लोकहित में आवश्यक या वांछनीय है तो वह ऐसे संशोधन के प्रस्ताव सोसाइटी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को यह अपेक्षा करते हुए भेज सकेगा कि प्रस्ताव पर सोसाइटी के साधारण निकाय की बैठक में तीन मास की कालावधि के भीतर–भीतर विचार किया जाये।

(2) जहां सोसाइटी प्रस्तावित संशोधन पर अपनी सहमति से संसूचित करती है वहां रजिस्ट्रार संशोधन का रजिस्ट्रीकरण कर सकेगा और उसका प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा जो सोसाइटी की उपविधियों का भागरूप होगा।

(3) जहां सोसाइटी रजिस्ट्रार के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इन्कार करती है और रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा संशोधन किया जाना आवश्यक है, वहां वह ऐसे इन्कार की संसूचना की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर–भीतर प्रस्ताव को उसके कारणों सहित उस पर विचार के लिए राज्य सरकार को भेजेगा। राज्य सरकार, सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, रजिस्ट्रार को ऐसे उपान्तरणों सहित, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, संशोधन रजिस्ट्रीकृत करने का निदेश दे सकेगी और ऐसा संशोधन सोसाइटी और उसके सदस्यों पर बाध्यकारी होगा।

(4) जहां सोसाइटी उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर–भीतर रजिस्ट्रार के प्रस्तावों पर विनिश्चय करने में विफल रहती है वहां ऐसी कालावधि की समाप्ति पर प्रस्तावित संशोधन सोसाइटी द्वारा सम्यक् रूप से पारित किया हुआ समझा जायेगा और रजिस्ट्रार संशोधनों का रजिस्ट्रीकरण करेगा और इस आशय का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

12. सहकारी सोसाइटियों की आस्तियों और दायित्वों का अन्तरण, विभाजन और समामेलन –

(1) जहां कोई सहकारी सोसाइटी, कम से कम पन्द्रह दिन पहले रजिस्ट्रार को सूचित करने के पश्चात्, अपने साधारण निकाय की बैठक में पारित विशेष संकल्प द्वारा, –

(क) अपनी आस्तियों और दायित्वों का पूर्णतः या भागतः किसी अन्य सहकारी सोसाइटी को अंतरित करने, यदि अन्य सोसाइटी भी साधारण निकाय की बैठक में पारित विशेष संकल्प द्वारा ऐसे विनिश्चय का अनुमोदन कर देती है; या

(ख) अपने को दो या अधिक सहकारी सोसाइटियों में विभाजित करने; या

(ग) कोई नयी सहकारी सोसाइटी बनाने के लिए अन्य सोसाइटी में समामेलन करने, यदि अन्य सोसाइटी भी अपने साधारण निकाय की बैठक में पारित विशेष संकल्प द्वारा ऐसे विनिश्चय का अनुमोदन करती है,

का प्रस्ताव करती है तो ऐसा प्रस्ताव रजिस्ट्रार को ऐसी रीति से अग्रेषित किया जायेगा जो विहित की जाये और यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा प्रस्ताव सहकारी आंदोलन और लोकहित में है तो वह उसके प्रस्तुत किये जाने के साठ दिन के भीतर–भीतर प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा या अन्यथा उसे अपने संप्रेक्षणों सहित पुनर्विचार के लिए सोसाइटी को वापस भेजेगा।

(2) जहां सोसाइटी उप–धारा (1) के अधीन यथा–अपेक्षित पुनर्विचार के पश्चात्, प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करती है और रजिस्ट्रार, यदि उसकी राय में, ऐसा उपांतरित प्रस्ताव उसके संपेक्षणों में यथा–अभिव्यक्त अपेक्षाओं की पूर्ति करता है तो, प्रस्तुत किये जाने के साठ दिन के भीतर–भीतर उसका अनुमोदन करेगा या अन्यथा नामंजूरी के अपने आदेश से सोसाइटी को संसूचित करेगा।

(3) यदि उप–धारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर–भीतर सोसाइटी के प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो, सोसाइटी ऐसी कालावधि की समाप्ति से तीस दिन के भीतर–भीतर, अपने आवेदनों पर विनिश्चय के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान को, जहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी उसका अधीनस्थ है और सरकार को, जहां रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान या, यथास्थिति, सरकार, आवेदन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर–भीतर उस पर विनिश्चय करेगी और रजिस्ट्रीरकण प्राधिकारी

को आवश्यक और निश्चायक निदेश जारी करेगी जिसमें विफल रहने पर प्रस्ताव अनुमोदित हुआ समझा जायेगा।

(4) जहां सोसाइटी का प्रस्ताव रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है या अनुमोदित किया हुआ समझा जाता है वहां सोसाइटी उसकी सभी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करते हुए अपने सभी सदस्यों और लेनदारों को लिखित नोटिस देगी और किसी भी प्रतिकूल उपविधि या संविदा के होते हुए भी, किसी सदस्य या लेनदार को उस पर ऐसे नोटिस के तामील की तारीख से एक मास की कालावधि के दौरान अपने शेयर, निक्षेप या, यथास्थिति, उधार वापस लेने का विकल्प होगा।

(5) ऐसे किसी भी सदस्य या लेनदार के लिए, जो उप–धारा (4) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर–भीतर अपने विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, यह समझा जायेगा कि उसने संकल्प में अन्तर्विष्ट प्रस्तावों पर अनुमति दे दी है।

(6) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा इस धारा के अधीन पारित कोई संकल्प तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि –

(क) सभी सदस्यों और लेनदारों की उस पर अनुमति प्राप्त नहीं कर ली गई है; या

(ख) ऐसे सदस्यों और लेनदारों के सभी दावों, जो उप–धारा (4) में निर्दिष्ट विकल्प का उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर–भीतर प्रयोग करते हैं, का पूर्णतया चुकारा नहीं कर दिया गया है।

(7) जहां किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा इस धारा के अधीन पारित संकल्प में किन्हीं भी आस्तियों ओर दायित्वों का अंतरण अनतर्वलित है वहां संकल्प, तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई और आश्वासन के बिना अंतरिती में आस्तियों और दायित्वों को निहित करने का पर्याप्त हस्तांतरण होगा।

(8) इस धारा के अधीन किया गया समामेलन, विभाजन या अंतरण इस प्रकार समामेलित सोसाइटियों के या इस प्रकार विभाजित सोसाइटी के या अंतरिती के किन्हीं अधिकारों या दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा या उससे ऐसी कोई भी विधिक कार्यवाहियां त्रुटिपूर्ण नहीं होंगी जो समामेलित या विभाजित सोसाइटियों आ अन्तरिती द्वारा या उसके विरूद्ध चालू रखी जा सकती हों या प्रारंभ की जा सकती हों और तदनुसार ऐसी

विधिक कार्यवाहियां समामेलित सोसाइटी, विभाजित सोसाइटी या, यथास्थिति, अन्तरिती द्वारा या उसके विरूद्ध चालू रखी जा सकेंगी या प्रारंभ की जा सकेंगी।

13. रजिस्ट्रार द्वारा लोकहित इत्यादि में समामेलन, विभाजन और पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव –

(1) जहां रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में या सहकारी आंदोलन के हित में या किसी भी सहकारी सोसाइटी का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ यह आवश्यक है कि दो या अधिक सहकारी सोसाइटियों का समामेलन किया जाना चाहिए या किसी सहकारी सोसाइटी का पुनर्गठन किया जाना चाहिए या दो या अधिक सोसाइटियां बनाने के लिए विभाजन किया जाना चाहिए वहां धारा 12 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, वह ऐसे गठन, सम्पत्ति के अधिकारों, हितों और प्राधिकारों और ऐसे दायित्वों, ऋणों और बाध्यताओं के साथ, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, इन सोसाइटियों का एकल सोसाइटी में या सोसाइटियों में समामेलन, विभाजन या पुनर्गठन का प्रस्ताव करेगा। रजिस्ट्रार प्रस्तावों को सोसाइटी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सोसाइटी के साधारण निकाय की बैठक में तीन मास की कालावधि के भीतर–भीतर प्रस्तावों पर विचार किये जाने और विनिश्चत किये जाने की अपेक्षा करते हुए भेजेगा।

(2) यदि सोसाइटी उप–धारा (1) के अधीन किये गये प्रस्तावों पर अपनी सहमति संसूचित कर दे तो रजिस्ट्रार समामेलन, विभाजन या, यथास्थिति, पुनर्गठन के आदेश पारित करेगा।

(3) यदि उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर–भीतर सोसाइटी रजिस्ट्रार के प्रस्ताव पर कोई विनिश्चय करने में विफल रहती है तो प्रस्तावित समामेलन, पुनर्गठन या विभाजन ऐसी कालावधि की समाप्ति पर, सोसाइटी द्वारा सहमति प्राप्त हुआ समझा जायेगा और तदनुसार रजिस्ट्रार आवश्यक आदेश पारित करेगा।

(4) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य में कोई नयी सहकारी सोसाइटी गठित करने के प्रयोजनार्थ किसी सहकारी सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् सरकार की पूर्व अनुमति से विभाजित करने या पुनर्गठित करने की शक्तियां रजिस्ट्रार में निहित होंगी।

(5) इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा, जब जक कि

–

(क) प्रस्तावित आदेश के प्रारूप की प्रति संबंधित सोसाइटी या प्रत्येक सोसाइटी को नहीं भेज दी गई हो,

(ख) रजिस्ट्रार ने प्रारूप पर ऐसे किन्हीं भी सुझावों और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, जो उसे, या तो सोसाइटी से या उसके किसी भी सदस्य या सदस्यों के वर्ग से या किसी भी लेनदार या लेनदारों के वर्ग से ऐसी कालावधि के भीतर–भीतर जो रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त नियत की जाये, प्राप्त हों, विचार न कर लिया हो और उसमें ऐसे उपान्तरण न कर दिये हों जो उसे वांछनीय प्रतीत हों।

(6) उप–धारा (2) या (3) में निर्दिष्ट आदेश में ऐसे आनुषंगिक पारिणामिक और अनुपूरक उपबंध अन्तर्विष्ट हो सकेंगे जो रजिस्ट्रार की राय में समामेलन, विभाजन या पुनर्गठन को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

(7) समामेलित, विभाजित या पुनर्गठित की जाने वाली सोसाइटियों में से प्रत्येक सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य या लेनदार, जिसने समामेलन, विभाजन या पुनर्गठन का आदेश जारी होने पर, यदि वह सदस्य है तो, अपना शेयर या हित प्राप्त करने का और यदि वह लेनदार है तो, अपने ऋणों की तुष्टि में रकम प्राप्त करने का हकदार होगा।

(8) उप–धारा (2) या (3) के अधीन कोई आदेश जारी होने पर, धारा 12 की उप–धारा (7) और (8) में अन्तर्विष्ट उपबंध इस प्रकार समामेलित, विभाजित या पुनर्गठित सोसाइटी पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह उस धारा के अधीन समामेलित, विभाजित या पुनर्गठित हो, और समामेलित, विभाजित या पुनर्गठित सोसाइटी पर भी लागू होंगे।

14. कतिपय मामलों में सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का रद्दकरण –

(1) जहां किसी सहकारी सोसाइटी की सम्पूर्ण आस्तियां और दायित्व धारा 12 या 13 के उपबंधों के अनुसार किसी दूसरी सहकारी सोसाइटी को अन्तरित कर दिये जायें, वहां प्रथम उल्लिखित सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जायेगा और वह सोसाइटी विघटित की हुई समझी जायेगी और निगमित निकाय के रूप में उसका अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।

(2) जहां दो या अधिक सहकारी सोसाइटियां धारा 12 या 13 के उपबंधों के अनुसार किसी नयी सहकारी सोसाइटी में समामेलित हो जायें, वहां नयी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण हो जाने पर समामेलित सोसाइटियों में से प्रत्येक सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण

रद्द हो जायेगा और प्रत्येक सोसाइटी विघटित की हुई समझी जायेगी और निगमित निकाय के रूप में उसका अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।

(3) जहां कोई सहकारी सोसाइटी धारा 12 के उपबंधों के अनुसार अपने आपको दो या अधिक सोसाइटियों में विभाजित कर लेती है या धारा 13 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा विभाजित की जानी है वहां नयी सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण हो जाने पर उस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जायेगा और वह सोसाइटी विघटित की हुई समझी जायेगी तथा निगमित निकाय के रूप में उसका अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।

(4) जहां किसी सहकारी सोसाइटी के, जिसके संबंध में धारा 63 के अधीन कोई समापक नियुक्त किया गया हो, कार्यकलाप परिसमापित हो गए हों, वहां रजिस्ट्रार उस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का आदेश करेगा और वह सोसाइटी विघटित की हुई समझी जायेगी तथा रद्दकरण के ऐसे आदेश की तारीख से निगमित निकाय के रूप में उसका अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।

(5) जहां सरकार की जानकारी में यह आये कि कोई सहकारी सोसाइटी, जो धारा 6 की उप–धारा (3) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझ ली गई है, धारा 6 की उप–धारा (1) में यथा वर्णित रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करती है, तो वह, ऐसी सोसाइटी को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् रजिस्ट्रार को, ऐसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण विहित रीति से रद्द करने का निदेश दे सकेगी और ऐसे रद्दकरण के पश्चात् सोसाइटी का एक निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।

अध्याय 3

सहकारी सोसाइटियों के सदस्य और उनके अधिकार तथा दायित्व

15. सदस्यता –

(1) निम्नलिखित को किसी सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) भारत का कोई भी नागरिक जो, –

(i) 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है;

(ii) स्वस्थचित्त का है;

(iii) तत्समय प्रवृत्त और उस पर लागू किसी विधि द्वारा संविदा करने से निरर्हित नहीं है;

(iv) सोसाइटी की सेवाओं का उपयोग करने का इच्छुक है; और

(v) ऐसी सदस्यता से संबद्ध उत्तरदायित्वों और दायित्वों को स्वीकार करने के लिए तैयार है;

(ख) कोई भी अन्य सहकारी सोसाइटी;

(ग) राज्य सरकार; या

(घ) ऐसा कोई भी अन्य व्यक्ति, निकाय या स्थानीय प्राधिकारी, जो विहित किया जाये:

परन्तु कोई व्यष्टि भूमि विकास बैंक से भिन्न किसी वित्तीय बैंक या किसी ऐसे वर्ग की सहकारी सोसाइटी की सदस्यता का पात्र नहीं होगा, जो इस निमित्त विहित किया जाये:

परन्तु यह और कि किसी विद्यालय या महाविद्यालय के छात्रों के फायदे के लिए अनन्य रूप से बनाई गई किसी सोसाइटी में आयु संबंधी शर्त लागू नहीं होगी:

परन्तु यह भी कि ऐसी किसी सोसाइटी की, जो महिलाओं के फायदे के लिए अनन्य रूप से बनायी गयी हो, उपविधियां पुरूष व्यष्टियों की सदस्यता को निर्बंधित कर सकेंगी।

(2) किसी सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित होने के लिए आवेदन उस सहकारी सोसाइटी की समिति को किया जा सकेगा। ऐसी समिति आवेदन प्राप्ति के तीस दिन की कालावधि के भीतर–भीतर आवेदन पर विनिश्चय करेगी और अपने विनिश्चय से आवेदक को संसूचित करेगी और जहां आवेदन नामंजूर कर दिया जाये वहां उक्त कालावधि के भीतर–भीतर ऐसी नामंजूरी के कारणों से आवेदक को संसेचित करना भी समिति के लिए आवश्यक होगा।

(3) यदि समिति –

(i) सदस्य के रूप में सम्मिलित होने के आवेदन को नामंजूर करती है तो ऐसी नामंजूरी के विरूद्ध अपील रजिस्ट्रार को हो सकेगी जो उस सोसाइटी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् इस अधिनियम और नियमों तथा उपविधियों के उपबंधों के अनुसार आवेदन पर विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम तथा उस सोसाइटी पर आबद्धकर होगा;

(ii) उप–धारा (2) के अधीन अपना विनिश्चय या नामंजूरी के कारण उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर–भीतर संसूचित करने में विफल रहती है तो आवेदक ऐसे समय की समाप्ति से साठ दिन की कालावधि के भीतर–भीतर अपने आवेदन पर विनिश्चय के लिए रजिस्ट्रार को समावेदन कर सकेगा, जिसका निपटारा उसी रीति से किया जायेगा मानो वह खण्ड (i) के अधीन कोई अपील है।

(4) [1]{X X X}

16. सदस्यता की समाप्ति –

(1) कोई व्यक्ति, सोसाइटी की सदस्यता से अपना त्याग–पत्र देने पर उसकी स्वीकृति पर या उसकी मृत्यु पर, सदस्यता से हटाये जाने या निष्कासन पर या इस अधिनियम, नियमों या सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट किन्हीं निरर्हताओं से ग्रस्त होने पर, उसका सदस्य नहीं रहेगा। सदस्यता की ऐसी समाप्ति पर सोसाइटी, सोसाइटी की शेयर पूँजी में ऐसे सदस्य का शेयर या हित, उसके लिए ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, अवधारित मूल्य का संदाय करके अर्जित कर सकेगी।

(2) ऐसा कोई सदस्य, जिसका कारबार सोसाइटी के कारबार के विरूद्ध या प्रतिस्पर्धा में है या जो साधारण निकाय की बैठक में लगातार तीन वर्ष तक किसी भी युक्तियुक्त कारण के बिना उपस्थित नहीं हुआ है या जो अपने देयों का संदाय करने में बार–बार व्यतिवम कर रहा है या जो सोसाइटी की सेवाओं का न्यूनतम आवश्यक उपयोग करने के संबंध में या सोसाइटी के साथ अन्य व्यवहार करने के संबंध में उपविधियों के उपबंधों[2]{X X X} का पालन करने में विफल रहा है या जिसने, समिति की राय में, सोसाइटी को बदनाम किया है या ऐसा कोई अन्य कार्य किया है जो सोसाइटी के हित या समुचित कार्यकरण के लिए अहितकर है तो, उस प्रयोजन के लिये बुलाये गये साधारण निकाय के समक्ष उसे अपना मामला अभ्यावेदित करने का अवसर देने के पश्चात् ऐसे साधारण निकाय की बैठक में विहित रीति से पारित विशेष संकल्प द्वारा, सदस्यता से हटाया या निष्कासित किया जा सकेगा।

17. नाममात्र का तथा सहयुक्त सदस्य –

(1) धारा 15 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई सहकारी सोसाइटी –

---

[1] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा हटाया गया (04.04.2016 से प्रभावी)।

[2] 2013 का अधिनियम संख्यांक 17 द्वारा हटायी गयी (24.04.2013 से प्रभावी)।

(i) व्यक्तियों कि सी विहित वर्ग या विहित किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी स्वसाहाय्य समूह को नाममात्र के सदस्य के रूप में; या

(ii) सोसाइटी के किसी विहित वर्ग के किसी सदस्य को पत्नी/पति को सहयुक्त सदस्य के रूप में;

सम्मिलित कर सकेगी।

(2) नाममात्र का या सहयुक्त सदस्य न तो सोसाइटी की आस्तियों या लाभों में किसी भी प्रकार के किसी भी शेयर का हकदार होगा, न उसे सोसाइटी के कार्यकलापों में मत देने का अधिकार होगा; किन्तु उसे किसी सदस्य के ऐसे अन्य अधिकार होंगे और वह ऐसे दायित्वों के अध्यधीन होगा जो इस अधिनियम, नियमों या सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट किये जायें और सदस्यता से संबंधित इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के समस्त उपबंध उस पर लागू होंगे।

18. देय का संदाय न किये जाने तक सदस्य द्वारा अधिकारों का प्रयोग न किया जाना –

सहकारी सोसाइटी का कोई भी सदस्य, सदस्य के अधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं करेगा [1]{जब तक कि उसने सदस्यता के संबंध में संदाय को सम्मिलित करते हुए, सोसाइटी के समस्त शोध्यों के संबंध में संदाय न कर दिये हों या सेवाओं का ऐसा न्यूनतम स्तर प्राप्त न कर लिया हो या} सोसाइटी में ऐसा हित अर्जित न कर लिया हो जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाये।

19. सदस्यों के मत –

किसी सोसाइटी के, नाममात्र के और सहयुक्त सदस्य से भिन्न, प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का हक होगा।

20. मत प्रयोग की रीति –

(1) सहकारी सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य अपने मत का व्यक्तिशः प्रयोग करेगा और किसी भी सदस्य को परोक्षी से मत देने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(2) उप–धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, –

(क) किसी सहकारी सोसाइटी का, जो किसी अन्य सहकारी सोसाइटी का सदस्य हो, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते

[1] 2013 का अधिनियम संख्यांक 17 द्वारा प्रतिस्थापित (24.04.2013 से प्रभावी)।

हुए, उस अन्य सोसाइटी के कार्यकलाप में उसकी ओर से मत देने के लिए प्रतिनिधित्व उसके अध्यक्ष द्वारा या, उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष [1]{या [2]{इस अधिनियम के अधीन} नियुक्त प्रशासक} द्वारा किया जायेगा;

(ख) जहां सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकारी या कोई निकाय किसी सहकारी सोसाइटी का सदस्य है वहां वह ऐसी सोसाइटी के कार्यकलापों में अपनी ओर से मत देने के लिए कोई प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

21. [3]शेयर धारण करने पर निर्बन्धन. –

किसी सहकारी सोसाइटी में कोई व्यष्टिक सदस्य इतने शेयर, जो सोसाइटी की उपविधियों में विहित किये जायें, या सोसाइटी की कुल शेयर पँजी के अधिकतम पांचवें भाग तक, जो भी कम हो, धारण करेगाः

परन्तु किसी अरबन को–ऑपरेटिव बैंक को कोई व्यष्टिक सदस्य इतने शेयर, जो सोसाइटी की उपविधियों में विहित किये जायें, या सोसाइटी की कुल शेयर पँजी के अधिकतम बीसवें भाग तक, जो कोई भी कम हो, धारण करेगा।

22. सदस्य की मृत्यु पर हित का अंतरण –

(1) किसी सहकारी सोसाइटी के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर सोसाइटी, मृत सदस्य का शेयर या हित नियमों के अनुसार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों को या यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया है तो, ऐसे व्यक्ति को, जो समिति को मृत सदस्य का वारिस या विधिक प्रतिनिधि प्रतीत हो, अन्तरित करेगी और जहां दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य उत्तराधिकार का कोई विवाद हो, समिति ऐसे दावेदारों से उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगीः

परन्तु ऐसे नामनिर्देशिती, वारिस या, यथास्थिति, विधिक प्रतिनिधि को सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित कर लिया जाता हैः

परन्तु यह और कि इस उप–धारा में की कोई बात किसी अवयस्क या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को किसी सहकारी सोसाइटी में मृत सदस्य के शेयर या हित विरासत द्वारा या अन्यथा अर्जित करने से नहीं रोकेगी।

(2) उप–धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई भी नामनिर्देशिती, वारिस या, यथास्थिति, विधिक प्रतिनिधि मृत सदस्य के शेयर या हित के

---

[1] 2013 का अधिनियम संख्यांक 17 द्वारा अन्तःस्थापित (24.04.2013 से प्रभावी)।

[2] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा प्रतिस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।

[3] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा प्रतिस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।

नियमों के अनुसार अधिनिश्चित मूल्य का संदाय स्वयं को किये जाने की सोसाइटी से अपेक्षा कम कर सकेगा।

(3) जहां ऐसा नामनिर्देशिती, वारिस या, यथास्थिति, विधिक प्रतिनिधि उप–धारा (1) के अधीन सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता है, वहां सोसाइटी मृत सदस्य को सोसाइटी द्वारा देय अन्य समस्त धन उसे संदत्त करेगी।

(4) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा इस धारा के उपबंधों के अनुसार किये गये समस्त अन्तरण और संदाय, किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा सोसाइटी से की गई मांग के विरूद्ध विधिमान्य और प्रभावी होंगे।

23. भूतपूर्व सदस्य और मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व –

(1) उप–धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सोसाइटी के ऐसे ऋणों के लिए जो –

(क) किसी भूतपूर्वसदस्य की दशा में, उस तारीख को विद्यमान थे जिसको उसकी सदस्यता समाप्त हुई, और

(ख) किसी मृत सदस्य की दशा में, उसकी मृत्यु की तारीख को विद्यमान थे,

किसी सहकारी सोसाइटी के किसी भूतपूर्व सदस्य का या किसी मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व दो वर्ष की कालावधि तक बना रहेगा।

(2) जब किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन का आदेश धारा 61 के अधीन किया जाये तब ऐसे किसी भूतपूर्व सदस्य का या मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व, जो परिसमापन के आदेश की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दो वर्षों के भीतर–भीतर सदस्य न रहा हो या मर गया हो, उस समय तक बना रहेगा जब तक कि समापन की समस्त कार्यवाहियां पूरी न हो जायें, किन्तु ऐसा दायित्व सोसाइटी के केवल ऐसे ऋणों के लिए होगा जो उसकी सदस्यता की समाप्ति की तारीख को या, यथास्थिति, उसकी मृत्यु की तारीख को विद्यमान थे।

अध्याय 4

सहकारी सोसाइटियों का प्रबन्ध

24. किसी सहकारी सोसाइटी में अन्तिम प्राधिकार –

(1) इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, किसी सहकारी सोसाइटी में अंतिम प्राधिकार सदस्यों के साधारण निकाय में निहित होगाः

परन्तु इस धारा की कोई बात नियमों या उपविधियों द्वारा किसी सहकारी सोसाइटी की समिति को या किसी भी अधिकारी को प्रदत्त किन्हीं भी शक्तियों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

(2) उप–धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी सोसाइटी की सदस्यता के आकार, प्रसार या प्रकार को देखते हुए प्रभावी रूप से विनिश्चय करने के लिए प्रतिनिधियों का कोई प्रतिनिधि निकाय अपेक्षित हो, वहां सोसाइटी के सदस्यों में से विहित रीति से निर्वाचित प्रतिनिधि साधारण निकाय के नाम से कोई छोटा निकाय सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार गठित किया जा सकेगा। ऐसा छोटा निकाय साधारण निकाय की समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

25. वार्षिक साधारण बैठक –

(1) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी [1]{वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह मास की कालावधि के भीतर–भीतर} निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए वार्षिक साधारण बैठक उसके लिए विहित रीति से बुलायेगी –

(क) समिति द्वारा आगामी वर्ष के लिए तैयार किये गये सोसाइटी के क्रियाकलापों के कार्यक्रम का अनुमोदन;

(ख) विहित रीति से तैयार किये गये लेखाओं और वार्षिक रिपोर्ट पर विचार,

(ग) विहित रीति से तैयार की गयी परीक्षा रिपोर्ट पर विचार और उसका अनुपालन,

(घ) शुद्ध लाभों का व्ययन; और

(ङ) ऐसे अन्य किसी मामले पर विचार जो उपविधियों के अनुसार प्रस्तुत किया जाये,

---

[1] 2013 का अधिनियम संख्यांक 17 द्वारा अन्तःस्थापित (24.04.2013 से प्रभावी)।

परन्तु यदि उपरोक्त समय के भीतर ऐसी बैठक बुलाई जाए तो रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति विहित रीति से ऐसी बैठक बुला सकेगा और वह बैठक सोसाइटी द्वारा यथावत् बुलाई गई एक साधारण बैठक समझी जायेगीः

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रार यह आदेश दे सकेगा कि पूर्वगामी परन्तुक के अधीन ऐसी बैठक बुलाने के कारण होने वाला व्यय सोसाइटी की निधि में से या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा जो रजिस्ट्रार की राय में साधारण बैठक बुलाने के लिए मना करने या बुलाने में विफल होने के लिए उत्तरदायी थे, भुगतान की जायेगी।

(2) यदि साधारण बैठक उसके लिए विहित कालावधि के भीतर–भीतर बुलाने में या उप–धारा (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में व्यतिवम किया जाता है तो रजिस्ट्रार, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, समिति के सदस्यों को ऐसी समिति के सदस्य के रूप में बने रहने और किसी भी अन्य सोसाइटी की समिति के सदस्यों के रूप में निर्वाचित होने के लिए पांच वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित कर सकेगा; और यदि व्यतिवम सोसाइटी के किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी द्वारा किया जाता है तो रजिस्ट्रार उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस पर 1000/– रूपये की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

26. विशेष साधारण बैठकें –

(1) किसी सहकारी सोसाइटी की समिति, सोसाइटी की विशेष साधारण बैठक किसी भी समय बुला सकेगी और रजिस्ट्रार से या सदस्यों की कुल संख्या के पांचवें भाग से अन्यून इतने सदस्यों से, जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाये, लिखित अध्यपेक्षा प्राप्त होने के पश्चात् ऐसी बैठक एक मास के भीतर–भीतर बुलायेगी।

(2) यदि सहकारी सोसाइटी की विशेष साधारण बैठक उप–धारा (1) में निर्दिष्ट अध्यपेक्षा के अनुसार नहीं बुलायी जाती है तो, –

(क) रजिस्ट्रार या उसकेक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को एक माह के भीतर–भीतर ऐसी बैठक बुलाने की शक्ति होगी और वह बैठक समिति द्वारा बुलाई गई बैठक समझी जायेगी;

(ख) रजिस्ट्रार को यह आदेश करने की शक्ति होगी कि इस उप–धारा के अधीन बैठक बुलाने में उपगत व्यय सोसाइटी की निधियों में से या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा संदत्त किया जायेगा जो, रजिस्ट्रार की राय में, बैठक बुलाने से इंकार करने या उसमें विफल रहने के लिए उत्तरदायी हों।

27. [1]समिति की नियुक्ति –

(1) किसी सहकारी सोसाइटी का साधारण निकाय सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबन्ध उपविधियों के अनुसार गठित समिति को न्यस्त करेगाः

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के मामले में, ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण करने के आवेदन पर हस्ताक्षर किये हैं, सोसाइटी के कार्यकलापों के संचालन के लिए रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन मास की कालावधि के लिए कोई समिति नियुक्त कर सकेंगे, किन्तु इस परन्तुक के अधीन नियुक्त समिति, ऐसी किसी नयी समिति, जिसका गठन उपविधियों के अनुसार तीन मास की उक्त कालावधि के भीतर–भीतर किया जायेगा, के गठन पर कृत्य करना बन्द कर देगी।

(2) समिति में सदस्यों की ऐसी संख्या होगी, जैसीकि उपविधियों में विहित की जायेः

परन्तु समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या [2]{सोलह} से अधिक नहीं होगीः

परन्तु यह और कि समिति बारह सदस्य सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा निर्वाचित किये जायेंगेः

[3]{परन्तु यह भी कि किसी भी व्यक्ति को किसी सोसाइटी की समिति में एक से अधिक स्थान के लिए निर्वाचन लड़ने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगाः}

परन्तु यह भी कि किसी सहकारी सोसाइटी की समिति जो सदस्यों के रूप में व्यष्टियों से मिलकर बनी हो और जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए, एक स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए और दो स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे।

(3) सहकारी सोसाइटी की समिति बैंककारी, प्रबंधन, वित्त के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले या सहकारी सोसाइटी के उद्देश्यों और इसके द्वारा किये जाने वाले क्रियाकलापों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले इतने व्यक्तियों को समिति के सदस्यों के रूप में सहयोजित करेगी, जितने उपविधियों में विनिर्दिष्ट किये जायेंः

परन्तु ऐसे सहयोजित सदस्यों की संख्या उप–धारा (2) के प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट समिति के [2]{सोलह} सदस्यों के अतिरिक्त दो से अधिक नहीं होगीः

---

[1] 2013 का अधिनियम संख्यांक 17 द्वारा प्रतिस्थापित (24.04.2013 से प्रभावी)।

[2] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा 'इक्कीस' के स्थान पर प्रतिस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।

[3] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा अन्तःस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।

परन्तु यह और कि किसी सहकारी सोसाइटी के कृत्यकारी निदेशक भी समिति के सदस्य होंगे और ऐसे सदस्यों को, प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट समिति के सदस्यों की कुल संख्या की गणना करने में प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जायेगा।

(4) समिति के निर्वाचित सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की पदावधि निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष की होगी और पदाधिकारियों की पदावधि समिति की अवधि की सहावसानी होगीः

[1]{परन्तु कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में नहीं बना रहेगा, यदि वह ऐसी समिति के लिए निर्वाचित होने के लिए मूल पात्रता, जैसी कि नियमों में विहित की जाये, खो देता हैः}

[2]{परन्तु यह और कि समिति, किसी आकस्मिक रिक्ति को सहयोजन द्वारा, विहित रीति से, उसी वर्ग के सदस्यों में से जिसके संबंध में आकस्मिक रिक्ति हुई है, भर सकेगी, यदि समिति की अवधि इसकी मूल पदावधि के आधे से कम है;

परन्तु यह भी कि यदि समिति के निर्वाचित सदस्यों में से कोई आकस्मिक रिक्ति हो गयी है और समिति की अवधि उसकी मूल पदावधि के आधे से अधिक है, तो ऐसी रिक्ति निर्वाचन द्वारा भरी जायेगी और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य शेष अवधि के लिए पद धारण करेगाः}

[3]{परन्तु यह और भी कि जहां किसी सोसाइटी की समिति धारा 30 के अधीन हटा दी गयी है और इस प्रकार हटायी गयी समिति की मूल अवधि का शेष भाग इसकी मूल अवधि के आधे से अधिक है, तब इस प्रकार हटायी गयी समिति की मूल अवधि के शेष भाग के लिए समिति का निर्वाचन किया जा सकेगा, किन्तु जहां समिति इसकी मूल अवधि के आधे की समाप्ति के पश्चात् हटायी गयी है, वहां सोसाइटी की समिति की पूर्ण अवधि के लिए निर्वाचन, राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा सहकारी सोसाइटियों के भिन्न–भिन्न स्तरों के निर्वाचन साथ–साथ कराने के प्रयोजन के लिए विनिश्चत किये गये समय पर करवाये जायेंगे।}

(5) धारा 29 के अधीन नामनिर्देशित या उप–धारा (3) के अधीन सहयोजित सदस्य को सम्मिलित करते हुए समिति का प्रत्येक सदस्य एक मत देने का हकदार होगाः

---

[1] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा अन्तःस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।

[2] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा प्रतिस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।

[3] 2015 का अधिनियम संख्यांक 31 द्वारा जोडा गया (30.06.2015 से प्रभावी)।

[1]{परन्तु जहां धारा 29 के अधीन किसी सोसाइटी की समिति में नामनिर्देशित कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य, जो धारा 29 के अधीन समिति का नामनिर्देशित सदस्य है, का भी प्रभार धारित किये हुए है, वहां वह अपनी और ऐसे अन्य सदस्य की हैसियत से मतदान करने का हकदार होगा:}

[2]{परन्तु यह और कि} धारा 29 के अधीन नामनिर्देशित या उप–धारा (3) के अधीन सहयोजित सदस्यों को ऐसे सदस्यों के रूप में उनकी हैसियत में सहकारी सोसाइटी के किसी निर्वाचन में मतदान करने का या समिति के पदाधिकारियों के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र होने का कोई अधिकार नहीं होगाः

[3]{परन्तु यह भी कि जहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सरकार द्वारा नामनिर्देशित कोई सदस्य, समिति द्वारा पारित किये गये संकल्प से विसम्मति रखता हो, वहां ऐसा मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सदस्य ऐसी विसम्मति के बारे में सूचना, अधिमानतः उसी दिन किन्तु किसी भी दशा में ऐसे संकल्प की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर–भीतर, रजिस्ट्रार को देगा।}

27–क. [4]मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति और हटाया जाना.–

(1) शीर्ष सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक का मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित बैंक की समिति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसे मानदंड पूरे करेगा जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियत किये जायें।

(2) कोई व्यक्ति जो शीर्ष सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा–नियत मानदंड पूरे नहीं करता है तो वह ऐसे पद के लिए अपात्र समझा जायेगा और यदि ऐसा व्यक्ति पद धारण करता है तो उसे भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक से इस आशय की सलाह प्राप्त होने पर हटा दिया जायेगा।

28. [5]समितियों की सदस्यता इत्यादि के लिए निरर्हता. –

(1) कोई भी व्यक्ति, एक ही समय में, एक से अधिक शीर्ष सोसाइटी या एक से अधिक केन्द्रीय सोसाइटी का अध्यक्ष नहीं होगा।

---

[1] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा अन्तःस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।
[2] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा प्रतिस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।
[3] 2015 का अधिनियम संख्यांक 31 द्वारा जोडा गया (30.06.2015 से प्रभावी)।
[4] 2010 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा अन्तःस्थापित (16.10.2009 से प्रभावी)।
[5] 2013 का अधिनियम संख्यांक 17 द्वारा प्रतिस्थापित (24.04.2013 से प्रभावी)।

(2) यदि कोई व्यक्ति, यथापूर्वोक्त किसी शीर्ष या केन्द्रीय सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन की तारीख को किसी दूसरी शीर्ष या केन्द्रीय सोसाइटी का पहले से अध्यक्ष है तो उसका पश्चात्वर्ती निर्वाचन पूर्वोक्त निर्वाचन से चौदह दिन की कालावधि की समाप्ति पर शून्य समझा जायेगा, जब तक कि वह पूर्वोक्त दोनों शीर्ष या, यथास्थिति, दोनों केन्द्रीय सोसाइटियों में से किसी एक के अध्यक्ष पद से, ऐसी कालावधि के भीतर–भीतर, त्यागपत्र न दे दे।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित, सहयोजित या नामनिर्देशित होने के लिए या समिति का सदस्य बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह उस सोसाइटी या किसी भी अन्य सोसाइटी का, उसके द्वारा लिये गये किसी भी उधार या उधारों के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए, जो संबंधित सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट है या किसी भी स्थिति में तीन मास से अधिक की कालावधि के लिए व्यतिक्रमी है:

परन्तु यह निरहर्ता किसी सदस्य–सोसाइटी पर लागू नहीं होगी।

(4) उप–धारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति केन्द्रीय सहकारी बैंक या शीर्ष सहकारी बैंक की समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित, सहयोजित और नामनिर्देशित होने के लिए, या समिति का सदस्य बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह –

(i) किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी से भिन्न किसी सोसाइटी को प्रतिनिधित्व करता है और ऐसी सोसाइटी उसके द्वारा लिये गये किसी भी उधार या उधारों के संबंध में ऐसे बैंक के प्रति नब्बे दिन से अधिक की कालावधि से व्यतिक्रमी है;

(ii) ऐसा व्यक्ति है जो किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी का व्यतिक्रमी है या ऐसी किसी व्यतिक्रमी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी का एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए, प्रतिनिधि है, जब तक कि व्यतिवम दूर न कर दिया जाये; और

(iii) ऐसा व्यक्ति है, जो ऐसी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी समिति अतिष्ठित कर दी गयी है या जो उसकी स्वयं की सोसाइटी की समिति में सदस्य न रहा हो।

(5) राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963 (1964 का अधिनियम सं. 1) में यथा परिभाषित कोई भी साहूकार, नियमों के अधीन यथावर्गीकृत किसी सेवा सहकारी सोसाइटी का अधिकारी निर्वाचित या सहयोजित होने के लिए पात्र नहीं होगा और जहां ऐसी सोसाइटी का यथापूर्वोक्त कोई अधिकारी साहूकारी का कारोबार प्रारम्भ कर देता है तो वह, तदुपरान्त ऐसी सोसाइटी का अधिकारी नहीं रहेगा।

(6) किसी समिति का कोई भी सदस्य, जिसे धारा 30 के अधीन हटा दिया गया है, ऐसे हटाये जाने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए किसी भी समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन, सहयोजन या नामनिर्देशन का पात्र नहीं होगाः

[1]{परन्तु समिति की अवधि की समाप्ति के कारध धारा 30–ग के अधीन या गणपूर्ति के अभाव के कारण समिति के कृत्यों में गतिरोध के आधार पर धारा 30 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन जिस समिति के स्थान पर प्रशासक रखा गया है, उस समिति का कोई सदस्य इस उप–धारा के अधीन निरर्हित नहीं समझा जायेगा।}

(7) कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध धारा 57 के अधीन कोई आदेश पारित किया गया हो, ऐसा आदेश अपास्त न किये जाने की स्थिति में, ऐसी तारीख से, जिसको वह धन या अन्य सम्पत्ति या उसके भाग का ब्याज सहित प्रति–संदाय या प्रत्यावर्तन करता है या ऐसे आदेश कि तुष्टि में अभिदाय और खर्चे या प्रतिकर का संदाय करता है, पांच वर्ष की कालावधि की समाप्ति तक किसी समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन, सहयोजन या नामनिर्देशन का पात्र नहीं होगा।

[2]{(7–क): .....निरसित.....

---

[1] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा प्रतिस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।

[2] 2022 का अधिनियम संख्यांक 14 द्वारा निरसित किया गया (18.10.2022 से प्रभावी)।

(8) ऐसा कोई व्यक्ति –

(i) जिसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 120ख, 405, 406, 407, 408, 409, 415, 416, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 447, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476 या 477क के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए संज्ञान किया गया है और जो विचारण के अधीन है, किसी सोसाइटी की समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित, सहयोजित या नामनिर्देशित होने या उसमें बने रहने का पात्र नहीं होगा; या,

(ii) जिसको सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है और तीन मास या उससे अधिक के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है, ऐसे दण्डादेश को तत्पश्चात् उलट न दिये जाने या उसका परिहार न किये जाने या उस अपराधी को क्षमा न किये जाने की स्थिति में, ऐसी दोषसिद्ध की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए किसी सोसाइटी की समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित, सहयोजित या नामनिर्देशित किये जाने या उसमें बने रहने का पात्र नहीं होगा।

[1][(9) कोई भी व्यक्ति किसी समिति का अध्यक्ष और संघ मंत्रि–परिषद् अथवा राज्य मंत्रि–परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद् का प्रमुख या किसी पंचायत समिति का प्रधान, दोनों, नहीं रहेगा और, यदि वह पहले से ही संघ मंत्रि–परिषद् अथवा राज्य मंत्रि–परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद् का प्रमुख या किसी पंचायत समिति का प्रधान है तो वह, उस तारीख से, जिसको कि वह ऐसी समिति का अध्यक्ष बनता है, चौदह दिन की कालावधि की समाप्ति पर ऐसी समिति का ऐसा अध्यक्ष नहीं रहेगा, जब तक कि ऐसी समाप्ति के पूर्व वह संघ मंत्रि–परिषद् अथवा राज्य मंत्रि–परिषद् में अपने स्थान से या, उस पद से, जो वह जिला परिषद् या, यथास्थिति, पंचायत समिति में धारित करता है, त्यागपत्र नहीं दे देता है:

[1] 2019 का अधिनियम संख्यांक 3 द्वारा प्रतिस्थापित (23.12.2018 से प्रभावी)।

परन्तु कोई व्यक्ति, जो पहले से ही किसी समिति का अध्यक्ष है, संघ मंत्रि–परिषद् अथवा राज्य मंत्रि–परिषद् के सदस्य या किसी जिला परिषद् के प्रमुख या किसी पंचायत समिति के प्रधान के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो संघ मंत्रि–परिषद् अथवा राज्य मंत्रि–परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद् का प्रमुख या, यथास्थिति, किसी पंचायत समिति का प्रधान निर्वाचित हो जाने के तारीख से चौदह दिन की समाप्ति पर समिति का ऐसा अध्यक्ष नहीं रहेगा, जब तक कि उसने संघ मंत्रि–परिषद् अथवा राज्य मंत्रि–परिषद् में अपने स्थान से या उस पद से, जो वह जिला परिषद् या, यथास्थिति, पंचायत समिति में धारित करता है, पहले ही त्यागपत्र नहीं दे दिया हो।

परन्तु यह और कि वह समिति का सदस्य या निदेशक बन सकेगा।"

(10) कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन, सहयोजन या नामनिर्देशन का पात्र नहीं होगा, यदि उसके दो से अधिक संतानें हैं:

परन्तु कोई व्यक्ति, जिसके दो से अधिक संतानें हैं, इस उप–धारा के अधीन तब तक निरर्हित नहीं होगा, जब तक कि 10.07.1995 को रही उसकी संतानों की संख्या में वृद्धि नहीं होती।

स्पष्टीकरण. – इस उप–धारा के प्रयोजन के लिए, जहां 10.07.1995 को दम्पत्ति के पूर्ववर्ती प्रसव या प्रसवों से केवल एक संतान हो और तत्पश्चात् किसी एक ही पश्चात्वर्ती प्रसव से जन्मी संतानों की किसी संख्या को एक इकाई समझा जायेगा।

[1]{(11) समिति का कोई भी सदस्य, जो –

(i) अध्याय 5 के अधीन राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को अपेक्षित सूचना या सहायता उपलब्ध कराने में; या

(ii) सोसाइटी के कार्यकलापों की किसी जांच के लिए धारा 55 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने या उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने में; या

(iii) इस अधिनियम में या नियमों में इस हेतु नियत समय के भीतर–भीतर लेखा परीक्षक(कों) को नियुक्त करने और इसकी लेखा परीक्षा कराने में,

---

[1] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा प्रतिस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।

असफल रहा है, ऐसी असफलता की तारीख से छह वर्ष की कालावधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित, सहयोजित या नामनिर्देशित होने या ऐसे सदस्य के रूप में बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा।

(12) कोई भी व्यक्ति किसी सोसाइटी की समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह ऐसी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जो नियमों में विहित की जाये, यदि कोई हो, प्राप्त नहीं कर लेता है।

(13) इस बारे में कोई भी प्रश्न कि क्या समिति का कोई सदस्य इस धारा या नियमों या इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत उपविधियों के अधीन उल्लिखित किन्हीं भी निरर्हताओं के अध्यधीन हो गया है, रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चित किया जायेगाः

परन्तु किसी सोसाइटी की समिति के लिए निर्वाचन लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की ऐसी निरर्हता का प्रश्न निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसके नामांकन कागजपत्रों की संवीक्षा के दौरान विनिश्चित किया जायेगा।}

29. सरकार द्वारा नामनिर्देशन –

(1) जहां सरकार ने –

(क) किसी सहकारी सोसाइटी की शेयर पँजी में अभिदाय किया है; या

(ख) किसी सहकारी सोसाइटी के पँजी निर्माण में या वृद्धि में परोक्ष रूप से सहायता की है, जैसा कि अध्याय 7 में उपबंधित है; या

(ग) मूलधन के प्रतिसंदाय और किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा जारी किये गये डिबेंचरों के, ब्याज के संदाय की प्रत्याभूति दी है; या

(घ) मूलधन की रकम के प्रतिसंदाय और किसी सहकारी सोसाइटी को दिये गये उधारों और अग्रिमों पर ब्याज के संदाय की प्रत्याभूति दी है,

तो सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी को सहकारी सोसाइटी की समिति में तीन से अनधिक सदस्य नामनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगाः

परन्तु ऐसे नामनिर्देशिती केवल सरकारी सेवक होंगेः

[1]{परन्तु यह और कि यदि सरकार ने शेयर पँजी में अभिदाय किया हो तो राज्य सरकार को शीर्ष सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंकों की समिति में केवल एक

[1] 2010 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा जोडा गया (16.10.2009 से प्रभावी)।

सदस्य नामनिर्देशित करने का अधिकार होगा और वह शेयर पँजी में सरकार के अभिदाय को विचार में लाये बिना किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी की समिति में कोई सदस्य नामनिर्देशित नहीं करेगी।}

[1]{(2) इस अधिनियम या किसी सोसाइटी की उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां सरकार ने किसी लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी सोसाइटी की शेयर पँजी में पांच लाख रूपये या अधिक की सीमा तक अभिदाय किया है, वहां सरकार या इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई भी अन्य प्राधिकारी, उप–धारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त दूसरा सदस्य नामनिर्देशित कर सकेगा और उसे ऐसी सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा, जो समिति का पदेन सदस्य–सचिव होगा। सरकार या यथानिर्दिष्ट ऐसा प्राधिकारी ऐसी सोसाइटी में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता करने के लिए किसी अन्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति भी कर सकेगा।}

(3) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट या नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति सरकार या सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।

(4) जहां सरकार इस धारा के अधीन कोई मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करती है वहां ऐसी नियुक्ति के ठीक पूर्व पद धारण करने वाला मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी नियुक्ति होने पर पद पर नहीं रहेगा।

(5) इस धारा के अधीन नियुक्त किये गये मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक अधिकारी के सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो सरकार द्वारा अवधारित की जायें और उन्हें संदेय पारिश्रमिक, सहकारी सोसाइटी की निधियों में से संदत्त किया जायेगा।

[2]{**29–क. सहकारी सोसाइटी के अधिकारी और कर्मचारी. –**

(1) इस अधिनियम में कहीं भी अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार सोसाइटियों के सुचारू कार्यकरण और उनके कर्मचारियों के सामान्य कल्याण के हित में किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के किसी वर्ग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य निदेश जारी कर सकेगा।

---

[1] 2010 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा प्रतिस्थापित (16.10.2009 से प्रभावी)।

[2] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा अन्तःस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।

(2) रजिस्ट्रार, सम्पूर्ण राज्य या उसके भाग में की सोसाइटियों के किसी वर्ग के कर्मचारियों के लिए एक सामान्य संवर्ग का गठन कर सकेगा और ऐसे संवर्ग के अधीन आने वाले कर्मचारियों की भर्ती, मानदेय, स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्रवाई और सेवा शर्तों से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्त भी तैयार कर सकेगा।}

[1]{**29–ख. सहकारी सोसाइटी के लिए भर्ती बोर्ड का गठन. –**

(1) राज्य की सहकारी सोसाइटियों के कर्मचारियों के चयन और भर्ती की सिफारिश के लिए, जैसा कि नियमों में विहित किया जाये, एक सहकारी भर्ती बोर्ड होगा, जिसे इस धारा में आगे बोर्ड कहा गया है।

(2) बोर्ड, अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इसका गठन सरकार द्वारा ऐसी रीति से किया जायेगा, जो विहित की जाये।

(3) बोर्ड को, संबंधित सहकारी सोसाइटियों की अध्यपेक्षा और आवश्यकता को देखते हुए, चयन का मानदंड, प्रक्रिया, अभ्यर्थियों के चयन की सूची बनाने के लिए मानदंड विनिश्चित करने की शक्ति होगी, जिसमें लिखित परीक्षा और/या साक्षात्कार संचालित करने या न करने और कैसे करने का विनिश्चय सम्मिलित होगा।

(4) जहां बोर्ड लिखित परीक्षा संचालित करने का विनिश्चय करता है वहां वह उसे स्वयं या किसी उपयुक्त विशेषज्ञता और प्रतिष्ठा वाली स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से संचालित करवा सकेगा।}

30. [2]समिति या उसके सदस्य का हटाया जाना. –

[3]{(1) जहां –

(क) किसी सहकारी सोसाइटी की समिति, –

(i) लगातार व्यतिवम करती है; या

(ii) इस अधिनियम या नियमों या उप–विधियों द्वारा उस समिति पर अधिरोपित अपने कर्त्तव्यों के पालन में उपेक्षा करती है; या

(iii) सोसाइटी या उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल कोई कारती है; या

---

[1] 2010 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा जोडा गया (16.10.2009 से प्रभावी)।

[2] 2013 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा प्रतिस्थापित (24.04.2013 से प्रभावी)।

[3] 2015 का अधिनियम संख्यांक 31 द्वारा प्रतिस्थापित (30.06.2015 से प्रभावी)।

(ख) समिति के गठन या उसके कृत्यों में गतिरोध उत्पन्न हो गया है;

वहां किसी प्राथमिक सोसाइटी के मामले में जोनल रजिस्ट्रार, किसी केन्द्रीय सोसाइटी के मामले में रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान, और किसी शीर्ष सोसाइटी के मामले में राज्य सरकार, समिति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, समिति को हटा सकेगी और समिति के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए किसी सरकारी सेवक को, सोसाइटी की समिति का निर्वाचन होने तक, प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकेगीः

परन्तु बैंककारी का कारबार करने वाली किसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) के उपबंध भी लागू होंगे।}

(2) यदि समिति का कोई भी सदस्य, इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या उप–विधियों के द्वारा उस पर अधिरोपित किये जाने वाले कर्त्तव्यों का पालन करने में लगातार व्यतिवम करता है या उपेक्षा करता है या समिति अथवा उसके सदस्यों के हित के प्रतिकूल कोई कार्य करता है तो किसी प्राथमिक समिति की दशा में जोनल रजिस्ट्रार, किसी केन्द्रीय समिति की दशा में रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान और किसी शीर्ष समिति की दशा में राज्य सरकार, सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसे सदस्य को लिखित आदेश द्वारा, हटा सकेगी।

[1]{(3) इस प्रकार नियुक्त किये गये प्रशासक को, रजिस्ट्रार के नियंत्रण और ऐसे निदेशों के, जो वह समय–समय पर दे, अध्यधीन रहते हुए, निर्वाचित समिति के समस्त कृत्यों या कृत्यों में से किसी भी कृत्य का पालन करने की और ऐसी समस्त कार्रवाइयां करने की शक्तियां होंगी, जो सोसाइटी के हित में अपेक्षित हों।}

[2]{**30–क. भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की रजिस्ट्रार की बाध्यताएँ. –**

(1) रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित रकेगा कि समिति के अधिक्रमण की या शीर्ष सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के परिसमापन की सिफारिश सहित भारतीय

---

[1] 2015 का अधिनियम संख्यांक 31 द्वारा प्रतिस्थापित (30.06.2015 से प्रभावी)।

[2] 2010 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा अन्तःस्थापित (16.10.2009 से प्रभावी)।

रिजर्व बैंक के नियामक निर्देशों का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सलाह दिये जाने से एक मास के भीतर–भीतर क्रियान्वयन कर लिया गया है।

(2) रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिसमापन या समिति के अधिक्रमण के लिए सलाह दिये जाने से एक मास के भीतर–भीतर परिसमापक या, यथास्थिति, प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है।

(3) रजिस्ट्रार, शीर्ष सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक के ऐसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी को एक मास के भीतर–भीतर हटाया जाना सुनिश्चित करेगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट पात्रता मानदण्ड पूरे नहीं करता है और भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक से इस आशय का अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(4) रजिस्ट्रार, भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक द्वारा सलाह दिये जाने पर धारा 27 की उप–धारा (2–क) के अधीन समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित या सहयोजित ऐसे किसी व्यक्ति का, जो उसमें वर्णित अपेक्षित अर्हता न रखता हो, एक मास के भीतर–भीतर हटाया जाना सुनिश्चित करेगा।}

[1]{**30–ख. समस्त वित्तीय और आन्तरिक प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता. –**

किसी लघु अवधि सहकारी साख सोसाइटी को, रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में अधिकथित सामान्य शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन रते हुए, निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए अपने समस्त वित्तीय और आंतरिक प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता होगी, अर्थात्:–

(क) कार्मिक नीति, कर्मचारिवृन्द, नियोजन, पदस्थापन और कर्मचारिवृन्द को प्रतिकर;

(ख) अपनी पसंद की किसी परिसंघीय संरचना में किसी भी स्तर पर सम्मिलित होने और बाहर जाने को सम्मिलित करते हुए उससे संबद्धता या असंबद्धता से संबंधि तमामले;

(ग) अपनी कारबारी आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्षेत्र; और

(घ) आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियां।}

[1]{**30–ग. समिति की अवधि पूर्ण होने पर प्रशासक की नियुक्ति. –**

[1] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा प्रतिस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।

(1) जहां विद्यमान समिति की अवधि समाप्त हो गयी है और राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाये गये नियमों के अनुसार, चाहे किसी भी कारण से, नयी समिति के लिए निर्वाचनों का संचालन करने में असफल रहा है, वहां रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा, सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए, किसी सरकारी सेवक को, सोसाइटी की समिति का निर्वाचन होने तक, प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(2) इस प्रकार नियुक्त किये गये प्रशासक को, रजिस्ट्रार के नियंत्रण और ऐसे निदेशों के, जो वह समय–समय पर दे, अध्यधीन रहते हुए, निर्वाचित समिति के समस्त कृत्यों या कृत्यों में से किसी भी कृत्य का पालन करने की और ऐसी समस्त कार्रवाइयां करने की शक्तियां होंगी, जो सोसाइटी के हित में अपेक्षित हों।}

31. अभिलेखों इत्यादि का कब्जा प्राप्त करना. –

(1) जहां किसी सहकारी सोसाइटी की समिति का [2]{इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन} पुनर्गठन किया जाता है या धारा 30 के अधीन राज्य सरकार या रजिस्ट्रार द्वारा किसी सहकारी सोसाइटी की समिति को हटा दिया जाता है या सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नियमों के अधीन परिवर्तित हो जाता है तो समिति का प्रत्येक पदावरोही सदस्य, यदि उसके पास सोसाइटी के किन्हीं अभिलेखों या सम्पत्ति का प्रभार है, अथवा सोसाइटी का पदावरोही मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सोसाइटी के समस्त अभिलेखों और सम्पत्ति का प्रभार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो कि सोसाइटी के समस्त अभिलेखों और सम्पत्ति का समग्र न्यासी होगा, को सौंपेंगे :

[3]{परन्तु ऐसी सोसाइटियों में जहां कोई मुख्य कार्यपालक अधिकारी नहीं है, वहां सोसाइटी का सचिव और यदि कोई सचिव भी नहीं है तब सोसाइटी का अध्यक्ष, सोसाइटी के समस्त अभिलेख और सम्पत्ति का न्यासी समझा जायेगाः}

[4]{परन्तु यह और कि} जहां धारा 61 के अधीन सोसाइटी के परिसमापन का आदेश दिया जाता है, सोसाइटी के अभिलेख और सम्पत्ति का प्रभार धारा 63 के अधीन नियुक्त समापक को सौंपा जायेगा।

---

[1] 2015 का अधिनियम संख्यांक 31 द्वारा अन्तःस्थापित (30.06.2015 से प्रभावी)
[2] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा प्रतिस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।
[3] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा अन्तःस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।
[4] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा प्रतिस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।

(2) यदि ऐसा कोई भी पदावरोही अधिकारी या सदस्य, [2]{सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सचिव या अध्यक्ष या, यथास्थिति, समापक} को अभिलेख और सम्पत्ति का प्रभार सौंपे जाने से इंकार करता है; या जहां रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि किसी सोसाइटी की पुस्तकों तथा अभिलेखों को दबा दिये जाने, बिगाड़ दिये जाने या नष्ट कर दिये जाने की संभावना है या किसी सोसाइटी की निधियों तथा सम्पत्ति का दुर्विनियोग या दुरूपयोग किये जाने की संभावना है तो [2]{सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सचिव या अध्यक्ष या, यथास्थिति, समापक} या रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति सोसाइटी के अभिलेख और सम्पत्ति की तलाशी, अभिग्रहण और कब्जे में लेने के लिए ऐसे प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा; जिसकी अधिकारिता में उक्त सोसाइटी कार्य कर रही है।

(3) उप–धारा (1) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट, वारंट द्वारा, किसी भी ऐसे पुलिस अधिकारी को, जो उप–निरीक्षक की रैंक से नीचे का न हो, ऐसे किसी संभावी स्थान में, जिसमें अभिलेख तथा सम्पत्ति रखी जाती है या रखे जाने का विश्वास किया जाता है, प्रवेश करने तथा तलाशी लेने और ऐसे अभिलेखों तथा सम्पत्ति को अभिगृहीत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार अभिगृहीत अभिलेख तथा सम्पत्ति, सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या [2]{सचिव या अध्यक्ष या समापक} को रजिस्ट्रार या, यथास्थिति, रजिस्ट्रार के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को सौंप दी जायेगी।

[1]अध्याय 5

निर्वाचन

32. [2]सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन. –

किसी सहकारी सोसाइटी की समिति का निर्वाचन इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के उपबंधों के अनुसार संचालित किया जायेगा।

---

[1] 2004 का अधिनियम संख्यांक 9 द्वारा प्रतिस्थापित (19.02.2004 से प्रभावी)।

[2] 2015 का अधिनियम संख्यांक 31 द्वारा प्रतिस्थापित (30.06.2015 से प्रभावी)।

33. [1]राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी और उसके कृत्य. –

(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी रीति से जो विहित की जाये, राज्य सरकार के किसी अधिकारी को राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, जिसे इस अध्याय में आगे प्राधिकारी कहा गया है, के रूप में नियुक्त करेगी और ऐसे प्राधिकारी की सहायता करने के लिए ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृन्द नियुक्त कर सकेगी, जो वह ठीक समझे।

(2) उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी और अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृन्दों की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जायें।

[2](3) ऐसी सहकारी सोसाइटियों के, जो नियमों में विहित की जायें, सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार करने का, और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, प्राधिकारी में निहित होगाः

परन्तु अन्य सोसाइटियों में निर्वाचन, नियमों में इसके लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, सोसाइटी की साधारण सभा की बैठक में करवाये जायेंगे।

(4) राज्य सरकार, सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचनों के संचालन के लिए प्रक्रिया और मार्गदर्शक सिद्धांत विहित कर सकेगी।

(5) इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, जोन स्तर पर पदस्थापित जोनल रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी और इकाई स्तर पर पदस्थापित इकाई अधिकारी क्रमशः पदेन जोनल रिटर्निंग अधिकारी और इकाई रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और प्राधिकारी द्वारा उन्हें न्यस्त कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी होंगे।

(6) धारा 27 की उप–धारा (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्राधिकारी, किसी सोसाइटी की समिति में होने वाली आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए ऐसी रिक्ति के होने के छह मास के भीतर–भीतर समिति की शेष अवधि के लिए निर्वाचनों का संचालन करेगा।

34. [3]निर्वाचनों का उपक्रम. –

[1](1) प्राधिकारी, सहकारी सोसाइटियों से ऐसी सूचना मंगवा सकेगा जो वह निष्पक्ष और पारदर्शी रीति से निर्वाचन संचालित करवाने के लिए, आवश्यक पाये।

---

[1] 2013 का अधिनियम संख्यांक 17 द्वारा प्रतिस्थापित (24.04.2013 से प्रभावी)।

[2] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा प्रतिस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।

[3] 2013 का अधिनियम संख्यांक 17 द्वारा प्रतिस्थापित (24.04.2013 से प्रभावी)।

(2) किसी सहकारी सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्राधिकारी द्वारा चाही गयी समस्त सूचना समय पर और विहित रीति से उपलब्ध करवायेगा।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समिति में आकस्मिक रिक्ति के बारे में प्राधिकारी को एक लिखित सूचना भी भेजेगा जिसके लिए प्राधिकारी, ऐसी रिक्ति होने के तुरन्त पश्चात् निर्वाचन संचालित करवायेगा।

[2](4) किसी सोसाइटी की समिति का यह सुनिश्चित करने का कर्त्तव्य होगा कि समस्त जानकारी, पुस्तकें और अभिलेख, जिनकी प्राधिकारी निर्वाचन के प्रयोजन के लिए अपेक्षा करे, अद्यतन है और प्राधिकारी या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को समय पर उपलब्ध करवा दिये गये हैं।

[2](5) सोसाइटी की समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि सोसाइटी प्राधिकारी को ऐसी समस्त सहायता उपलब्ध कराती है जिसकी निर्वाचन के संचालन के लिए उसके द्वारा अपेक्षा की जाये।

[2](6) किसी सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन की प्रक्रिया एक बार प्रारम्भ होने के पश्चात्, प्राकृतिक आपदा या कानून और व्यवस्था के भंग होने की परिस्थिति को छोड़कर, किसी भी कारण से रोकी या मुल्तवी नहीं की जायेगी।

35. निर्वाचन अधिकारी –

प्राधिकारी किसी सोसाइटी की समिति के निर्वाचन का संचालन करने के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकेगाः

परन्तु सम्बन्धित सोसाइटी के किसी भी सदस्य या कर्मचारी को निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा।

36. [2]निर्वाचन व्यय. –

किसी सहकारी सोसाइटी की समिति का निर्वाचन करवाने के लिए समस्त व्यय संबंधित सोसाइटी या उस सोसाइटी, जिससे ऐसी सोसाइटी संबद्ध है, द्वारा वहन किये जायेंगे।

37. अनुदेश जारी करने की शक्ति –

---

[1] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा प्रतिस्थापित एवं उपधारा (2), (3) और (4) को क्रमशः (4), (5) और (6) के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया (04.04.2016 से प्रभावी)।

[2] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा प्रतिस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।

(1) प्राधिकारी किसी भी सोसाइटी या उसकी समिति या सदस्यों को ऐसे अनुदेश जारी कर सकेगा जो स्वतंत्र, उचित और निष्पक्ष निर्वाचन संचालित करने के लिए युक्तियुक्त समझे जायें।

(2) प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन जारी किये गये अनुदेश बाध्यकारी होंगे।

अध्याय 6

सहकारी सोसाइटियों के विशेषाधिकार

38. कतिपय आस्तियों पर सहकारी सोसाइटी का प्रथम भार –

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु भू–राजस्व या भू–राजस्व के रूप में वसूलीय किसी धन के संबंध में सरकार के किसी पूर्व दावे के अध्यधीन रहते हुए, –

(क) किसी भी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य, मृत सदस्य या ऐसे किसी व्यक्ति, जिसने ऐसे ऋण या मांग के प्रतिसंदाय के लिए उसकी प्रत्याभूति का निष्पादन किया है, द्वारा किसी सहकारी सोसाइटी को देय कोई भी ऋण या बकाया मांग, ऐसी फसलों और अन्य कृषि उपज, पशु, पशुओं के चारे, कृषिक या औद्योगिक उपकरणों या मशीनरी, विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री और ऐसी कच्ची सामग्री से विनिर्मित किन्हीं भी तैयार उत्पादों या सम्पत्ति या उधार/ऋण से सृजित आस्तियों में हित या, यथास्थिति, प्रतिभूति के रूप में बंधकित सम्पत्ति, जो ऐसे सदस्य, भूतपर्व सदस्य या उसके प्रत्याभूति–दाता/प्रतिभू की है या मृत सदस्य की आस्तियों की भागरूप है, पर प्रथम भार होगी;

(ख) अपने सदस्यों के लिए निवास गृह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित किसी सहकारी सोसाइटी को, किसी भी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य द्वारा, किराये, शेयरों, उधारों या क्रय धन या किन्हीं भी अन्य अधिकारों या ऐसी सोसाइटी को संदेय रकम के संबंध में कोई भी बकाया मांग या संदेय राशियां सोसाइटी की स्थावर सम्पत्ति में उसके हित पर प्रथम भार होंगी।

(2) उप–धारा (1) के अधीन सृजित भार, राजस्थान कृषि उधार अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 1) के अधीन मंजूर किये गये उधार से उद्‌भूत सरकार के किसी भी दावे के विरूद्ध सोसाइटी द्वारा उधार मंजूर किये जाने के पश्चात् उपलब्ध रहेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी सम्पत्ति का, जो उप–धारा (1) के अधीन भार के अध्यधीन है, ऐसी सहकारी सोसाइटी की, जिसके हक में उक्त भार है, लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना अन्तरण या अन्यसंक्रामण नहीं करेगा और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस उप–धारा के उल्लंघन में किया गया सम्पत्ति का कोई भी अन्तरण शून्य होगा।

39. कतिपय सोसाइटियों से उधार लेने वाले सदस्यों की स्थावर सम्पत्ति पर भार–

इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी –

(क) कोई भी व्यक्ति, जो किसी सोसाइटी को, जिसका वह सदस्य है, अल्पकालिक उधार से अभिन्न किसी उधार के लिए या किसी बैंक प्रत्याभूति के लिए आवेदन करता है और/या कोई व्यक्ति, जो ऐसे व्यक्ति के लिए प्रत्याभूति का निष्पादन करता है, विहित प्ररूप में घोषणा करेगा जिसमें यह कथन किया जायेगा कि आवेदक और/या प्रत्याभूति–दाता, उेसी उधार, अग्रिम या, यथास्थिति, प्रत्याभूति की रकम का, जो सोसाइटी आवेदन के अनुसरण में सदस्य को दे और उसके द्वारा समय–समय पर अपेक्षित समस्त भावी अग्रिमों का, यदि कोई हों, सोसाइटी ऐसे सदस्य के रूप में उसे दे, ऐसे अधिकतम के अध्यधीन रहते हुए, जो सोसाइटी द्वारा अवधारित किया जाये, उधारों तथा अग्रिमों या प्रत्याभूति की ऐसी रकम पर देय ब्याज सहित, अपने स्वामित्वाधीन तथा घेषणा में विनिर्दिष्ट स्थावर सम्पत्ति पर इसके द्वारा भार सृजित करता है;

(ख) खण्ड (क) के अधीन की गई किसी घोषणा में किसी सदस्य या उसके प्रत्याभूति–दाता द्वारा किसी ीाी समय ऐसी सोसाइटी की, जिसके पक्ष में उक्त भारत सृजित किया जाये, सम्मति से फेरफार किया जा सकेगा और भू–राजस्व या भू–राजस्व के रूप में वसूलीय किसी धन के संबंध में सरकार के, या लगान के रूप में वसूलीय किसी धन के संबंध में किसी भू–धारक के, किसी भी पूर्विक दावे के अध्यधीन रहते हुए उक्त घोषणा का वही प्रभाव होगा मानो घोषणा के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्ति उसमें विनिर्दिष्ट उधार तथा अग्रिम का प्रतिसंदाय करने के लिए सोसाइटी के पास बंधक रखी गयी हो और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16)

या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी घोषणा का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं होगा;

(ग) कोई भी सदस्य खण्ड (क) के अधीन की गयी घोषणा में विनिर्दिष्ट स्थावर सम्पत्ति को पूर्णतः या उसके किसी भाग को तब तक अन्यसंक्रांत नहीं करेगा जब तक सदस्य द्वारा उधार ली गयी सम्पूर्ण रकम का, उस पर के ब्याज सहित संदाय पूर्ण रूप से न कर दिया जाये और इस खण्ड के उल्लंघन में किया गया सम्पत्ति का कोई भी अन्य संक्रामण शून्य होगा;

(घ) भू–राजस्व या भू–राजस्व के रूप में वसूलीय किसी धन के सम्बन्ध में सरकार के पूर्विक दावों या भूमि विकास बैंक के, उसके शोध्यों के संबंध में दावों के अध्यधीन रहते हुए, उधार और अग्रिमों के मद्दे उसके द्वारा देय–राशियों के लिए और उनकी सीमा तक खण्ड (क) के अधीन की गयी घोषणा में विनिर्दिष्ट स्थावर सम्पत्ति पर सोसाइटी के पक्ष में प्रथम भार होगा; और

(ङ) घोषणा करने वाले व्यक्ति की किसी कृषि जोत पर, खण्ड (क) के अधीन की गयी घोषणा द्वारा सृजित भार के संबंध में प्रवृष्टि, ऐसे व्यक्ति द्वारा या सोसाइटी द्वारा, जिसके पक्ष में भार सृजित किया गया है, ऐसी घोषणा किये जाने के पश्चात् किसी भी समय, तहसीलदार को सीधे या गांव के पटवारी या भू–अभिलेख निरीक्षक की मार्फत आवेदन किये जाने पर, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) के अध्याय 7 के अधीन रखे जाने वाले वार्षिक रजिस्टरों में, उस अध्याय में और उसके अधीन बनाये गये नियमों में उपबंधित रीति से की जायेगी और तत्प्रयोजनार्थ ऐसा आवेदन उस अधिनियम की धारा 133 के अधीन रिपोर्ट समझा जायेगा।

40. संयुक्त कृषि सोसाइटी में भूमियों का निहित होना तथा करार का रजिस्ट्रीकरण –

(1) इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियमों के अधीन यथावर्गीकृत किसी संयुक्त कृषि सोसाइटी का ऐसा प्रत्येक सदस्य, जिसकी भूमियां संबंधित सोसाइटी की उपविधियों में वर्णित रीति से समूहीकृत कर ली गई हैं, संयुक्त कृषि सोसाइटी के साथ, ऐसी कालावधि को, जिसके लिए भूमि संयुक्त कृषि सोसाइटी में निहित होगी, तथा उस आधार को, जिस पर उसकी

आय का अंश अवधारित किया जायेगा तथा ऐसे अन्य मामलों को, जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट किये जायें, विनिर्दिष्ट करते हुए, एक करार निष्पादित करेगा।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उप–धारा (1) के अधीन निष्पादित कोई करार तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि ऐसा कराकर उस क्षेत्र पर, जिसमें भूमियां स्थित हैं, अधिकारिता रखने वाले सब–रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत नहीं कर लिया जाता है।

(3) उप–धारा (1) के अधीन करार द्वारा समूहीकृत की गई भूमियां ऐसे करार की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् सदस्यों में पुनः उसी तरह समाहित हो जाएगी, जैसी कि करार से पूर्व थीः

[1]{परन्तु जहां भूमि, सरकार या किसी नगरपालिक या किसी अन्य स्थानीय निकाय या सरकार के किसी भी अन्य संगठन द्वारा आवंटित की जाती है या पट्टे पर या किराये पर दी जाती है, वहां ऐसी भूमि संबंधित को वापस अभ्यर्पित हो जायेगी जहां सोसाइटी ने भूमि का ऐसे प्रयोजन के लिए, जिसके लिए उसे मूल रूप से आवंटित किया गया था या पट्टे पर या किराये पर दिया गया था, उपयोग में लेना बन्द कर दिया है।}

41. कतिपय मामलों में सोसाइटी के दावों की पूर्ति के लिए वेतन में से कटौती–

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य सोसाइटी के पक्ष में करार ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाये, यह उपबंध करते हुए निष्पादित कर सकेगा कि उसका नियोजक, नियोजक द्वारा उसे संदेय वेतन या मजदूरी में से ऐसी रकम, जो करार में विनिर्दिष्ट की जाये, काटने और इस प्रकार काटी गयी रकम का सदस्य द्वारा सोसाइटी को देय किसी ऋण या अन्य मांग की तुष्टि हेतु सोसाइटी को संदाय करने में सक्षम होगा।

(2) ऐसे किसी करार का निष्पादन हो जाने पर नियोजक, यदि सहकारी सोसाइटी द्वारा ऐसी लिखित अध्यपेक्षा की जाये और जब तक उक्त ऋण या मांग या उसका कोई भी भाग असंदत्त रहे, तब तक उस करार के अनुसार कटौती करेगा और इस प्रकार काटी गयी रकम, कटौती की तारीख से चौदह दिन के भीतर–भीतर, सोसाइटी को संदत्त करेगा।

---

[1] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा जोडा गया (04.04.2016 से प्रभावी)।

(3) जब किसी भी राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गयी किसी सोसाइटी से उस सोसाइटी के किसी ऐसे संदाय के संबंध में, जो तत्समय इस राज्य में नियोजित हो, लिखित अध्यपेक्षा नियोजक द्वारा प्राप्त की जाये तो अध्यपेक्षा पर इस प्रकार कार्रवाई की जायेगी मानो वह राज्य में की किसी सोसाइटी द्वारा ही की गयी है।

(4) यदि पूर्वगामी उप–धारा के अधीन की गई कोई अध्यपेक्षा प्राप्त होने के पश्चात्, नियोजक किसी भी समय, संबंधित सदस्य को संदेय वेतन या मजदूरी में से उक्त अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट रकम काटने में विफल रहे या काटी गई रकम सोसाइटी को प्रेषित करने में व्यतिक्रम करे तो नियोजक उस रकम के संदाय के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा तथा सोसाइटी की ओर से उससे उक्त रकम भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी और ऐसी बकाया रकम को, नियोजक के ऐसे दायित्व के संबंध में, बकाया मजदूरी की तरह पूर्विकता प्राप्त होगी।

(5) इस धारा के उपबंध उप–धारा (1) में निर्दिष्ट प्रकार के ऐसे समस्त करारों पर भी लागू होंगे, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को प्रवृत्त थे।

(6) इस धारा की कोई भी बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 में यथापरिभाषित रेल, तथा खानों और तेल क्षेत्रों में नियोजित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी।

42. किसी सहकारी सोसाइटी की पँजी में सदस्यों के शेयरों या हितों के सम्बन्ध में भार और मुजराई –

(1) सहकारी सोसाइटी को देय किसी भी ऋण या उसकी बकाया मांग के संबंध में, किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पँजी में शेयर या हितों पर तथा निक्षेपों पर, और किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य को संदेय किसी लाभांश, बोनस या लाभों पर, सहकारी सोसाइटी का भार होगा और वह किसी सदस्य की किसी भी जमा या उसे संदेय किसी राशि को, ऐसे किसी भी ऋण या बकाया मांग के संदाय के प्रति मुजरा कर सकेगीः

परन्तु ऐसे किसी वित्तीय बैंक का, जिससे कोई सहकारी सोसाइटी संबद्ध हो, सोसाइटी द्वारा वित्तीय बैंक में आरक्षित निधि के रूप में विनिहित की गयी किसी भी राशि पर कोई भार नहीं होगा यदि वह बैंक, सोसाइटी का एक मात्र ऋणदाता न हो और न वह ऐसी सोसाइटी के नाम जमा या उसे संदेय ऐसी किसी राशि को ऐसी सोसाइटी से शोध्य किसी ऋण के प्रति मुजरा करने का हकदार होगा।

(2) उप–धारा (1) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी सहकारी सोसाइटी को पँजी में किसी सदस्य का शेयर या हित ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य द्वारा उपगत किसी भी ऋण या दायित्व के संबंध में किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के अधीन कुर्की या विक्रय के दायित्वाधीन नहीं होगा और दिवाले से संबंधित किसी विधि के अधीन किसी शासकीय समनुदेशिती या प्रापक का ऐसे शेयर या हित पर कोई दावा या हक नहीं होगा।

43. कतिपय करों, फीस और शुल्कों से छूट –

(1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सहकारी सोसाइटियों के किसी वर्ग के संबंध में –

(क) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा या उसकी ओर से या उसके किसी अधिकारी या सदस्य द्वारा निष्पादित और ऐसी सोसाइटी के कारबार से संबंधित किसी लिखत या ऐसी लिखतों के किसी वर्ग के संबंध में या इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी अधिनिर्णय या आदेश के संबंध में, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से ऐसे मामलों में छूट दे सकेगी जिनमें यदि ऐसी छूट नहीं दी जाती तो, सहकारी सोसाइटी, अधिकारी या, यथास्थिति, सदस्य ऐसे स्टाम्प शुल्क का संदाय करने का दायी होता :

परन्तु इस खण्ड की कोई भी बात विनिमय–पत्रों, चैकों, वचन–पत्रों, उधार–पत्रों, प्रत्यय–पत्रों, बीमा पालिसियों, शेयरों के अन्तरणों, डिबेन्चरों, परोक्षियों और रसीदों पर लागू नहीं होगी;

(ख) दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण या न्यायालय फीस से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संदेय किसी फीस से छूट दे सकेगी;

(ग) (i) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या अधीन; या

(ii) किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा :

उद्‌गृहीत या अधिरोपित किसी भी कर, अतिकर, शुल्क या अधिभार से छूट से सकेगी।

(2) रजिस्ट्रीकरण अधिनिसम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 17 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) की कोई भी बात –

(क) सहकारी सोसाइटी के शेयरों से संबंधित किसी लिखत पर, इस बात के होते हुए भी कि सोसाइटी की आस्तियां सम्पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्थावर सम्पत्ति हैं; या

(ख) ऐसी किसी सोसाइटी द्वारा जारी किये गये और स्थावर सम्पत्ति पर या उसमें कोई भी अधिकार, हम या हित सृजित, घोषित, समनुदेशित, परिसीमित या समाप्त नहीं करने वाले, किन्हीं भी डिबेंचरों पर सिवाय वहां तक जहां तक कि वे धारक को ऐसी सुरक्षा का हकदार बनाते हैं जो किसी ऐसी रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा प्रदान की गयी है जिसके द्वारा सोसाइटी ने अपनी सम्पूर्ण स्थावर सम्पत्ति या उसका कोई भाग या उसमें कोई हित ऐसे डिबेंचरों के धारकों के लाभार्थ न्यासियों को न्यास पर बंधकित, हस्तांतरित या अन्यथा अंतरित किया है; या

(ग) ऐसी किसी सोसाइटी द्वारा जारी किये गये किसी डिबेंचर पर किये गये पृष्ठांकन या उसके अन्तरण पर,

लागू नहीं होगी।

अध्याय 7

सहकारी सोसाइटियों को राज्य सहायता

44. सरकार की वित्तीय भागीदारी या सहायता –

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, –

(क) किसी सहकारी सोसाइटी की शेयर पँजी में प्रत्यक्षतः अभिदाय कर सकेगी;

(ख) समुचित उपविधियों के अध्यधीन रहते हुए, शीर्ष सोसाइटी को अन्य सहकारी सोसाइटियों के शेयर खरीदने के लिए धन इस शर्त के अध्यधीन उपलब्ध करा सकेगी कि किसी भी सहकारी सोसाइटी के ऐसे शेयर, प्रत्येक मामले में सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय नहीं खरीदे जायेंगे;

(ग) सहकारी सोसाइटियों को उधार या अग्रिम दे सकेगी;

(घ) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा जारी किये गये डिबेंचरों के मूलधन का प्रतिसंदाय करने और उस पर ब्याज का संदाय करने की प्रत्याभूति दे सकेगी;

(ङ) किसी सहकारी सोसाइटी की शेयर पँजी और उस पर लाभांश का ऐसी दरों पर प्रतिसंदाय करने की, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, प्रत्याभूति दे सकेगी;

(च) किसी सहकारी सोसाइटी को दिये उधारों तथा अग्रिमों के मूलधन का प्रतिसंदाय करने और उन पर ब्याज का संदाय करने की प्रत्याभूति दे सकेगी;

(छ) किसी सहकारी सोसाइटी को सहायिकियों को सम्मिलित करते हुए किसी भी अन्य रूप में, वित्तीय सहायता दे सकेगी :

परन्तु सरकारी धन से या तो सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः या किसी भी अन्य सहकारी सोसाइटी के माध्यम से खरीदे गये किन्हीं भी शेयरों के संबंध में दायित्व, उसका परिसमापन होने की दशा में, ऐसे शेयरों के संबंध में संदत्त रकम तक सीमित होगा :

[1]{परन्तु यह और कि सरकार किसी लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी की कुल शेयर पँजी का पच्चीस प्रतिशत से अधिक धारित नहीं करेगी और ऐसी सोसाइटी या सरकार के पास सरकार को शेयर पँजी को और घटाने का विकल्प होगा।}

(2) किसी प्रतिकूल करार के होते हुए भी, सरकार ऐसी किसी भी सहकारी सोसाइटी के शेयरों पर ऐसी दर से उच्चतर दर पर लाभांश या ब्याज की हकदार नहीं होगी जिस पर ऐसा लाभांश या ब्याज सोसाइटी के किसी भी अन्य शेयर धारक को संदेय है।

45. मुख्य और समनुषंगी राज्य भागीदारी निधि –

(1) कोई शीर्ष सोसाइटी, जिसे धारा 44 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराया गया है, ऐसे धन से एक निधि स्थापित करेगी, जिसका नाम 'मुख्य राज्य भागीदारी निधि' होगा और उसका उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए करेगी अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं –

(क) अन्य सहकारी सोसाइटियों में शेयर सीधे ही खरीदने;

---

[1] 2010 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा जोडा गया (16.10.2009 से प्रभावी)।

(ख) केन्द्रीय सहकारी सोसाइटी को प्राथमिक सहकारी सोसाइटियों के शेयर खरीदने के लिए उस सोसाइटी को समर्थ बनाने हेतु धन उपलब्ध कराने;

(ग) सरकार को इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार संदाय करने।

(2) कोई केन्द्रीय सोसाइटी, जिसे किसी शीर्ष सोसाइटी द्वारा मुख्य राज्य भागीदारी निधि से उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन धन उपलब्ध कराया जाये, ऐसे धन से एक निधि स्थापित करेगी जिसका नाम 'समनुषंगी राज्य भागीदारी निधि' होगा और उसका उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए करेगी अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं –

(क) प्राथमिक सोसाइटियों में शेयर खरीदने;

(ख) शीर्ष सोसाइटी को इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार संदाय करने :

परन्तु या तो मुख्य या समनुषंगी राज्य भागीदारी निधि में जमा कोई रकम क्रमशः किसी शीर्ष या किसी केन्द्रीय सोसाइटी की आस्तियों का भाग नहीं होगी और ऐसी सोसाइटियों के परिसमापन की दशा में, मुख्य राज्य भागीदारी निधि में जमा या उसमें संदेय समस्त धन सरकार के खाते में जमा किया जायेगा जबकि समनुषंगी राज्य भागीदारी निधि में जमा या उसमें संदेय धन मुख्य राज्य भागीदारी निधि में जमा किया जायेगा।

46. शीर्ष और केन्द्रीय सोसाइटियों की क्षतिपूर्ति –

(1) यदि किसी सहकारी सोसाइटी, जिसमें शेयर मुख्य राज्य भागीदारी निधि से खरीदे गये हैं, का परिसमापन या विघटन हो जाता है तो सरकार का ऐसी शीर्ष सोसाइटी के विरूद्ध, जिसने शेयर खरीदे थे, ऐसी खरीद से हुई किसी हानि के संबंध में कोई दावा नहीं होगा किन्तु सरकार समापन की कार्यवाहियों में या, यथास्थिति, विघटन पर, शीर्ष सोसाइटी द्वारा प्राप्त किसी धन की हकदार होगी।

(2) यदि सहकारी सोसाइटी, जिसमें शेयर समनुषंगी राज्य भागीदारी निधि से खरीदे गये हैं, का परिसमापन या विघटन हो जाता है तो न तो सरकार का और न शीर्ष सोसाइटी का ऐसी केन्द्रीय सोसाइटी के विरूद्ध, जिसने शेयर खरीदे थे, ऐसी खरीद से हुई किसी हानि के संबंध में कोई दावा होगा किन्तु शीर्ष सोसाइटी समापन की कार्यवाहियों में या, यथास्थिति, विघटन पर, केन्द्रीय सोसाइटी द्वारा प्राप्त किसी धन की हकदार होगी और ऐसा धन मुख्य राज्य भागीदारी निधि में जमा कराया जायेगा।

अध्याय 8

सहकारी सोसाइटियों की सम्पत्तियां और निधियां

47. निधियों का विभाजित नहीं किया जाना –

किसी सहकारी सोसाइटी के शुद्ध लाभों से भिन्न निधियों के किसी भी भाग का, बोनस या लाभांश के रूप में संदाय या उसके सदस्यों के बीच अन्यथा वितरण नहीं किया जायेगाः

परन्तु किसी सदस्य को उसके द्वारा सहकारी सोसाइटी के लिए की गयी किन्हीं सेवाओं के लिये ऐसे मापमान से, जो उपविधियों द्वारा अधिकथित किया जाये, पारिश्रमिक, भत्ते या मानदेय संदत्त किये जा सकेंगे।

[1]{**47–क. प्रूडेनिशयल मानक. –**

कोई प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी जोखिम भारित आस्ति अनुपात के लिए पँजी को सम्मिलित करते हुए ऐसे प्रूडेनिशयल मानकों का अनुसरण करेगी जो राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से रजिस्ट्रार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किये जायें।}

48. शुद्ध लाभों का व्ययन –

(1) सहकारी सोसाइटी किसी वर्ष में अपने शुद्ध लाभों में से, –

(क) अपने लाभ का पच्चीस प्रतिशत, और ऐसी कालावधि के भीतर–भीतर, जो विहित की जाये, आरक्षित निधियों में अन्तरित करेगी;

(ख) लाभ का एक प्रतिशत जो विहित किया जाए, नियमों के अधीन गठित सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण निधि में जमा करेगी;

(ग) लाभ का ऐसा भाग, जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाये, हानि, यदि कोई हो, की पूर्ति करने के लिए उपविधियों के अधीन सृजित निधि में जमा करेगी; और

(घ) सदस्यों को उनकी समादत्त्र शेयर पँजी पर ऐसी दर से लाभांश का संदाय करेगी, जो विहित की जाए।

(2) शुद्ध लाभ के अतिशेष का उपयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा, अर्थात्:–

---

[1] 2010 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा जोडा गया (16.10.2009 से प्रभावी)।

(क) सदस्यों को सोसाइटी के साथ उनके द्वारा किये गये कारबार की मात्रा या परिमाण पर उपविधियों में विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा रीति से, प्रोत्साहन का संदाय;

(ख) ऐसी विशेष निधि का गठन या उसमें अभिदाय जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाये;

(ग) पूर्त विन्यास अधिनियम 1890 (1890 का केन्द्रीय अधिनियम 6) की धारा 2 में यथापरिभाषित किसी पूर्त प्रयोजन के लिए या सहकारी आन्दोलन को समर्पित किसी हेतुक के लिए, शुद्ध लाभ के दस प्रतिशत से अनधिक की रकम का संदाय;

(घ) सोसाइटी के कर्मचारियों को उपविधियों में विनिर्दिष्ट सीमा तक और रीति से बोनस का संदायः

[1]{परन्तु कोई लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी किसी ऐसी निधि, जो इसके शुद्ध मूल्य के उन्नयन के लिए स्थापित या संधारित की जाये, के सिवाय किसी अन्य निधि में अभिदाय करने के लिए आबद्ध नहीं होगीः

परन्तु यह और कि कोई प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से रजिस्ट्रार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार इसके शुद्ध लाभ के व्ययन का विनिश्चय और लाभांश की घोषणा कर सकेगी।}

49. निधियों का विनिधान –

कोई सहकारी सोसाइटी अपनी निधियों का विनिधान निम्नलिखित किसी एक या अधिक में करेगी, अर्थात्:–

(क) केन्द्रीय सहकारी बैंक;

(ख) शीर्ष सहकारी बैंक;

(ग) परिसीमित दायित्व वाली किसी अन्य सहकारी सोसाइटी द्वारा जारी किये गये शेयरों या प्रतिभूतियों या डिबेंचरों में;

(घ) नियमों द्वारा या सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा अनुज्ञात किसी अन्य ढंग से :

परन्तु इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, नागरिक सहकारी बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में प्रदत्त दिशा–निर्देश, यदि कोई हों, प्रभावशील रहेंगेः

---

[1] 2010 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा जोडा गया (16.10.2009 से प्रभावी)।

[1]{परन्तु यह और कि लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी अपनी निधियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी बैंक या वित्तीय संस्था में विनिहित या निक्षिप्त कर सकेगी।}

50. उधार लेने पर निर्बंधन –

[2](1) सहकारी सोसाइटी निक्षेप और उधार केवल ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन प्राप्त करेगी जो विहित की जायें या जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जायें।

[1](2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी –

(i) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी बैंक या वित्तीय संस्था से उधार ले सकेगी और राष्ट्रीय बैंक या किसी अन्य पुनर्वित्त एजेंसी से सीधे या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी वित्तीय संस्था के माध्यम से पुनर्वित्त प्राप्त कर सकेगी और उसके लिए केवल उस परिसंघीय स्तर जिससे यह सहबद्ध है, से वित्त प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा; और

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप जमाओं और उधारों पर ब्याज–दरें विनिश्चित कर सकेगी।

51. उधार देने की नीति –

(1) सहकारी सोसाइटी सदस्य से भिन्न किसी भी व्यक्ति को कोई उधार नहीं देगी।

(2) किसी प्राथमिक ग्राम सेवा सोसाइटी या कृषक सेवा सोसाइटी द्वारा किसी भी वर्ष में मंजूर किये जाने वाले उधार की कुल रकम का कम से कम एक तिहाई भाग और किसी भूमि विकास बैंक द्वारा किसी भी वर्ष में मंजूर किये जाने वाले उधार की कुल रकम के पच्चीस प्रतिशत से अन्यून ऐसे सदस्यों को मंजूर किया जायेगा जो कमजोर वर्गों के हों परन्तु जहां राज्य सरकार की राय में, ऐसा आरक्षण का भिन्न–भिन्न प्रतिशत नियत कर सकेगी।

(3) सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग द्वारा जंगम सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या स्थावर सम्पत्ति के बंधक पर, धन उधार दिया जाना प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित कर सकेगी।

---

[1] 2010 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा जोडा गया (16.10.2009 से प्रभावी)।

[2] 2010 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा पुनः संख्यांकित किया गया (16.10.2009 से प्रभावी)।

(4) उप–धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सहकारी सोसाइटी किसी निक्षेपकर्ता को उसके निक्षेप की प्रतिभूति पर उधार दे सकेगी।

(5) किसी वित्तीय बैंक की उधार देने की नीति सरकार द्वारा अनुमोदित की जायेगी :

परन्तु नागरिक सहकारी बैंकों के लिए जहां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में कोई दिशा–निर्देश जारी किये गये हों, प्रभावशाली होंगे।

[1](6) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, लघु अवधि साख संरचना सोसाइटी अपनी उधार नीतियां अवधारित कर सकेगी और सोसाइटी और इसके सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसके सदस्यों को व्यक्तिगत उधार विनिश्चित कर सकेगी।

52. गैर–सदस्यों के साथ अन्य संव्यवहारों पर निर्बंधन –

धारा 50 और 51 में यथा–उपबंधित के सिवाय, किसी सहकारी सोसाइटी का सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों के साथ संव्यवहार, ऐसे निर्बंधनों, यदि कोई हों, के अध्यधीन होगा, जो विहित किये जायें।

53. भविष्य निधि –

(1) सहकारी सोसाइटी अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए अभिदायी भविष्य निधि स्थापित कर सकेगी जिसमें सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार कर्मचारियों द्वारा और सोसाइटी द्वारा किये गये समस्त अभिदाय जमा किये जायेंगे।

(2) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा उप–धारा (1) के अधीन स्थापित अभिदायी भविष्य निधि, –

(क) का उपयोग सोसाइटी के कारबार में नहीं किया जायेगा;

(ख) सोसाइटी की आस्तियों का भाग नहीं होगी; और

(ग) कुर्की के दायित्वाधीन नहीं होगी या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की किसी अन्य आदेशिका के अध्यधीन नहीं होगी।

---

[1] 2010 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा जोडा गया (16.10.2009 से प्रभावी)।

अध्याय 9

लेखापरीक्षा, जांच और अधिभार

54. [1]लेखे और लेखापरीक्षा –

(1) प्रत्येक सोसाइटी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अपने लेखे, विहित प्ररूप और रीति से तैयार और संधारित करेगी।

[2]{(2) प्रत्येक सोसाइटी, सोसाइटी की समिति द्वारा उप–धारा (4) के अधीन अनुमोदित पैनल में से नियुक्त लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म द्वारा अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा करवायेगीः

परन्तु जहां सोसाइटी की समिति किसी लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म की नियुक्ति उसके लिए नियत समय में करने में विफल रहती है वहां रजिस्ट्रार, उप–धारा (4) के अधीन अनुमोदित पैनल में से, सोसाइटी की लेखापरीक्षा के लिए, किसी लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म की नियुक्ति कर सकेगाः

परन्तु यह और कि कोई भी लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म लगातार दो वर्ष से अधिक के लिए सोसाइटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए, नियुक्त नहीं की जायेगीः

परन्तु यह भी कि रजिस्ट्रार, किसी आदेश द्वारा, किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग के लेखाओं की किसी विशिष्ट कालावधि के लिए लेखापरीक्षा करवाने के लिए लेखापरीक्षक(कों) या लेखापरीक्षा फर्म(मों) की नियुक्ति कर सकेगा, जो सोसाइटी या, यथास्थिति, सोसाइटियों के वर्ग पर बाध्यकारी होगा।}

(3) प्रत्येक सोसाइटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा उस वित्तीय वर्ष की, जिससे ऐसे लेखे संबंधित हैं, समाप्ति के छह मास के भीतर–भीतर की जायेगी।

(4) रजिस्ट्रार, [2]{उप–धारा (2)} के प्रयोजनों के लिए, विहित रीति से, पात्र लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा फर्मों का पैनल तैयार, अनुमोदित और अधिसूचित करेगा।

(5) सोसाइटियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए पात्र लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा फर्मों के लिए न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव निम्नलिखित होगा, अर्थात्:–

(क) लेखापरीक्षक के मामले में, –

---

[1] 2013 का अधिनियम संख्यांक 17 द्वारा प्रतिस्थापित (24.04.2013 से प्रभावी)।

[2] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा प्रतिस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।

(i) यह चार्टर्ड अकाउण्टेंट अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 38) में यथा परिभाषित चार्टर्ड अकाउण्टेंट हो और उसे अर्हता पश्चात् लेखाओं की संपरीक्षा करने का तीन वर्ष का अनुभव हो; या

(ii) [1]वह राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग में सेवारत व्यक्ति हो, जो निरीक्षक से नीचे की रैंक का न हो;

(ख) लेखापरीक्षा फर्म के मामलें, वह चार्टर्ड अकाउण्टेंट अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 38) में यथा परिभाषित चार्टर्ड अकाउण्टेंटों की फर्म हो और उसे लेखाओं की लेखापरीक्षा का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।

(6) लेखापरीक्षक का खर्चा संबंधित सोसाइटी द्वारा निर्धारित और संदत्त किया जायेगाः

[1]{परन्तु उप–धारा (5) के खण्ड (क) के उप–खण्ड (ii) में निर्दिष्ट लेखा परीक्षकों और उप–धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक(कों) की फीस राज्य सरकार द्वारा विहित की जायेगी।}

(7) सोसाइटी, लेखापरीक्षक या, यथास्थिति, लेखापरीक्षा फर्म को सोसाइटी की समस्त पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, कागज पत्रों, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य सम्पत्तियों तक पहुंच को सुगम बनायेगी।

(8) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो सोसाइटी का कोई अधिकारी, या कर्मचारी या एजेंट है या किसी भी समय रहा है और सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य और भूतपूर्व सदस्य, सोसाइटी के संव्यवहारों और कार्यकरण के संबंध में ऐसी सूचना देगा, जिसकी लेखापरीक्षक या, यथास्थिति, लेखापरीक्षा फर्म अपेक्षा करे।

(9) लेखापरीक्षक या, यथास्थिति, लेखापरीक्षा फर्म को सोसाइटी के सभी नोटिस और वार्षिक साधारण बैठक में संबंधित प्रत्येक संसूचना प्राप्त करने का और ऐसी बैठक में उपस्थित होने और उसमें सुने जाने का अधिकार होगा।

---

[1] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा प्रतिस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।

[1]{(10) लेखापरीक्षक या, यथास्थिति, लेखापरीक्षा फर्म रजिस्ट्रार द्वारा विहित प्ररूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगी और लेखापरीक्षा रिपोर्ट सोसाइटी को और रजिस्ट्रार को भी प्रस्तुत करेगी।}

(11) लेखापरीक्षक या, यथास्थिति, लेखापरीक्षा फर्म, जो लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा करती है, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय बैंक और रजिस्ट्रार को पृष्ठांकित करेगी।

[1]{(12) यदि रजिस्ट्रार की जानकारी में यह बात आती है कि प्रथमदृष्टया, किसी सोसाइटी में कोई वित्तीय अनियमितता हुयी है तो रजिस्ट्रार, ऐसी कालावधि के लिए, जिसके दौरान ऐसी अनियमितता होने का विश्वास है, विशेष लेखापरीक्षा करवा सकेगाः

परन्तु रजिस्ट्रार, यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुरोध किया जाये तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियत रीति और प्ररूप में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक की विशेष लेखापरीक्षा नियत समय के भीतर–भीतर करवाये जाने को सुनिश्चित करेगा।

(13) सोसाइटी, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि, सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा उस पर विचार और अनुमोदन के पश्चात् [2]{विहित रीति से} उसकी अनुपालन रिपोर्ट के साथ रजिस्ट्रार और उसकी संबद्ध सोसाइटी को भेजेगी।

(14) रजिस्ट्रार, शीर्ष सहकारी सोसाइटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार उसे राज्य विधान–मण्डल के समक्ष रखवायेगी।

(15) यदि राज्य विधान–मण्डल, उसके समक्ष रखी गयी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर कोई निदेश या सिफारिश करने का संकल्प करता है तो सोसाइटी यथाशक्य शीघ्र उन निदेशों या यथास्थिति, सिफारिशों का अनुपालन करेगी।}

55. रजिस्ट्रार द्वारा जांच –

(1) रजिस्ट्रार,

(क) ऐसी सहकारी सोसाइटी, जिससे कि संबंधित सोसाइटी सम्बद्ध है; या

(ख) सोसाइटी की समिति के सदस्यों के बहुमत; या

---

[1] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा प्रतिस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।

[2] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा अन्तःस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।

(ग) सोसाइटी के कुल सदस्यों की संख्या के दसवें भाग से अन्यून,

के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से या तो स्वयं या अपने लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के जरिये किसी सहकारी सोसाइटी के गठन, अवधि विशेष में किये गये कारबार और वित्तीय स्थिति के बारे में जांच कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार या उप–धारा (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को इस धारा के अधीन जांच के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:–

(क) उसकी सोसाइटी की या उसकी अभिरक्षा में की पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी तथा अन्य सम्पत्तियों तक सभी उचित समयों पर अबाध पहुंच होगी और वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिसके कब्जे में ऐसी कोई भी पुस्तकें, लेखे, दस्तावेज, प्रतिभूतियाँ, नकदी या अन्य सम्पत्तियाँ हों या जो उनकी अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी हों, सोसाइटी के मुख्यालय या उसकी किसी भी शाखा में उन्हें प्रस्तुत करने के लिए समन कर सकेगा;

(ख) वह ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसे सोसाइटी के किन्हीं कार्यकलापों की जानकारी है, सोसाइटी के मुख्यालय या उसकी किसी भी शाखा में अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए समन कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति की, शपथ पर परीक्षा कर सकेगा; और

(ग) (i) वह, सोसाइटी की किसी साधारण बैठक के लिए नोटिस की कालावधि विनिर्दिष्ट करने वाले किसी नियम, या उपविधि के होते हुए भी, सोसाइटी के अधिकारियों से, सोसाइटी के मुख्यालय या उसकी किसी भी शाखा पर ऐसे समय तथा स्थान पर साधारण बैठक बुलाने और ऐसे मामलों का, जिनके लिए उसके द्वारा निदेश दिया जाये, अवधारण करने का निदेश दे सकेगा और यदि सोसाइटी के अधिकारी ऐसी कोई बैठक बुलाने से इंकार करें या बुलाने में विफल रहें तो उसे स्वयं ऐसी बैठक बुलाने की शक्ति होगी;

(ii) उपखण्ड (i) के अधीन बुलायी गयी किसी बैठक को, सोसाइटी की उपविधियों के अधीन बुलायी गयी साधारण बैठक की समस्त शक्तियाँ होंगी और उसकी कार्यवाहियों का नियमन उपविधियों द्वारा होगा।

(3) सोसाइटी के ऐसे समस्त अधिकारी, सदस्य और कर्मचारी, जिनके कार्यकलापों के संबंध में इस धारा के अधीन अन्वेषण किया जाये, सोसाइटी के कार्यकलापों के संबंध में अपने पास की ऐसी जानकारी देंगे जिसकी रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अपेक्षा करे।

(4) रजिस्ट्रार किसी भी जांच को ऐसे अधिकारी से, जिसे वह न्यस्त की गयी है, प्रत्याहृत और उसे स्वयं करने या उसे ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जिसे वह उपयुक्त समझे, सौंपने के लिए सक्षम होगा।

(5) जब इस धारा के अधीन कोई जांच की जाती है तो रजिस्ट्रार जांच का परिणाम सोसाइटी को और उस सहकारी सोसाइटी को, यदि कोई हो, संसूचित करेगा जिससे वह सम्बद्ध है।

(6) रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा, सोसाइटी के या उसके वित्तीय बैंक के या किसी अन्य सोसाइटी के किसी भी अधिकारी को, जांच के परिणामस्वरूप पायी गयी त्रुटियों को, यदि कोई हों, आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर–भीतर ठीक करने के लिए ऐसी कार्रवाई करने का निदेश दे सकेगा, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये।

[1]{**55–क. रजिस्ट्रार द्वारा निरीक्षण. –**

(1) रजिस्ट्रार द्वारा स्वप्रेरणा से, स्वयं के द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, लिखित आदेश से, किसी सहकारी सोसाइटी की पुस्तकों का निरीक्षण किया जा सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार, या उप–धारा (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को इस धारा के अधीन निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:–

(क) सोसाइटी से संबंधित या उसकी अभिरक्षा में की पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य सम्पत्तियों तक समस्त युक्तियुक्त समयों पर उसकी अबाध पहुंच होगी और ऐसी पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी या अन्य सम्पत्तियों के कब्जाधारी या उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति को, ऐसे स्थान और समय पर, जो रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति

[1] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा अन्तःस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।

द्वारा निदेशित किया जाये, उन्हें प्रस्तुत करने के लिए समन कर सकेगा; और

(ख) वह, ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में उसको विश्वास है कि वह सोसाइटी के किन्हीं भी कार्यकलापों के बारे में जानकारी रखता है, किसी भी स्थान पर उसके समक्ष हाजिर होने के लिए समन कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति की शपथ पर परीक्षा कर सकेगा।

(3) सोसाइटी के समस्त अधिकारी, सदस्य और कर्मचारी, जिनकी पुस्तकें इस धारा के अधीन निरीक्षित की जायें, सोसाइटी के कार्यकलापों के संबंध में उनके कब्जे में की ऐसी सूचना देंगे, जो रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अपेक्षित हो।

(4) रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा, सोसाइटी या सोसाइटी के किसी अधिकारी या उसके वित्तपोषण बैंक या किसी भी अन्य संगठन को ऐसे समय के भीतर–भीतर, जो इसमें विनिर्दिष्ट किया जाये, ऐसी कार्रवाई करने के लिए, जो निरीक्षण के परिणामस्वरूप प्रकट की गयी कोई त्रुटि, यदि कोई हो, के उपचार के लिए आदेश में विनिर्दिष्ट हो, निदेश दे सकेगा।}

56. वित्तीय बैंक द्वारा पुस्तकों का निरीक्षण. –

किसी वित्तीय बैंक को किसी सहकारी सोसाइटी की, जो उसकी ऋणी है, पुस्तकों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। निरीक्षण या तो वित्तीय बैंक के किसी अधिकारी द्वारा या उसके वेतन पाने वाले स्टॉफ के ऐसे किसी सदस्य द्वारा किया जा सकेगा, जो ऐसे बैंक [1]{के मुख्य कार्यपालक अधिकारी} की सिफारिश पर रजिस्ट्रार द्वारा ऐसा निरीक्षण करने के लिए सक्षम प्रमाणित हो। इस प्रकार निरीक्षण करने वाले अधिकारी या सदस्य की सोसाइटी की या उसकी अभिरक्षा में की पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य सम्पत्तियों तक समस्त उचित समयों पर अबाध पहुंच होगी और वह ऐसी सूचना, विवरण और विवरणियों की अपेक्षा भी कर सकेगा जो सोसाइटी की वित्तीय स्थिति की और वित्तीय बैंक द्वारा उसे उधार दी गई राशियों की संरक्षा के अभिनिश्चयन के लिए आवश्यक हों।

---

[1] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा प्रतिस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।

57. अधिभार –

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गयी किसी लेखापरीक्षा, जांच, निरीक्षण या किसी समापक की रिपोर्ट के आधार पर रजिस्ट्रार की जानकारी में यह आता है कि किसी व्यक्ति ने, जिसने ऐसी सोसाइटी के संगठन या प्रबंध में कोई भाग लिया है या जो सोसाइटी का कोई अधिकारी या कर्मचारी है या किसी भी समय रहा है, इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के उपबंधों के प्रतिकूल कोई संदाय कर दिया है या जानबूझकर उपेक्षा करके सोसाइटी की आस्तियों में कमी कर दी है या ऐसी सोसाइटी के धन या अन्य सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया है या उसे कपटपूर्वक रख लिया है तो रजिस्ट्रार ऐसे व्यक्ति के आचरण के बारे में स्वयं जांच कर सकेगा या अपने द्वारा इस निमित्त लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को जांच करने के निदेश दे सकेगाः

परन्तु इस धारा के अधीन आचरण की कोई जोच ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा नहीं की जायेगी जिसने उसी मामले में पूर्व में लेखापरीक्षा, जांच, निरीक्षण या समापन की रिपोर्ट प्रस्तुत की हैः

परन्तु यह और कि ऐसी कोई भी जांच किसी कार्य या लोप की तारीख से छह वर्श की समाप्ति के पश्चात् या ऐसे कार्य या लोप का रजिस्ट्रार को ज्ञान होने की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं की जायेगीः

परन्तु यह भी कि समान्य कारबारी समझबूझ के साथ सोसाइटी के हित में किये गये किसी कार्य या विनिश्चय के कारण हुई कोई कारबारी हानि ऐसी जांच की विषयवस्तु नहीं होगी।

(2) जहाँ उप–धारा (1) के अधीन कोई जांच की जाये, वहां रजिस्ट्रार, संबंधित व्यक्ति को अपना मामला अभ्यावेदित करने का अवसर देने के पश्चात्, उससे धन या सम्पत्ति या उसके किसी भाग का ऐसी दर से ब्याज सहित प्रतिसंदाय करने या प्रत्यावर्तित करने या ऐसी सीमा तक अभिदाय और खर्चों का या प्रतिकर का संदाय करने की अपेक्षा करते हुए आदेश कर सकेगा जिसे रजिस्ट्रार न्यायोचित और साम्यपूर्ण समझे।

(3) यह धारा इस बात के होते हुए भी लागू होगी कि ऐसे व्यक्ति या अधिकारी ने अपने किसी कार्य या लोप के कारण आपराधिक दायित्व उपगत कर लिया हो।

स्पष्टीकरण :– [1]{ x x x }

---

[1] 2003 का अधिनियम संख्यांक 11 द्वारा हटाया गया (08.04.2003 से प्रभावी)।

अध्याय 10

विवादों का निपटारा

58. विवाद जो माध्यस्थम् को निर्दिष्ट किये जा सकेंगे –

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सहकारी सोसाइटी के गठन, प्रबंध या कारबार के संबंध में –

(क) सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों तथा सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों की मार्फत दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच, या

(ख) किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की मार्फत दावा करने वाले व्यक्ति और सोसाइटी, उसकी समिति या सोसाइटी के किसी अधिकारी, एजेन्ट या कर्मचारी के बीच, या

(ग) सोसाइटी या उसकी समिति और सोसाइटी की किसी भूतपूर्व समिति, किसी अधिकारी, एजेन्ट या कर्मचारी, या किसी भूतपूर्व अधिकारी, भूतपूर्व एजेन्ट या भूतपूर्व कर्मचारी, या किसी मृत अधिकारी, मृत एजेन्ट या मृत कर्मचारी के नामनिर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधियों के बीच, या

(घ) सोसाइटी और किसी अन्य सोसाइटी के बीच, या

(ङ) सोसाइटी और किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के, या सदन से भिन्न ऐसे किसी व्यक्ति के, जिसे सोसाइटी द्वारा उधार दिया गया है या जिसके साथ सोसाइटी का धारा 52 के अधीन कोई संव्यवहार है या था, प्रतिभू के बीच, चाहे ऐसा कोई प्रतिभू किसी सोसाइटी का सदस्य हो या नहीं,

कोई विवाद उद्भूत हो तो ऐसा विवाद विनिश्चय के लिए रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट किया जायेगा और किसी भी न्यायालय को ऐसे विवाद के संबंध में कोई वाद या अन्य कार्यवाही गृहीत करने की अधिकारिता नहीं होगीः

परन्तु सोसाइटी और उसके कर्मचारियों के बीच ऐसे विवाद, जिनके लिए उपचार कर्मचारियों पर लागू सेवा विधियों के उपबंधों के अधीन उपलब्ध हैं, इस धारा के अधीन गृहीत नहीं किये जायेंगे।

(2) उप–धारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित विवाद भी किसी सहकारी सोसाइटी के गठन, प्रबन्ध या कारबार से संबंध रखने वाले विवाद समझे जायेंगे, अर्थात्:–

(क) सोसाइटी द्वारा ऐसे किसी ऋण या मांग के लिए दावा, जो उसे किसी सदस्य या किसी मृत सदस्य के नामनिर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा देय हो, चाहे ऐसा ऋण या मांग स्वीकार की गयी हो या नहीं;

(ख) किसी प्रतिभू द्वारा मूल ऋणी के विरूद्ध दावा, जहां सोसाइटी ने मूल ऋणी द्वारा उसे देय किसी ऋण या मांग के संबंध में, मूल ऋणी द्वारा उसे चुकाने में व्यतिवम करने के कारण, प्रतिभू से कोई रकम वसूल कर ली हो, चाहे ऐसा ऋण या मांग स्वीकार की गयी हो या नहीं;

(ग) ऐसा कोई विवाद जो सोसाइटी के किसी अधिकारी के निर्वाचन के संबंध में उद्‌भूत होः

परन्तु इस खण्ड के अधीन कोई भी विवाद, निर्वाचन कार्यक्रम से प्रारम्भ होने वाली और परिणामों की घोषणा पर समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान गृहीत नहीं किया जायेगा।

(3) यदि ऐसा कोई प्रश्न उद्‌भूत हो कि आया इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट कोई विवाद किसी सहकारी सोसाइटी के गठन, प्रबन्ध या कारबार से संबंध रखने वाला कोई विवाद है तो उस पर रजिस्ट्रार का विनिश्चय अंतिम होगा और उसे किसी भी न्यायालय से प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

59. परिसीमा –

(1) परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का केन्द्रीय अधिनियम 36) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम में किये गये विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, रजिस्ट्रार को धारा 58 के अधीन निर्दिष्ट किसी विवाद की दशा में परिसीमा की कालावधि, –

(क) जब विवाद किसी सोसाइटी को उसके किसी सदस्य द्वारा देय किसी राशि की, जिसमें उस पर लगने वाला ब्याज सम्मिलित है, वसूली के संबंध में हो तो, ऐसी तारीख से संगणित की जायेगी, जिसको ऐसे सदस्य की मृत्यु हो या वह सोसाइटी का सदस्य नहीं रहे;

(ख) जब विवाद किसी सोसाइटी या उसकी समिति, किसी भूतपूर्व समिति, किसी भूतपूर्व या वर्तमान अधिकारी, या भूतपूर्व या वर्तमान एजेन्ट, या भूतपूर्व या वर्तमान सेवक या सोसाइटी के किसी मृत अधिकारी, मृत एजेन्ट या मृत

सेवक के नामनिर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधि, किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के या किसी मृत सदस्य के नामनिर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधि के बीच हो या दो सहकारी सोसाइटियों के बीच हो और जब विवाद, विवाद के किसी भी पक्षकार के किसी कार्य या लोप के संबंध में हो तो, ऐसी तारीख से छह वर्ष की होगी जिसको विवादग्रस्त कार्य या लोप हुआ था;

(ग) जब विवाद ऐसी किसी सोसाइटी, जिसके परिसमापन के आदेश धारा 61 के अधीन दिये गये हैं, या जिसके संबंध में धारा 30 के अधीन कोई प्रशासक नियुक्त किया गया है के गठन, प्रबंध या कारबार संबंधी किसी मामले के बारे में हो तो, ऐसी तारीख से छह वर्ष की होगी जिसको धारा 61 या, यथास्थिति, धारा 30 के अधीन, उक्त आदेश जारी किया गया;

(घ) जब विवाद, सोसाइटी के किसी पदाधिकारी के निर्वाचन के संबंध में हो तो ऐसी तारीख से एक मास की होगी जिसको पिर्वाचन का परिणाम घोषित किया गया।

(2) पूर्वगामी उप–धारा में वर्णित विवादों को छोड़कर ऐसे किन्हीं अन्य विवादों की दशा में, जिन्हें धारा 58 के अधीन रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है, परिसीमा की कालावधि, परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का केन्द्रीय अधिनियम 36) के उपबंधों द्वारा इस प्रकार विनियमित होगी मानो वह विवाद कोई वाद हो और रजिस्ट्रार कोई सिविल न्यायालय हो।

(3) उप–धारा (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार किसी विवाद को परिसीमा की कालावधि के समाप्त हो जाने के पश्चात् भी ग्रहण कर सकेगा यदि आवेदक, रजिस्ट्रार का यह समधान कर दे कि उसके पास विवाद को ऐसी कालावधि के भीतर निर्देशित नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था।

60. विवादों का माध्यस्थम् को निर्देश –

(1) रजिस्ट्रार विवाद का जो धारा 58 के अधीन निर्देश की प्राप्ति पर, –

(क) विवाद का स्वयं विनिश्चय कर सकेगा, या

(ख) उसे निपटारे के लिए ऐसे व्यक्ति को अन्तरित कर सकेगा जिसमें सरकार द्वारा इस निमित्त शक्तियाँ विनिहित की गयी हों, या

(ग) उसे निपटारे के लिए किसी मध्यस्थ को जो उसके लिए विहित पात्रता रखता हो, निर्देशित कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार, उप–धारा (1) के अधीन निपटारे के लिए अन्तरित या निर्दिष्ट किसी भी निर्देश को वापस ले सकेगा और या तो उसका विनिश्चय स्वयं कर सकेगा या उसे उक्त उप–धारा के खण्ड (ख) या (ग) में उल्लिखित अन्य व्यक्ति या मध्यस्थ को निपटारे हेतु पुनः अन्तरित या निर्दिष्ट कर सकेगा यदि वह व्यक्ति या मध्यस्थ, जिसे विवाद प्रथमतः अन्तरित या निर्दिष्ट किया गया था –

(i) मर जाता है, पद त्याग देता है या स्थानांतरित कर दिया जाता है; या

(ii) कार्य करने में असमर्थ हो गया है या उसके विरूद्ध अवचार या भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है; या

(iii) कार्य करने में उपेक्षा करता है या करने से इंकार करता है।

(3) रजिस्ट्रार या ऐसा कोई भी अन्य व्यक्ति जिसे इस धारा के अधीन कोई विवाद विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाये, विवाद का विनिश्चय न होने तक, ऐसे अन्तर्वर्ती आदेश कर सकेगा जो वह न्याय के हित में आवश्यक समझे।

अध्याय 11

सहकारी सोसाइटियों का परिसमापन और विघटन

61. सहकारी सोसाइटियों का परिसमापन –

(1) जहाँ धारा 54 के अधीन संचालित किसी लेखापरीक्षा या धारा 55 के अधीन की गयी किसी जांच के आधार पर या तत्प्रयोजनार्थ बुलायी गयी किसी विशेष साधारण बैठक में परित किसी विशेष संकल्प सहित किया गया कोई आवेदन प्राप्त होने पर [1]{या अन्यथा} रजिस्ट्रार की जानकारी में यह आये कि –

(क) सोसाइटी के सदस्यों की संख्या या समादत्त शेयर पँजी की रकम सोसाइटी के ऐसे वर्ग के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर से कम हो गयी है; या

(ख) सोसाइटी ने उसके रजिस्ट्रीकरण के दो वर्ष के पश्चात् भी कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है या ऐसे प्रमुख उद्देश्यों को पूरा कर लिया है जिनके लिए उसका गठन किया गया था या उसके प्रमुख उद्देश्यों के अनुसार कार्य

[1] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा अन्तःस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।

करना बन्द कर दिया है [1]{या अधिनियम या नियमों या इसकी उपविधियों के उपबंधों का बार–बार अतिक्रमण करता रहा है,}

तो वह, सोसाइटी को अपाना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात्, ऐसी सोसाइटी के परिसमापन का निदेश देते हुउ कोई आदेश जारी कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार ऐसे किसी मामले में, जिसमें उसकी राय में सोसाइटी को विद्यमान बने रहना चाहिए, किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन के किसी आदेश को ऐसा किये जाने के कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भी समय रद्द कर सकेगा।

[2]{(3) उप–धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी शीर्ष सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक के परिसमापन का आदेश भारतीय रिजर्व बैंक की लोकहित में इस आशय की सिफारिश के एक मास के भीतर–भीतर जारी कर दिया जायेगा।}

62. बीमाकृत सहकारी बैंक –

इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के मामले में –

(i) बैंक के परिसमापन का कोई आदेश, या उसके साथ समझौते या ठहराव की या उसके समामेलन या पुनर्निर्माण (जिसमें विभाजन या पुनर्गठन सम्मिलित है) की किसी स्कीम की मंजूरी का कोई आदेश केवल भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से किया जा सकेगा;

(ii) यह निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 47) की धारा 13घ में निर्दिष्ट परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो बैंक के परिसमापन का आदेश रजिस्ट्रार द्वारा [3]{एक मास के भीतर–भीतर} किया जायेगा;

(iii) यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, लोकहित में या बैंक के कार्यकलापों को जमाकर्त्ताओं के हित के लिए हानिकर रीति से चलाये जाने से रोकने के लिए या बैंक का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए ऐसी अपेक्षा की जाये तो [3]{रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी अपेक्षा के एक मास के भीतर–भीतर} बैंक की समिति या अन्य प्रबंध निकाय (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये) को

---

[1] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा अन्तःस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।

[2] 2010 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा जोडा गया (16.10.2009 से प्रभावी)।

[3] 2010 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा अन्तःस्थापित (16.10.2009 से प्रभावी)।

हटाये जाने का और उसके लिए कुल मिलाकर [1]{एक वर्ष} से अनधिक की ऐसी कालावधि या कालावधियों के लिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की जायें, प्रशासक की नियुक्ति का आदेश किया जायेगा और इस प्रकार नियुक्त प्रशासक अपनी पदावधि की समाप्ति के पश्चात् नयी समिति की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्व पूर्ववर्ती दिन तक पदारूढ़ रहेगा;

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से या उसकी अध्यपेक्षा पर, खण्ड (i), (ii) या (iii) में यथानिर्दिष्ट किये गये किसी आदेश के विरूद्ध कोई अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन नहीं होगा या अनुज्ञेय नहीं होगा और ऐसा आदेश या मंजूरी किसी भी रीति से प्रश्नगत किये जाने की दायी नहीं होगी;

(v) समापक या बीमाकृत सहकारी बैंक या, यथास्थिति, अन्तरिती बैंक निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 47) के अधीन स्थापित निक्षेप बीमा निगम को उस अधिनियम की धारा 21 में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, सीमा तक और रीति से निक्षेप का प्रतिसंदाय करने के लिए बाध्य होगा।

स्पष्टीकरण :–

(i) इस धारा के प्रयोजनार्थ "सहकारी बैंक" से ऐसा बैंक अभिप्रेत है जो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 47) में परिभाषित किया गया है।

(ii) "बीमाकृत सहकारी बैंक" से ऐसा सहकारी बैंक अभिप्रेत है जो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 47) के उपबंधों के अधीन कोई बीमाकृत बैंक है।

(iii) "अन्तरिती बैंक" से, किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के संबंध में, कोई ऐसा सहकारी बैंक अभिप्रेत है –

(क) जिसके साथ ऐसा बीमाकृत सहकारी बैंक समामेलित किया गया है; या

[1] 2013 का अधिनियम संख्यांक 17 द्वारा 'पांच वर्ष' के स्थान पर प्रतिस्थापित (24.04.2013 से प्रभावी)।

(ख) जिसे ऐसे बीमाकृत सहकारी बैंक की आस्तियाँ और दायित्व अंतरित किये गये हैं; या

(ग) जिसमें इस अधिनियम की धारा 12 या 13 के उपबंधों के अधीन ऐसे बीमाकृत सहकारी बैंक को विभाजित या पुनर्गठित किया गया है।

63. समापक –

(1) जहाँ रजिस्ट्रार ने धारा 61 के अधीन किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन के लिए कोई आदेश किया हो वहां वह, तत्प्रयोजनार्थ, किसी राज्य कर्मचारी को जो सहकारी निरीक्षणक से नीचे की रैंक का न हो, समापक नियुक्त कर सकेगा और उसका पारिश्रमिक नियत कर सकेगा।

(2) समापक, नियुक्त हो जाने पर, ऐसी सारी सम्पत्ति, चीजबस्त और अनुयोज्य दावे, जिनकी सोसाइटी हकदार है या हकदार प्रतीत होती है, अपनी अभिरक्षा में या नियंत्रण में ले लेगा और ऐसी सम्पत्ति, चीजबस्त और दावों को हानि, क्षय या नुकसान से बचाने के लिए ऐसे कदम उठायेगा जो वह आवश्यक या समीचीन समझे।

(3) जहां धारा 104 के अधीन कोई अपील की जाये वहां धारा 61 के अधीन किया गया किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन का कोई आदेश तत्पश्चात् तब तक प्रवर्तित नहीं होगा जब तक कि अपील में आदेश की पुष्टि न कर दी जाये:

परन्तु समापक उप–धारा (2) में उल्लिखित सम्पत्ति, चीजबस्त और अनुयोज्य दावों को अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में रखे रहेगा और उसे उस उप–धारा में निर्दिष्ट किये गये कदम उठाने का प्राधिकार होगा।

(4) जहां किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन का आदेश अपील में अपास्त कर दिया जाये वहाँ सोसाइटी की सम्पत्ति, चीजबस्त और अनुयोज्य दावे सोसाइटी में पुनः निहित हो जायेंगे।

64. समापक की शक्तियाँ –

(1) इस निमित्त बनाये गये किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी किसी सहकारी सोसाइटी की, जिसके संबंध में परिसमापन का आदेश कर दिया गया है, संपूर्ण आस्तियां ऐसी तारीख से, जिसको आदेश प्रभाव में आये, धारा 63 के अधीन नियुक्त समापक में निहित हो जायेंगी और समापक को ऐसी आस्तियों को विक्रय द्वारा या अन्यथा वसूल करने की शक्ति होगी।

(2) ऐसे समापक को रजिस्ट्रार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित शक्तियां भी होगी :–

(क) सहकारी सोसाइटी की ओर से अपने पदनाम से वाद तथा अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित करना और उनका प्रतिवाद करना;

(ख) सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों या मृत सदस्यों की संपदा में से या उनके नामनिर्देशितियों, वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा या किन्हीं अधिकारियों या भूतपूर्व अधिकारियों द्वारा सोसाइटी की आस्तियों के प्रति दिया जाने वाला या दिये जाने के लिए शेष रहा अभिदाय (जिसमें शोध्य ऋण सम्मिलित हैं) समय–समय पर अवधारित करना;

(ग) सहकारी सोसाइटी के विरूद्ध समस्त दावों का अन्वेषण करना और, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, दावेदारों के मध्य उत्पन्न होने वाले पूर्विकता के प्रश्नों को नियमों के अनुसार विनिश्चित करना;

(घ) सहकारी सोसाइटी के विरूद्ध दावों का, जिनमें परिमसापन की तारीख तक का ब्याज सम्मिलित है, उनकी अपनी–अपनी पूर्विकताओं, यदि कोई हों, के अनुसार पूर्णतः या अनुपाततः ऐसे संदाय करना जैसा कि सोसाइटी की आस्तियां अनुज्ञात करें, ऐसी अधिशेष राशि, यदि कोई हों, जो दावों का संदाय कर देने के पश्चात् बच रहे, परिसमापन के ऐसे आदेश की तारीख से ब्याज की ऐसी दर पर, जो उसके द्वारा नियत की जाये किन्तु तो किसी भी स्थिति में, संविदा की दर से अधिक न हो, संदाय करने में प्रयुक्त की जायेगी;

(ङ) यह अवधारित करना कि समापन के खर्चे किन व्यक्तियों द्वारा किस अनुपात में विहित किये जायेंगे;

(च) यह अवधारित करना कि क्या कोई व्यक्ति सदस्य है, भूतपूर्व सदस्य है या किसी मृत सदस्य का नामनिर्देशिती है;

(छ) सोसाइटी की आस्तियों के संग्रहण और वितरण के संबंध में ऐसे निदेश देना जो उसे सोसाइटी के कार्यकलापों का परिसमापन करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो;

(ज) सोसाइटी के कारबार को, जहां तक वह उसके फायदाप्रद परिसमापन के लिए आवश्यक हो, चलाना;

(झ) लेनदारों से या लेनदार होने का दावा करने वाले व्यक्तियों से या उन व्यक्तियों से, जिनका कोई वर्तमान या भावी दावा है या ऐसा दावा होने का अभिकथन करते हैं, जिससे कि सोसाइटी दायी बन सकती हो, कोई समझौता या ठहराव करना;

(ञ) समस्त मांगों या मांगों और ऋणों संबंधी दायित्वों और ऐसे दायित्वों, जो परिणामतः ऋण हो सकते हैं, के संबंध में और उक्त सोसाइटी तथा किसी अभिदायी या अभिकथित अभिदायी या अन्य ऋणी या ऐसे व्यक्ति, जिसका उक्त सहकारी सोसाइटी का देनदार होना संभव हो, के बीच समस्त दावों का, चाहे वे वर्तमान हों या भावी, निश्चित हों या समाश्रित, अस्तित्वयुक्त हों या अस्तित्वयुक्त होना अनुमानित हो तथा उक्त सोसाइटी की आस्तियों या परिसमापन से संबंधित या उन पर प्रभाव डालने वाले समस्त प्रश्नों का ऐसे निबंधनों पर, जो आपस में तय हो जायें, समझौता करना और उक्त किसी भी मांग, दायित्व, ऋण या दावें के उन्मोचन के लिए कोई प्रतिभूति स्वीकार करना और उनके संबंध में संपूर्ण उन्मोचन प्रदान करना;

(ट) ऐसी अवधि या अवधियाँ नियत करना, जिनके भीतर–भीतर लेनदार अपने ऐसे ऋणों तथा दावों को सिद्ध करेंगे जो उक्त ऋण या दावे सिद्ध होने के पूर्व किये जाने वाले किसी वितरण के फायदे में शामिल किये जाने हों:

[1]{(ठ) रजिस्ट्रार के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, सोसाइटी के ऐसे दावों को, जो समस्त संभव प्रयासों के पश्चात् दावे अमोचनीय पाये जाते हैं, अपलिखित करना;

(ड) सोसाइटी के विरूद्ध किसी दावे को पूर्णतः या भागतः 'संदेय नहीं' के रूप में घोषित करना, जहां ऐसे दावों के संदाय के लिए सोसाइटी के पास मोचनीय स्त्रोत नहीं हैं;

(ढ़) सरकार का, ऐसी रीति से जैसा कि विहित किया जाये, किसी स्थावर संपत्ति का अभ्यर्पण और अंतरण करना करना जहां रजिस्ट्रार की राय में ऐसा किया जाना व्यापक लोकहित में हो;

(ण) किसी स्थावर संपत्ति जैसे सामुदायिक केन्द्र को, जो उस क्षेत्र के स्थानीय निवासियों द्वारा उनके सामान्य कल्याण और सामुदायिक क्रियाकलापों के

[1] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा जोडा गया (04.04.2016 से प्रभावी)।

लिए उपयोग में लिया जा रहा है, सरकार की विशेष अनुज्ञा से ऐसे निवासियों की किसी सोसाइटी को, जो इसकी उपविधियों में किन्हीं भी अन्य उद्देश्यों के बिना ऐसे निवासियों के सामान्य हित में अनन्य रूप से गठित की गयी है, इा आशय से न्यस्त करनाः

परन्तु यदि यह पाया जाता है कि निवासियों की सोसाइटी को सामुदायिक क्रियाकलापों के लिए न्यस्त की गयी संपत्ति, ऐसे सामुदायिक क्रियाकलापों जिनके लिए इसे सोसाइटी को न्यस्त किया गया था, से भिन्न किसी क्रियाकलाप के लिए उपयोग में ली जा रही है, तो ऐसी संपत्ति सरकार को वापस प्रतिवर्तित हो जायेगीः}

[1]{परन्तु यह और कि} कोई भी समापक किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य से या किसी मृत सदस्य के नामनिर्देशिती, वारिस या, प्रतिनिधि से वसूलीय अभिदाय, ऋण या उनके द्वारा देय राशि तब तक अवधारित नहीं करेगा जब तक ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य को या मृत सदस्य के नामनिर्देशिती, वारिस या प्रतिनिधि को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया हो।

(3) जब किसी सहकारी सोसाइटी के कार्यकलाप परिसमापित हो गये हों तो समापक रजिस्ट्रार को उसकी रिपोर्ट देगा और सोसाइटी के अभिलेख ऐसे स्थान पर जमा करेगा जैसा रजिस्ट्रार द्वारा निर्दिष्ट किया जाये।

65. परिसमापन की कार्यवाहियों का पर्यवसान –

(1) किसी सोसाइटी के परिसमापन की कार्यवाहियां, जब तक कि रजिस्ट्रार द्वारा कालावधि बढ़ायी नहीं जाये, परिसमापन के आदेश की तारीख से तीन वर्ष के भीतर–भीतर पूरी की जायेगीः

परन्तु रजिस्ट्रार ऐसी कालावधि की वृद्धि एक बार में एक वर्ष और कुल मिलाकर दो वर्ष से अधिक नहीं करेगा।

(2) यदि परिसमापन की कार्यवाहियां ऐसे समय के भीतर–भीतर जो उप–धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा बढ़ाया जाये, पूरी नहीं होती है तो रजिस्ट्रार उस मामले को उसके कारणों सहित सरकार को निर्दिष्ट करेगा और तत्पश्चात् सरकार द्वारा प्रत्येक वैयक्तिक मामले में जारी किये गये निदेशों के अनुसार कार्य करेगा।

66. अधिशेष आस्तियों का निपटारा –

---

[1] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा प्रतिस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।

रद्द हुई सोसाइटी की समादत्त शेयर पँजी सहित समस्त दायित्वों के पूर्ण होने के पश्चात् अधिशेष आस्तियाँ उसके सदस्यों में विभाजित नहीं की जायेंगी अपितु वे सोसाइटी की उपविधियों में उल्लिखित किसी उद्देश्य या उद्देश्यों के लिए और जब कोई भी उद्देश्य इस प्रकार उल्लिखित नहीं हो तो, सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा अवधारित और रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित लोकोपयोग के किसी उद्देश्य को अर्पित की जायेंगी या जहाँ साधारण निकाय द्वारा कोई ऐसे उद्देश्य अवधारित नहीं किये गये हों, वे रजिस्ट्रार द्वारा निम्नलिखित में से किसी को या सभी को पूर्णतः या भागतः समनुदेशित की जा सकेंगी, अर्थात् :–

(क) लोकोपयोग का कोई उद्देश्य;

(ख) पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का केन्द्रीय अधिनियम 6) की धारा 2 में यथापरिभाषित कोई पूर्त प्रयोजन;

(ग) राज्य में सहकारी आन्दोलन के विकास के लिए और सहकारी सोसाइटियों को बेहतर सेवाएं मुहैया करने के लिए अवसंरचना के शासकीय विकास के लिए,

या वित्तीय बैंक के निक्षेप में, ऐसे ही उद्देश्यों वाली किसी नयी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत हो जाने के समय तक, रखी जा सकेंगी और तब रजिस्ट्रार की सहमति से ऐसा अधिशेष ऐसी नयी सोसाइटी की आरक्षित निधि में जमा किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण :– इस धारा के प्रयोजनार्थ 'रजिस्ट्रार' के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी नहीं आयेंगे, जिन्हें इस अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।

अध्याय 12

भूमि विकास बैंक

67. अध्याय का भूमि विकास बैंकों पर लागू होना –

यह अध्याय निम्नलिखित पर लागू होगाः–

(क) इसमें प्रगणित प्रयोजनों के लिए [1]{दीर्घकालीन} उधार से भिन्न उधार देने वाले सहकारी बैंक (जिसे इसमें आगे 'भूमि विकास बैंक' कहा गया है) अर्थात्:–

(i) भूमि सुधार और उत्पादक प्रयोजन;

(ii) कृषि प्रयोजनों के लिए मकानों का परिनिर्माण, पुनर्निर्माण या उनकी मरम्मत;

(iii) राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3), राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) या राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 24) तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन अभिधारियों का कृषकों द्वारा आवंटन के रूप में या अन्यथा कृषि भूमियों का क्रय या अर्जन;

(iv) राजस्थान कृषि ऋणिता अवमुक्ति अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 28) या राज्य के किसी भी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी तत्समान विधि के अधीन ऋणों का समापन;

(v) पशुपालन के विकास के लिए;

[2]{(ख) राष्ट्रीय बैंक द्वारा अनुमोदित विशेष स्कीमों के अधीन या इस हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित प्रयोजनों के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जायें, अल्पकालिक और मध्यम अवधि उधार देने वाले भूमि विकास बैंक,}

[2]{(ग)} भूमि विकास बैंक के रूप में कार्य करने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा अनुज्ञात कोई अन्य सहकारी बैंक।

स्पष्टीकरण :– इस धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति –

(i) 'अल्पकालिक उधार' से ऐसा उधार अभिप्रेत है जो अठारह मास से कम अवधि के लिए हो;

---

[1] 2013 का अधिनियम संख्यांक 17 द्वारा प्रतिस्थापित (24.04.2013 से प्रभावी)।

[2] 2013 का अधिनियम संख्यांक 17 द्वारा अन्तःस्थापित एवं खण्ड (ख) को खण्ड (ग) के रूप में पुनः संख्याकित किया गया (24.04.2013 से प्रभावी)।

(ii) 'मध्यम अवधि उधार' से ऐसा उधार अभिप्रेत है जो अठारह मास से पाँच वर्ष तक की कालावधि के लिए मंजूर किया जाता है; [1]{x x x}

[2](ii–क) "दीर्घकालीन उधार" से ऐसा उधार अभिप्रेत है जो न तो अल्कालिक और न ही मध्यम अवधि उधार हो; और

(iii) 'भूमि सुधार और उत्पादक प्रयोजन' से ऐसा कार्य, सन्निर्माण या क्रियाकलाप अभिप्रेत है जो भूमि की उत्पादकता में बढ़ोतरी करता है और विशिष्टतया इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं, अर्थात्:–

(क) कुओं (जिनमें नलकूप सम्मिलित हैं), तालाबों और ऐसे अन्य संकर्मों का सन्निर्माण और मरम्मत, जो कृषि प्रयोजन के लिए या मनुष्यों और कृषि में नियोजित पशुओं के उपयोग के लिए जल के भण्डारकरण, प्रदाय या वितरण के लिए हों;

(ख) पूर्वगामी संकर्मों में से किसी का नवीनीकरण या पुनर्निर्माण या उनमें परिवर्तन या परिवर्धन;

(ग) भूमि को सिंचाई के लिए तैयार करना;

(घ) जल निकास, कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि या कृषि योग्य बंजर भूमि का नदियों या अन्य जलाशयों से उद्धार या बाढ़ से या जल से होने वाले क्षय या अन्य हानियों से संरक्षण;

(ङ) मेड़बंदी और इसी प्रकार के अन्य सुधार;

(च) कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि का उद्धार, उसकी सफाई तथा बाड़ाबंदी या उसमें स्थायी सुधार;

(छ) उद्यान–कृषि;

(ज) इसमें वर्णित किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए तेल–ईंधन, पंपिंग सैट और विद्युत मोटरों का क्रय;

(झ) ट्रैक्टर या कृषि सम्बन्धी अन्य मशीनों का क्रय;

(ञ) भूमि में विशेष प्रकार की मृदा मिलाकर उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना;

---

[1] 2013 का अधिनियम संख्यांक 17 द्वारा हटाया गया (24.04.2013 से प्रभावी)।

[2] 2013 का अधिनियम संख्यांक 17 द्वारा अन्तःस्थापित (24.04.2013 से प्रभावी)।

(ट) स्थायी फार्म हाउसों, पशुशालाओं और किसी भी प्रक्रम पर कृषि उपज का प्रसंस्करण करने के लिए शैडों का सन्निर्माण;

(ठ) गन्ना नेरने की, गुड़ या खांडसारी या चीनी बनाने की मशीनों का क्रय;

(ड) राजस्थान जोत (समेकन और खंडकरण निवारण) अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 24) के अधीन जोतों के समेकन के लिए भूमि का क्रय; और

(ढ़) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जिन्हें राज्य सरकार समय–समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के प्रयोजन के लिए सुधार या उत्पादक प्रयोजन घोषित करे।

{राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 67 के स्पष्टीकरण (iii) (ढ़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "भूमि सुधार और उत्पादक प्रयोजन" के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रयोजन एतद् द्वारा सम्मिलित किये जाते हैंः–

1. ऋणी सदस्यों को चिकित्सा ऋण उपलब्ध कराना, 2. ऋणी सदस्यों को उचच शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध करवाना, 3. ऋणी सदस्यों को उपभोक्ता सामग्री क्रय करने हेतु ऋण उपलब्ध करवाना, 4. ऋणी सदस्यों को निजी कार्य हेतु वाहन ऋण उपलब्ध करवाना, 5. ऋणी कृषकों को निराई, गुड़ाई, कटाई, खेत तैयार करने, बिजली व कीटनाशक दवा हेतु ऋण उपलब्ध करवाना तथा 6. ऋणी सदस्यों को उन्नत चूल्हे हेतु ऋण उपलब्ध करवाना।

यह अधिसूचना इसके राजस्थान राज–पत्र में प्रकाशित की दिनांक से प्रभावी होगी। **अधिसूचना संख्या प. 17(1)सह/2000/पार्ट–1, दिनांक 03.08.2004, राजस्थान राजपत्र भाग–1–बी दिनांक 12.08.2004 में प्रकाशित।**}

{राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 67 के स्पष्टीकरण (iii) (ढ़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "भूमि सुधार और उत्पादक प्रयोजन" के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रयोजन एतद् द्वारा सम्मिलित किये जाते हैंः–

1. सौर ऊर्जा उपकरण हेतु ऋण, 2. पवन चक्की और विद्युत उत्पादन हेतु ऋण, 3. स्कूल, भवन एवं आधारभूत संरचना के विकास हेतु ऋण, 4. वर्मिंग कम्पोस्ट, एग्री क्लिनिक हेतु ऋण, 5. पर्यटन सेवाओं के विकास एवं अस्पताल, नर्सिंग होम/पैथोलोजी प्रयोगशाला

के लिए ऋण, 6. सड़क परिवहन/यात्री परिवहन वाहनों के लिए ऋण और 7. औषधीय पौधों के लिए ऋण।

यह अधिसूचना इसके राजस्थान राज–पत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावी होगी। **अधिसूचना संख्या प. 17(1)सह/2000/पार्ट–1, दिनांक 04.02.2005, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 1 (ख) दिनांक 10.02.2005 में प्रकाशित।**}

68. राज्य और अन्य भूमि विकास बैंक –

(1) राजस्थान राज्य के लिए एक राज्य भूमि विकास बैंक होगा तथा इतने इतने भूमि विकास बैंक होंगे, जितने आवश्यक समझे जायें।

(2) राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि या लिखत में किसी भूमि बंधक बैंक के प्रति निर्देश का अर्थ इस अधिनियम के प्रारम्भ से, इस अध्याय के अर्थान्तर्गत भूमि विकास बैंक के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा।

69. न्यासी की नियुक्ति, शक्तियां और कृत्य –

(1) राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा जारी किये गये डिबेंचरों के धारकों के प्रति उक्त बैंक के दायित्वों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु रजिस्ट्रार, या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, न्यासी होगा।

(2) न्यासी उन डिबेंचरों के लिए, जिनके सम्बन्ध में उसकी नियुक्ति हुई है, न्यासी के नाम से एक एकल निगम होगा और जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने निगम नाम से वाद चला सकेगा और उस नाम से उसके विरूद्ध वाद चलाया जा सकेगा।

(3) न्यासी की शक्तियां और उसके कृत्य इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा तथा राज्य भूमि विकास बैंक और न्यासी के बीच निष्पादित न्यास–लिखत, जैसी वह समय–समय पर उनके बीच आपसी करार से उपान्तरित की जाये, द्वारा विनियमित होंगे।

70. डिबेंचरों का जारी किया जाना –

(1) राज्य सरकार और न्यासी की पूर्व मंजूरी से तथा ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार अधिरोपित करे, भूमि विकास बैंक के रू‍प में अपने कृत्यों का निर्वहण करते हुए राज्य भूमि विकास बैंक ऐसे अभिदानों के डिबेंचर तीस वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए तथा ऐसी ब्याज दर पर, जो वह समीचीन समझे, बंधकों या अर्जित किये जाने वाले बंधकों की या आंशिक रूप से धारित बंधकों की और

आंशिक रूप से अर्जित किये जाने वाले बंधकों की और भूमि विकास बैंक की सम्पत्तियों तथा अन्य आस्तियों की प्रतिभूति पर जारी कर सकेगा।

(2) प्रत्येक डिबेंचर में, ऐसी कालावधि, जो उसके जारी किये जाने की तारीख से तीस वर्ष से अधिक की नहीं होगी और जिसके दौरान उसका मोचन किया जा सकेगा, नियत करते हुए एक निबन्धन रखा जायेगा।

(3) राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा जारी किये गये डिबेंचरों पर देय, और किसी भी समय पर बकाया रही कुल रकम –

(क) यदि डिबेंचर, धारित बन्धकों के प्रति जारी किये गये हैं तो –

(i) बन्धकों पर देय रकमों के,

(ii) भूमि विकास बैंकों द्वारा, राज्य भूमि विकास बैंक को धारा 77 के अधीन अन्तरित या अन्तरित समझी गयी और तत्समय विद्यमान सम्पत्तियों और अन्य आस्तियों के मूल्य के, और

(iii) उपर्युक्त बन्धकों के अधीन संदत्त रकमों के और उस समय पर राज्य भूमि विकास बैंक या न्यासी के पास अवशिष्ट अप्रतिभूत रकमों के, –

योग से अधिक नहीं होगी;

(ख) जहां धारित बन्धकों से भिन्न आधार पर डिबेंचर जारी किये गये हैं, वहां डिबेंचरों पर अभिप्राप्त रकम के उस भाग को, जो किसी बन्धक के अन्तर्गत नहीं है, खण्ड (क) के अधीन संगणित कुल रकम में जोड़ कर प्राप्त की हुई कुल रकम से अधिक नहीं होगी।

71. राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति –

पूर्ववर्ती धारा के अधीन जारी किये गये डिबेंचरों के मूल धन और उन पर ब्याज के लिए या उनके किसी विनिर्दिष्ट भाग के लिए राज्य सरकार ऐसी अधिकतम रकम तक, जिसे राज्य सरकार नियत करे और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार अधिरोपित करना उचित समझे, प्रत्याभूति दे सकेगी।

72. सम्पत्ति का न्यासी में निहित होना और आस्तियों पर डिबेंचर धारकों का भार–

धारा 70 के उपबंधों के अधीन डिबेंचर जारी किये जाने पर, उक्त धारा की उप–धारा (3) में निर्दिष्ट बंधकित सम्पत्तियां और अन्य आस्तियां, जो राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा धारित हों, न्यासी में निहित होगी, और डिबेंचर धारकों का ऐसे समस्त बंधकों

और आस्तियों पर तथा उक्त बंधकों के अधीन संदत्त रकम पर और राज्य भूमि विकास बैंक या न्यासी के पास रहने वाली रकम पर प्लवमान भार रहेगा।

73. भूमि विकास बैंकों की उधार देने और भूमि धारण करने की शक्ति –

इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कोई भूमि विकास बैंक, धारा 67 में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उधार देने के लिए और ऐसी भूमियों को, जिनका कब्जा उसे इस अध्याय के उपबंधों के अधीन अंतरित किया जाये, धारण करने के लिए सक्षम होगा।

74. [1]उधार देने के आवेदनों पर व्यवहार करने की रीति –

जब धारा 67 में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए उधार हेतु आवेदन किया जाये तो भूमि विकास बैंक, ऐसे आवेदन पर, उचित जांच के पश्चात् और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, विचार करेगा।

75. उधार देने के आदेश का कतिपय मामलों का निश्चायक होना –

भूमि विकास बैंक द्वारा उस व्यक्ति या समिति द्वारा, जिसे धारा 67 में विनिर्दिष्ट समस्त या किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए उधार देने के लिए बैंक की उपविधियों के अधीन प्राधिकृत किया गया है, किया गया वह लिखित आदेश, जिसके द्वारा, उसमें वर्णित व्यक्ति को या उसकी सहमति से, उसमें विनिर्दिष्ट कार्य के क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् उधार स्वीकृत किया गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित मामलों का निश्चायक होगा, अर्थात्:–

(क) कि वर्णित कार्य या वह प्रयोजन, जिसके लिए उधार दिया गया है, धारा 67 के अर्थान्तर्गत, सुधार या, यथास्थिति, उत्पादक प्रयोजन है;

(ख) कि उस व्यक्ति को, आदेश की तारीख को ऐसा सुधार करने या, यथास्थिति, उत्पादक प्रयोजन के लिए व्यय करने का अधिकार था; और

(ग) कि सुधार विनिर्दिष्ट भूमि के फायदे के लिए है और उत्पादक प्रयोजन उस भूमि से, जो प्रतिभूति के रूप में प्रतिस्थापित की गयी है, या उसके किसी भाग से, जो भी सुसंगत हो, सम्बन्धित है।

76. बन्धक की पूर्विकता –

---

[1] 2013 का अधिनियम संख्यांक 17 द्वारा प्रतिस्थापित (24.04.2013 से प्रभावी)।

(1) भूमि विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित बन्धक, बन्धक के निष्पादन के पश्चात् राजस्थान कृषि उधार अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 1) के अधीन दिये गये उधार के कारण उत्पन्न सरकार के दावे की तुलना में पूर्विकता रखेगा।

(2) राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि भूमि विकास बैंक के पक्ष में किया गया बन्धक ऐसी भूमि के सम्बन्ध में है, जिसमें कोई अभिधारी हित रखता है तो ऐसे हित की प्रतिभूति पर बंधक हो सकेगा और बंधकदार के अधिकारों पर ऐसी विधि की अपेक्षाओं की पूर्ति करने में अभिधारी के असफल रहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसी विधि के अधीन उस भूमि का और उसमें उसके हित का विक्रय भूमि विकास बैंक के पूर्वभार के अधीन रहते हुए होगा।

77. भूमि विकास बैंकों के पक्ष में निष्पादित बंधकों का राज्य भूमि विकास बैंक में निहित होना –

किसी भूमि विकास बैंक के पक्ष में उसके सदस्यों द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात्, निष्पादित बन्धक और अंतरित समस्त अन्य आस्तियां, ऐसे निष्पादन और अंतरण की तारीख से ऐसे भूमि विकास बैंक द्वारा राज्य भूमि विकास बैंक को अंतरित की हुई समझी जायेंगी और राज्य भूमि विकास बैंक में निहित होंगी।

78. भूमि विकास बैंकों के पक्ष में किये गये बन्धकों और पट्टों का रजिस्ट्रीकरण–

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) में किसी बात के होते हुए भी, भूमि विकास बैंकों के पक्ष में निष्पादित बन्धकों या पट्टों का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं होगा, किन्तु शर्त यह है कि सम्बन्धित भूमि विकास बैंक, ऐसे समय के भीतर–भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, उस लिखत की, जिसके द्वारा स्थावर संपत्ति उधार के प्रतिसंदाय को सुनिश्चित करने के लिए बंधक रखी गयी है या पट्टे पर दी गयी है, प्रति उस रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेज दे, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर बंधक रखी गयी या पट्टे पर दी गयी सम्पूर्ण संपत्ति या उसका कोई भाग स्थित है और ऐसा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 51 के अधीन विहित अपनी पुस्तक सं. 1 में, उस प्रति या, यथास्थिति, उन प्रतियों को फाइल करेगा।

79. बन्धककर्ताओं के दिवालिया हो जाने पर बन्धकों को प्रश्नगत न किया जाना–

दिवालियापन सम्बन्धी और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित बन्धक को इस आधार पर कि उसका निष्पादन सद्भाव से मूल्यवान प्रतिफल के बदले में नहीं किया गया था, या इस आधार पर कि उसका निष्पादन बन्धककर्ता के अन्य लेनदारों पर बैंक को अधिमान देने के क्रम में किया था, दिवालियापन संबंधी किसी कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

80. भूमि विकास बैंकों का बंधककर्ता के पूर्व ऋणों के संदाय का अधिकार –

(1) जब बंधककर्ता के पूर्व ऋणों के संदाय के लिए भूमि विकास बैंक के पक्ष में किसी बंधक का निष्पादन किया जाये तो ऐसा बैंक, संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम 4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, लिखित नोटिस द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसको ऐसा कोई ऋण देय है, यह अपेक्षा करेगा कि वह उस ऋण का या उसके किसी भाग का संदाय ऐसी कालावधि के भीतर–भीतर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये, बैंक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय से प्राप्त कर ले।

(2) जब ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा नोटिस स्वीकार करने में या ऐसा संदाय प्राप्त करने में चूक करता है तो उस ऋण या, यथास्थिति, उसके किसी भाग पर नोटिस में विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति के पश्चात् ब्याज लगना बंद हो जायेगाः

परन्तु जब ऐसे किसी ऋण की रकम के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो वह व्यक्ति, जिसको ऐसा ऋण देय है, ऋण के लेखे भूमि विकास बैंक द्वारा दी जाने वाली रकम का संदाय प्राप्त करने के लिए आबद्ध होगा किन्तु ऐसी प्राप्ति से उस व्यक्ति के अतिशेष वसूल करने के अधिकार पर, यदि कोई हो, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

81. संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के कर्ताओं द्वारा निष्पादित बन्धक –

(1) कृषि भूमि में या कृषि के तरीकों में सुधार करने के लिए, या भूमि की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के अन्य किन्हीं साधनों के लिए वित्त व्यवस्था करने के लिए या भूमि क्रय करने के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात्, भूमि विकास बैंक या राज्य भूमि विकास बैंक से लिये गये उधारों के सम्बन्ध में संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के कर्ता द्वारा निष्पादित बन्धक संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के समस्त सदस्यों पर किसी भी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, बाध्यकारी होंगे।

(2) अन्य मामलों में, जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् भूमि विकास बैंक या राज्य भूमि विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित बन्ध कइस आधार पर प्रश्नगत किया जाता है कि संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के कर्ता ने बन्धक का निष्पादन ऐसे

प्रयोजन के लिए किया था जो उस कुटुम्ब के सदस्यों (चाहे ऐसे सदस्य वयस्क हो गये हों या नहीं) पर बाध्यकारी नहीं है तो, उसे सिद्ध करने का भार, किसी भी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उसका अभिकथन करने वाले पक्ष पर होगा।

82. 1956 के केन्द्रीय अधिनियम 32 की धारा 8 का बंधकों पर लागू होना –

हिन्दू अप्राप्तव्यता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 8 इस उपान्तरण के अध्यधीन रहते हुए कि उसमें न्यायालय के प्रति निर्देश का अर्थ कलक्टर या उसके नामनिर्देशिती के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा, भूमि विकास बैंक के पक्ष में किये गये बंधकों पर लागू होगी तथा कलक्टर या उसके नामनिर्देशिती के आदेश के विरूद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को होगी।

83. पट्टों पर निर्बन्धन –

सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम 4) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि विकास बैंक को बन्धक रखी गयी सम्पत्ति का कोई भी बन्धककर्ता बैंक को लिखित में पूर्व सूचना दिये बिना ऐसी किसी सम्पत्ति को न तो पट्टे पर देगा और न ही उस पर कोई अभिधृति अधिकार सृजित करेगाः

परन्तु भूमि विकास बैंक के अधिकार अभिधारी या, यथास्थिति, पट्टेदार के विरूद्ध उसी प्रकार प्रवर्तनीय होंगे मानो वह स्वयं बन्धककर्ता हो।

84. भूमि विकास बैंक द्वारा धन प्राप्त किया जाना और उन्मुक्ति दिया जाना –

धारा 77 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बन्धक के अधीन देय समस्त धन जब तक उस राज्य भूमि विकास बैंक या न्यासी द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाये और बंधककर्त्ता को संसूचित न कर दिया जाये, बंधककर्त्ता द्वारा भूमि विकास बैंक को संदेय होगा, और ऐसे संदाय उसी प्रकार विधिमान्य होंगे मानो ऐसा बंध कइस प्रकार अंतरित नहीं किया गया है और राज्य भूमि विकास बैंक या न्यासी द्वारा जारी किये गये और भूमि विकास बैंक को संसूचित तत्प्रतिकूल विनिर्दिष्ट निदेश के अभाव में, भूमि विकास बैंक बंधक के संबंध में वाद चलाने या बंधक के अधीन देय धन की वसूली के लिए कोई अन्य कार्यवाही करने का हकदार होगा।

85. बंधकित सम्पत्ति के नष्ट हो जाने या प्रतिभूति के अपर्याप्त हो जाने की दशा में भूमि विकास बैंक की शक्तियां. –

जहां भूमि विकास बैंक को बंधकित कोई सम्पत्ति पूर्णतः या अंशतः नष्ट हो जाती है, या प्रतिभूति किसी भी कारण से अपर्याप्त हो जाती है और सम्पूर्ण प्रतिभूति को पर्याप्त बनाने के लिए यथेष्ट और प्रतिभूति की व्यवस्था करने का या उधार के ऐसे भाग का, जो बैंक द्वारा अवधारित किया जाये, प्रतिसंदाय करने का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने पर भी, यदि बंधककर्त्ता ऐसी प्रतिभूति की व्यवस्था करने या उधार के ऐसे भाग का प्रतिसंदाय करने में असफल रहे तो शेष उधार तुरन्त देय हुआ समझा जायेगा और बैंक उसकी वसूली के लिए बंधककर्त्ता के विरूद्ध धारा 88 या 89 के अधीन कार्रवाई करने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण :– प्रतिभूति इस धारा के अर्थान्तर्गत तब अपर्याप्त समझी जायेगी जब बंधकित सम्पत्ति (जिसमें उस पर किये हुए सुधार कार्य सम्मिलित हैं) का मूल्य, बंधक पर तत्समय देय रकम से, ऐसे अनुपात में, जो भूमि विकास बैंक के नियमों, विनियमों या उपविधियों में विहित किया जाये, अधिक न हो।

86. बंधकित सम्पत्ति को विक्रय करने का भूमि विकास बैंक का अधिकार. –

(1) भूमि विकास बैंकों द्वारा धारा 89 की उप–धारा (3) के अधीन क्रय की गई और धारा 103 के अधीन उन्हें अंतरित की गई सम्पत्ति का व्ययन, ऐसी कालावधि के भीतर–भीतर, जो न्यासी द्वारा नियत की जाये, ऐसे बैंकों द्वारा, इस शर्त के अध्यधीन विक्रय द्वारा किया जा सकेगा कि ऐसे विक्रय केवल ऐसे कृषकों के पक्ष में ही होंगे जो राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) या तत्समय प्रवृत्त किसी तत्समान विधि के अधीन भूमि धारण करने के पात्र हों, या उसे उनके द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिकथित की जायें, पट्टे पर दिया जा सकेगा।

(2) कृषि जोतों की अधिकतम सीमा नियत करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट कोई भी बात इस धारा के अधीन भूमि विकास बैंकों द्वारा भूमि के अर्जन पर या उसे धारण करने पर लागू नहीं होगी।

87. भूमि विकास बैंकों द्वारा उधारों की वसूली –

भूमि विकास बैंकों द्वारा दिये गये समस्त उधार, उन पर प्रभार्य समस्त ब्याज, यदि कोई हो, और ऐसा करने में उपगत हुए खर्चे, यदि कोई हों, जब वे शोध्य हो जायें तो, संबंधित भूमि विकास बैंक द्वारा वसूलीय होंगे।

88. करस्थम् करने की शक्ति –

(1) यदि किसी भूमि विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित बंधक के अधीन संदेय कोई किस्त या ऐसी किस्त का कोई भाग, उनके शोध्य होने की तारीख से, तीन मास से अधिक समय तक असंदत्त रह गया हो तो, ऐसे बैंक की समिति, बैंक को उपलब्ध किसी अन्य उपाय के अतिरिक्त, रजिस्ट्रार या कलक्टर को ऐसी किस्तों या उनके भाग की वसूली, बंधकित भूमि की उपज को, जिसमें उस पर खड़ी फसल भी सम्मिलित है, करस्थम् करके और उसका विक्रय करके किये जाने हेतु आवेदन कर सकेगी।

(2) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार या, यथास्थिति, कलक्टर सम्पत्ति अन्तरिण अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम 4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी उपज को करस्थम् करने और बेचने के प्रयोजन के लिए विहित रीति से कार्रवाई कर सकेगा :

परन्तु किस्त देय होने की तारीख से बारह मास की समाप्ति के पश्चात् कोई भी करस्थम् नहीं किया जायेगा।

(3) करस्थम् की गई सम्पत्ति का मूल्य, यथासंभव निकटतम रूप से, शोध्य रकम, करस्थम् के व्यय और विक्रय के खर्चे के बराबर होगा।

89. बंधकित सम्पत्ति का विक्रय –

(1) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम 4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि विकास बैंक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति बंधक धन या उसके किसी भाग के संदाय में व्यतिवम की दशा में, बैंक को उपलब्ध किसी भी अन्य उपाय के अतिरिक्त बंधकित सम्पत्ति को, उस गांव में, जिसमें बंधकित सम्पत्ति स्थित है, या लोक समागम के निकटम स्थान पर, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, लोक नीलाम द्वारा बेचने के लिए सशक्त होगाः

परन्तु इस उप–धारा के अधीन तब तक न तो कोई कार्रवाई की जायेगी और न ही ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग किया जायेगा, जब तक कि –

(क) इस उप–धारा के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने के लिए भूमि विकास बैंक को पहले से ही, कलक्टर या रजिस्ट्रार द्वारा, बंधककर्त्ता या बंधककर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत आक्षेपों की, यदि कोई हों, सुनवाई किये जाने के पश्चात् प्राधिकृत न कर दिया गया हो;

(ख) ऐसे बंधक धन या उसके किसी भाग के संदाय की अपेक्षा करते हुए निम्नलिखित पर लिखित नोटिस तामील न कर दिया गया हो, –

(i) बंधककर्ता पर या बंधककर्ताओं में से प्रत्येक पर;

(ii) ऐसे किसी व्यक्ति पर जो, जहां तक बैंक को ज्ञात है, बंधकित सम्पत्ति में कोई हित या उस पर कोई भार रखता है या उसका मोचन कराने के अधिकार में कोई हित या उस पर कोई भार रखता है;

(iii) बंधकित ऋण या उसके किसी भाग के संदाय के लिए किसी प्रतिभू पर; और

(iv) बंधककर्ता के किसी लेनदार पर, जिसने बंधककर्ता की सम्पदा के प्रशासन संबंधी वाद में, बंधकित सम्पत्ति के विक्रय के लिए डिक्री प्राप्त की ली है; और

(v) नोटिस की तामील हो जाने के पश्चात् तीन मास तक ऐसे बंधक धन या उसके किसी भाग के संदाय में व्यतिक्रम न किया गया हो।

(2) यदि भूमि विकास बैंक किसी व्यतिक्रमी के विरूद्ध धारा 85 या धारा 88 के अधीन या इस धारा के अधीन कार्रवाई करने में असफल रहता है तो राज्य भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक को समुचित कार्रवाई करने का निदेश दे सकेगा और यदि राज्य भूमि विकास बैंक या भूमि विकास बैंक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो न्यासी ऐसी कार्रवाई कर सकेगा। यदि ऐसी कार्रवाई न्यासी द्वारा की जाती है तो इस अध्याय के और नियमों के उपबंध उसके संबंध में इस प्रकार लागू होंगे मानो उक्त उपबंध में भूमि विकास बैंक के प्रति समस्त निर्देश न्यासी के प्रति निर्देश हैं।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि विकास बैंक या राज्य भूमि विकास बैंक के लिए इस अध्याय के अधीन बेची गई किसी बंधकित सम्पत्ति का क्रय करना विधिपूर्ण होगा।

90. विक्रय की पुष्टि –

(1) भूमि विकास बैंक द्वारा धारा 89 के अधीन विक्रय कर दिये जाने पर, उक्त बैंक विक्रय किये जाने की रीति और विक्रय का परिणाम बताते हुए राज्य भूमि विकास बैंक और रजिस्ट्रार को विहित रीति से रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और राज्य भूमि विकास बैंक, रजिस्ट्रार के अनुमोदन से, उक्त विक्रय की पुष्टि कर सकेगा या उस रद्द कर सकेगा।

(2) जब विक्रय धारा 89 के अधीन राज्य भूमि विकास बैंक या न्यासी द्वारा किया जाये तब, राज्य भूमि विकास बैंक या, यथास्थिति, न्यासी विक्रय किये जाने की रीति और विक्रय का परिणाम बताते हुए, रजिस्ट्रार को, विहित रीति से रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और रजिस्ट्रार विक्रय की पुष्टि कर सकेगा या उसे रद्द कर सकेगा :

परन्तु जब रजिस्ट्रार ही न्यासी हो तब वह ऐसी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगा और सरकार विक्रय की पुष्टि कर सकेगी या उसे रद्द कर सकेगी।

91. विक्रय के आगमों का निपटारा –

(1) धारा 89 के अधीन किये गये और धारा 90 के अधीन पुष्ट किये गये प्रत्येक विक्रय के आगमों का उपयोजन, प्रथमतः विक्रय या प्रयतिति विक्रय के संबंध में उपगत समस्त खर्चों, प्रभारों और व्ययों का संदाय करने में, द्वितीयतः ऐसे बंधक के मद्दे, जिसके परिणामस्वरूप बंधकित सम्पत्ति का विक्रय किया गया था, देय समस्त या किसी ब्याज का संदाय करने में और तृतीयतः बंधक के मद्दे देय मूलधन, जिसमें वसूली के आनुषंगिक खर्चे और प्रभार सम्मिलित हैं, का संदाय करने में किया जायेगा।

(2) यदि विक्रय के आगमों में से कोई धन अवशिष्ट रहे तो उसका संदाय ऐसे व्यक्ति को, जो अपने आपको विक्रीत सम्पत्ति में हितबद्ध सिद्ध करे या यदि ऐसे व्यक्ति एक से अधिक हों तो, ऐसे व्यक्तियों को, उनकी संयुक्त रसीद पर या उसमें उनके अपने–अपने हितों के अनुसार, जो कि भूमि विकास बैंक अवधारित करे, किया जायेगा :

परन्तु ऐसे कोई संदाय करने के पूर्व ऐसी अप्रतिभूत देय राशियों का जो –

(क) बंधककर्त्ता द्वारा भूमि विकास बैंक को दये हों, समायोजन किया जा सकेगा; और

(ख) ऐसे किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य द्वारा देय हों, जिसका बंधककर्ता ऋणी है, ऐसे सदस्य और भूतपूर्व सदस्य द्वारा दिये गये लिखित प्राधिकार के अधीन और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाये, समायोजन किया जा सकेगा।

92. क्रय का प्रमाण–पत्र, सम्पत्ति का परिदान और क्रेता का हक –

(1) जहां बंधकित सम्पत्ति का कोई विक्रय धारा 90 के अधीन आत्यंकित हो गया हो और भूमि विकास बैंक द्वारा सम्पूर्ण विक्रय के आगम प्राप्त कर लिये गये हों तो बैंक क्रेता को विक्रीत सम्पत्ति, विक्रय मूल्य, उसके विक्रय की तारीख, ऐसे व्यक्ति का नाम, जिसे विक्रय के समय क्रेता घोषित किया गया हो और ऐसी तारीख, जिसको विक्रय

आत्यंतिक हो गया हो, प्रमाणित करते हुए, विहित प्ररूप में प्रमाण–पत्र देगा और प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) के अधीन नियुक्त सब–रजिस्ट्रार, जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसका कोई भाग स्थित है, स्थावर सम्पत्ति से संबंधित अपने रजिस्टर में ऐसे प्रमाण–पत्र की विषयवस्तु दर्ज करेगा।

(2) (क) जहां विक्रीत बंधकित सम्पत्ति, बंधककर्त्ता के या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के या बंधककर्त्ता द्वारा, उसे राज्य भूमि विकास बैंक या किसी भूमि विकास बैंक के पक्ष में बंधक रखने के पश्चात् सृजित हक के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के अधिभोग में हो और जिसके संबंध में उप–धारा (1) के अधीन कोई प्रमाण–पत्र दिया गया है तो कलक्टर क्रेता के आवेदन पर ऐसे क्रेता को, या ऐसे क्रेता द्वारा उसकी ओर से परिदान स्वीकार करने हेतु नियुक्त किन्हीं भी व्यक्तियों को, उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाते हुए उसे परिदत्त करने का आदेश देगा।

(ख) जहां विक्रीत सम्पत्ति किसी अभिधारी या ऐसे अन्य व्यक्ति के अधिभोग में हो, जो उसे अधिभोग में रखने का हकदार हो और जिसके संबंध में उप–धारा (1) के अधीन प्रमाण–पत्र दिया गया हो वहां कलक्टर, क्रेता के आवेदन पर और ऐसे अभिधारियों या अन्य व्यक्तियों को नोटिस देने के पश्चात् विक्रय के प्रमाण–पत्र की प्रति सम्पत्ति के किसी सहजदृश्य स्थान पर चस्पस करके और किसी सुविधाजनक स्थल पर डोंडी पिटवाकर या अन्य रूढ़िक ढंग से अधिभोगी के लिए यह उद्घोषणा करके कि बंधककर्त्ता के अधिकार, हक और हित क्रेता को अंतरित कर दिये गये हैं, परिदान किये जाने का आदेश देगा।

(3) जब कोई सम्पत्ति धारा 89 के अधीन विक्रय की शक्ति का प्रयोग या तात्पर्यित प्रयोग करते हुए बेची जाती है तो क्रेता का हक इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा कि विक्रय को प्राधिकृत करने के लिए अपेक्षित परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई थीं या डिक्री का या यथोचित नोटिस नहीं दिया गया था या विक्रय की शक्ति का अन्य प्रकार से अनुचित या अनियिमत प्रयोग किया गया था :

परन्तु कोई भी व्यक्ति, जो ऐसी शक्ति के अप्राधिकृत, अनुचित या अनियमित प्रयोग के कारण नुकसान उठाता है, भूमि विकास बैंक के विरूद्ध नुकसानी के रूप में उपचार प्राप्त कर सकेगा।

93. रजिस्ट्रार द्वारा प्रमण–पत्र पर ऋणों की वसूली –

(1) धारा 58 और 100 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भूमि विकास बैंक द्वारा, उसके किन्हीं भी सदस्यों को उसके द्वारा दी गई किसी राशि की बकाया की वसूली के लिए, किये गये आवेदन पर, और बकाया के संबंध में उसके द्वारा लेखा विवरण दिये जाने पर, रजिस्ट्रार, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, उस विवरण में बकाया के रूप में देय बतायी गयी रकम की वसूली के लिए प्रमाण–पत्र दे सकेगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र देय बकाया के संबंध में अंतिम और निश्चायक होगा। उसमें बतायी गयी देय बकाया भू–राजस्व की बकाया की वसूली के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार वसूलीय होगी।

(3) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति बंधककर्त्ता की सम्पत्ति को सशर्त कुर्की का निदेश देने में तब तक सक्षम होगा जब तक कि भूमि विकास बैंक को देय बकाया और उस पर ब्याज तथा ऐसी बकाया की वसूली में उपगत आनुषंगिक खर्चे संदत्त नहीं कर दिये जाते या ऐसी बकाया के संदाय के लिए रजिस्ट्रार को समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति नहीं दे दी जाती और धारा 101 के उपबंध, इस धारा के अधीन की गयी या की जाने वाली किसी सम्पत्ति की सशर्त कुर्की पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

94. निश्चित कालावधि के दौरान कलक्टर द्वारा वसूलियां किया जाना –

(1) कलक्टर ऐसी कालावधि के दौरान, जो राज्य सरकार, राजपत्र में किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, अधिसूचित करे, किसी भूमि विकास बैंक द्वारा इस निमित्त उसे आवेदन किये जाने पर, भूमि विकास बैंक को देय समस्त राशियां (जिसमें ऐसी वसूली का खर्च सम्मिलित है) वसूली करने के लिए सक्षम होगा।

(2) किसी भूमि विकास बैंक को देय कोई भी रकम, कलक्टर या इस निमित्त कलक्टर द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक ढंग से वसूलीय होगी, अर्थात् :–

(क) किसी उधार लेने वाले से उसी प्रकार मानो वह उसके द्वारा देय भू–राजस्व की बकाया हो;

(ख) ऐसी भूमि से, जिसके फायदे के लिए ऋण दिया गया हो, उसी प्रकार मानो वह उक्त भूमि के संबंध में देय भू–राजस्व की बकाया हो;

(ग) किसी प्रतिभू, यदि कोई हो, से उसी प्रकार मानो वह उसके द्वारा देय भू–राजस्व की बकाया हो; और

(घ) किसी संपार्श्विक प्रतिभूति, यदि कोई हो, में समाविष्ट सम्पत्ति से, ऐसी भूमि जिस पर राजस्व देय है, के विक्रय द्वारा भू–राजस्व की वसूली की प्रक्रिया के अनुसार।

95. बैंक के अधिकारियों द्वारा विक्रय में बोली का न लगाया जाना –

इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किये जाने वाले स्थावर या जंगम सम्पत्ति के किसी विक्रय में, भूमि विकास बैंक या राज्य भूमि विकास बैंक का कोई अधिकारी या कर्मचारी अथवा उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य सिवाय उस बैंक की ओर से, जिसका कि वह अधिकारी या कर्मचारी है और ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका ऐसे विक्रय के संबंध में कार्य करने का कोई कर्त्तव्य है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी किसी सम्पत्ति के लिए न तो बोली लगायेगा, न उसमें कोई हित अर्जित करेगा या अर्जित करने का प्रयास करेगा।

96. कतिपय हानियों की पूर्ति करने के लिए प्रत्याभूति निधियों की व्यवस्था –

(1) राज्य सरकार भूमि विकास बैंकों द्वारा स्थावर सम्पत्ति पर के ऐसे हकों पर, जो बाद में त्रुटिपूर्ण पाये जायें, दिये जाने वाले ऋणों के फलस्वरूप होने वाली हानियों की पूर्ति के प्रयोजन के लिए या इस अध्याय के अधीन किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जिसके लिए राज्य सरकार की राय में प्रथक् प्रत्याभूति निधि की व्यवस्था करना या सृजन करना आवश्यक हो, ऐसी शर्तों और निबंधनों पर, जो वह उचित समझे, एक या अधिक प्रत्याभूति निधि गठित करने में सक्षम होगी।

(2) राज्य भूमि विकास बैंक और भूमि विकास बैंक ऐसी निधियों में ऐसी दर से अभिदाय करेंगे जो विहित की जाये और ऐसी निधियों का गठन, अनुरक्षण और उपयोग ऐसे नियमों द्वारा विनियमित होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जायें।

97. नोटिस की तामील –

सम्पत्ति अन्तरण अधिनिसम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम 4) की धारा 102 और 103 के और उसकी धारा 104 के अधीन बनाये किन्हीं भी नियमों के उपबंध, जहां तक हो सके, इस अध्याय के अधीन तामील किये जाने वाले नोटिस के संबंध में लागू होंगे।

98. राज्य भूमि विकास बैंक की समिति को भूमि विकास बैंकों का पर्यवेक्षण करने और विनियम बनाने की शक्ति –

राज्य भूमि विकास बैंक की समिति को भूमि विकास बैंकों का पर्यवेक्षण करने की साधारण शक्ति होगी और वह सरकार की पूर्व मंजूरी से, निम्नलिखित सभी या इनमें से किन्हीं विषयों के लिए ऐसे विनियम बना सकेगी, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों से असंगत न हों, अर्थात् :–

(क) भूमि विकास बैंकों की लेखा पुस्तकों और कार्यवाहियों के निरीक्षण के लिए;

(ख) ऐसे बैंकों द्वारा उनके लेन–देन के संबंध में विवरणियां और रिपोर्टें प्रस्तुत किये जाने के लिए;

(ग) ऐसे बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंक के बीच ऐसे लेखाओं के कालिक परिनिर्धारण के लिए, जो राज्य भूमि विकास बैंक को अन्तरित बंधकों पर ऐसे बैंकों द्वारा वसूल की गयी रकमों के संदाय से संबंधित लेखे हों;

(घ) ऐसे प्ररूप के लिए जिसमें ऐसे बैंकों को उधार के लिए आवेदन किया जायेगा और ऐसी उधार के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रस्थापित सम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए;

(ङ) बंधककर्त्ताओं से वसूल की गई धनराशियों के विनिधान के लिए;

(च) ऐसे बैंकों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के लिए;

(छ) ऐसे बैंकों द्वारा उधार देने के लिए अपनाये जाने वाले कार्यक्रम और नीति के लिए;

(ज) ऐसे बैंकों द्वारा उधार देने के लिए ली जाने वाली प्रतिभूति के प्रकार और सीमा के लिए; और

(झ) साधारणतया पक्षकारों के हितों की रक्षा, ऐसे बैंकों के क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने और इस अध्याय के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए प्रयोजन के लिए।

अध्याय 13

अधिनिर्णयों, डिक्रियों, आदेशों और विनिश्चयों का निष्पादन

99. भार का प्रवर्तन –

अध्याय 10 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम में उपबंधित वसूली के किसी अन्य ढंग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रजिस्ट्रार या इस निमित्त रजिस्ट्रार द्वारा सशक्त कोई भी व्यक्ति, स्वप्रेरणा से या किसी सहकारी सोसाइटी के आवेदन पर यह निदेश देते हुए, आदेश कर सकेगा कि किसी भी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य द्वारा या उसके प्रत्याभूतिदाता द्वारा सोसाइटी को देय किसी ऋण या बकाया मांग का संदाय, उस संपत्ति या उसमें के किसी हित के, जो उस सोसाइटी को बंधकित की जाती है या जो धारा 38 या धारा 39 के अधीन भार के अध्यधीन हो, विक्रय द्वारा कर लिया जाये :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस सदस्य, भूतपूर्व सदस्य पर या मृत सदस्य के नामनिर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधि पर या उसके प्रत्याभूतिदाता पर, या ऐसे व्यक्ति पर, जिसका बंधक सम्पत्ति में कोई हित या उस पर कोई भार हो या, यथास्थिति, उस बंधककर्ता के किसी लेनदार पर, जिसने सम्पत्ति के प्रशासन के किसी वाद में बंधक सम्पत्ति के विक्रय के लिए कोई डिक्री अभिप्राप्त कर ली हो, आवेदन का कोई नोटिस तामील न कर दिया हो और, –

(i) ऐसे व्यक्ति द्वारा ऋण या मांग के प्रति विवाद करने की दशा में ऐसा विवाद धारा 60 के अधीन अंतिम रूप से न्यायनिर्णीत न हो जाये, या

(ii) ऐसे व्यक्ति द्वारा ऋण या मांग के प्रति विवाद न करने की दशा में वह यथापूर्वोक्त नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर–भीतर ऐसे ऋण या मांग का संदाय करने में असफल रहे।

100. आदेशों आदि का निष्पादन. –

(1) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम 4) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 57 की उप–धारा (2) के अधीन या धारा 99 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश, धारा 60 के अधीन किया गया प्रत्येक विनिश्चय या अधिनिर्णय, धारा 64 के अधीन समापक द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश और धारा 105 या 106 के अधीन अधिकरण द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश और धारा 104 के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, यदि उसका पालन न हुआ हो तो, –

(क) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र दिये जाने पर, किसी सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जायेगा

और उसे उसी रीति से निष्पादित किया जायेगा जैसे ऐसे न्यायालय की किसी डिक्री को किया जाता है; या

(ख) भू–राजस्व की बकाया की वसूली के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार और नियमों के अधीन निष्पादित किया जायेगाः

परन्तु किसी धनराशि की वसूली ऐसी रीति से किये जाने हेतु आवेदन –

(i) कलक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी होगा;

(ii) आदेश, विनिश्चिय या अधिनिर्णय में नियत तारीख से, और यदि ऐसी कोई तारीख नियत नहीं की गयी हो तो, उस आदेश, विनिश्चय या, यथास्थिति, अधिनिर्णय की तारीख से, बारह वर्ष के भीतर–भीतर प्रस्तुत किया जायेगा;

(ग) रजिस्ट्रार या उसके अधीनस्थ ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे इस संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा सशक्त किया गया हो, एस व्यक्ति या सहकारी सोसाइटी की, जिसके विरूद्ध वह आदेश, विनिश्चय या अधिनिर्णय प्राप्त किया गया हो या पारित किया गया हो, किसी संपत्ति को कुर्क करके और बेचकर या बिना कुर्क किये ही बेचकर निष्पादित किया जायेगा।

(2) सम्पत्ति का कोई प्राइवेट अन्तरण या परिदान या उस पर कोई विल्लंगम या भार जो, रजिस्ट्रार या, यथास्थिति, उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उप–धारा (1) के अधीन प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के पश्चात् कृत या सृजित हो, उस सोसाइटी के विरूद्ध जिसके आवेदन पर उक्त प्रमाण पत्र जारी किया गया था, अकृत और शून्य होगा।

101. अधिनिर्णय या आदेश के पूर्व सम्पत्ति की कुर्की –

यदि रजिस्ट्रार का किसी आवेदन, रिपोर्ट या जांच से या अन्यथा समाधान हो जाये कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके विरूद्ध दिये जाने वाले किसी आदेश, विनिश्चय या अधिनिर्णय के प्रवर्तन में देरी करने या बाधा पहुंचाने के आशय से –

(क) अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है, या

(ख) अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग को रजिस्ट्रार, मध्यस्थ या, यथास्थिति, समापक की अधिकारिता से हटाने वाला है,

तो वह, जब तक कि पर्याप्त प्रतिभूति न दे दी जाये, उक्त सम्पत्ति की कुर्की का निदेश दे सकेगा और ऐसी कुर्की का प्रभाव वैसा ही होगा मानो वह किसी सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा की गयी हो।

102. सरकार को दय धनराशियों की वसूली –

(1) किसी सहकारी सोसाइटी या किसी सहकारी सोसाइटी के किसी अधिकारी या सदस्य या भूतपूर्व सदस्य द्वारा इस रूप में सरकार को देय समस्त धनराशियां, जिनमें इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन सरकार को दिलवाया गया कोई खर्चा भी सम्मिलित है, रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त प्रमाण पत्र दिये जाने पर उसी रीति से वसूल की जा सकेगी जैसे कि भू–राजस्व की बकाया की जाती है।

(2) किसी सोसाइटी द्वारा सरकार को देय और उप–धारा (1) के अधीन वसूलीय धनराशियां, प्रथमतः सोसाइटी की सम्पत्ति से, द्वितीयतः उस सोसाइटी की दशा में, जिसके सदस्यों का दायित्व सीमित है, उनके दायित्व की सीमा के अध्यधीन रहते हुए उसके सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों से या मृत सदस्यों की सम्पदा में से, और तृतीयतः अन्य सोसाइटियों की दशा में, उनके सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों से या मृत सदस्यों की सम्पदा में से वसूल की जा सकेंगीः

परन्तु भूतपूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों की सम्पदाओं का दायित्व सभी मामलों में धारा 23 के उपबंधों के अध्यधीन होगा।

103. जो सम्पत्ति बेची न जा सके उसका अन्तरण –

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब धारा 99 के अधीन ऐसे आदेश के, जिसका निष्पादन चाहा गया है, निष्पादन में कोई सम्पत्ति क्रेताओं के अभाव में बेची न जा सके, यदि ऐसी सम्पत्ति व्यतिक्रमी या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के अधिभोग में हो या जो रजिस्ट्रार या धारा 4 के अधीन उसकी सहायतार्थ नियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के, जिसे/जिन्हें ऐसे प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने की शक्ति प्रदान की गयी हो, के द्वारा धारा 99 के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् व्यतिक्रमी द्वारा सृजित किसी हक के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के अधिभोग में हो तो, न्यायालय या, यथास्थिति, कलक्टर, रजिस्ट्रार की पूर्व साहमति से, यह निदेश दे सकेगा कि उक्त सम्पत्ति या उसका कोई भाग उस सोसाइटी को अंतरित कर दिया जाए जिसने उक्त आदेश के निष्पादन हेतु आवेदन किया है और

यह कि उक्त सम्पत्ति या उसका भाग विहित रीति से सोसाइटी को परिदत्त कर दिया जाये।

(2) ऐसे नियमों के, जो इस निमित्त बनाये जायें, और किसी व्यक्ति के पक्ष में विधिपूर्वक अस्तित्वयुक्त किसी अधिकार, विल्लंगमों, भार या साम्याओं के अध्यधीन रहते हुए ऐसे सम्पत्ति बंधकित सम्पत्ति या उसका भाग उक्त सोसाइटी द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन पर न्यायालय या, यथास्थिति, कलक्टर और उक्त सोसाइटी के बीच करार किया जाये, धारित किया जायेगाः

परन्तु रजिस्ट्रार द्वारा या धारा 4 के अधीन नियुक्त तथा ऐसे प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु सशक्त किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा धारा 99 के अधीन प्रमाण पत्र जारी किये जाने के पश्चात्, किया गया किसी सम्पत्ति का प्राइवेट अंतरण या, यथास्थिति, परिदान या उस पर कृत या सृजित विल्लंगम या भार, उस सोसाइटी के विरूद्ध अकृत और शून्य होगा।

अध्याय 14

अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन

104. रजिस्ट्रार और राज्य सरकार को अपील किया जाना –

(1) इस धारा के अधीन कोई अपील रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी आदेश या विनिश्चय के विरूद्ध राज्य सरकार को और रजिस्ट्रार के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा या ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे धारा 4 की उप–धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार की शक्तियां प्रदत्त या प्रत्यायोजित की गयी हैं, पारित किसी आदेश या विनिश्चय के विरूद्ध रजिस्ट्रार को हो सकेगी।

स्पष्टीकरण :– इस उप–धारा के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रार के अन्तर्गत धारा 4 की उप–धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार और इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार की अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करने वाले अपर रजिस्ट्रार से भिन्न कोई व्यक्ति नहीं होगा।

(2) कोई व्यक्ति जो –

(क) रजिस्ट्रार के धारा 6 की उप–धारा (2) के अधीन सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने वाले किसी आदेश से,

(ख) रजिस्ट्रार के धारा 10 की उप–धारा (3) के अधीन किसी सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के किसी संशोधन के रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने वाले आदेश से,

(ग) रजिस्ट्रार द्वारा धारा 12 की उप–धारा (2) के अधीन पारित इंकार के किसी आदेश से,

(घ) [1]{x x x}

(ङ) रजिस्ट्रार द्वारा धारा 57 के अधीन किये गये अधिभार के किसी आदेश से,

(च) रजिस्ट्रार द्वारा धारा 61 के अधीन किये गये किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन का निदेश देने वाले आदेश से,

(छ) किसी सोसाइटी के समापक द्वारा, नियमों में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में धारा 64 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किये गये किसी आदेश से,

(ज) रजिस्ट्रार द्वारा धारा 100 के अधीन किये गये किसी आदेश से, व्यथित हो, आदेश या विनिश्चय की तारीख से नब्बे दिन के भीतर–भीतर उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

(3) राज्य सरकार या, यथास्थिति, रजिस्ट्रार अभिलेख की अपेक्षा करने और अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, को पुष्ट, परिवर्तित या उलट सकेगा, या मामले को निपटारों के लिए ऐसे निदेशों के साथ प्रतिप्रेषित कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

(4) इस धारा के अधीन प्रस्तुत अपील की सुनवाई लम्बित रहने के दौरान राज्य सरकार या रजिस्ट्रार, यथास्थिति, न्याय के उद्देश्य की विफलता को राकेन के लिए ऐसे अन्तर्वर्ती आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

105. अधिकरण का गठन और उसको अपीलें –

(1) सरकार इस अधिनियम के द्वारा या धीन अधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने के लिए "राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण" के नाम से अधिकरण गठित करेगी।

---

[1] 2013 का अधिनियम संख्यांक 17 द्वारा हटाया गया (24.04.2013 से प्रभावी)।

(2) अधिकरण में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(3) अधिकरण का अध्यक्ष चयन ग्रेड के जिला और सत्र न्यायाधीश की रैंक का राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा का कोई अधिकारी होगा।

(4) अधिकरण का एक सदस्य राजस्थान राज्य सहकारी सेवा का कोई अतिरिक्त रजिस्ट्रार होगा।

(5) अधिकरण का दूसरा सदस्य या तो कोई पारंगत अधिवक्ता होगा, जिसे सहकारी विधि में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो अथवा सहकारी क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव रखने वाला ऐसा सहकार सेवी होगा, जो विधि स्नातक हो एवं जो राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं में कम से कम दो बार पदाधिकारी रहा हो।

(6) अधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य, अधिवार्षिकी की आयु के अध्यधीन रहते हुए साधारणतया पांच वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्त किये जायेंगे। अधिवक्ता सदस्य, साठ वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात्, अधिकरण का सदरू नहीं बना रहेगा।

(7) अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें और चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की जाये।

(8) अधिकरण की सदस्यता में की आकस्मिक रिक्ति से भिन्न कोई रिक्ति सरकार द्वारा भरी जायेगी।

(9) अधिकरण, सरकार की पूर्व मंजूरी के अध्यधीन रहते हुए, अपनी प्रक्रिया विनियमित करने और अपने कारबार का निपटारा करने के लिए इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों में संगत विनिमय बनायेगा। विनियम, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(10) कोई व्यक्ति जो –

(क) किसी सहकारी सोसाइटी की समिति के किसी सदस्य को धारा 30 के अधीन हटाने वाले किसी आदेश या समिति के निर्वाचन या नियुक्ति से किसी सदस्य को [1]{धारा 28 की उप–धारा (12)} के अधीन विवर्जित करने वाले किसी आदेश से; या

---

[1] 2013 का अधिनियम संख्यांक 17 द्वारा प्रतिस्थापित (24.04.2013 से प्रभावी)।

(ख) रजिस्ट्रार के धारा 60 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन किये गये किसी विनिश्चय से; या

(ग) सरकार द्वारा धारा 60 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन उस निमित्त शक्तियों से विनिहित व्यक्ति के किसी विनिश्चय से; या

(घ) किसी मध्यस्थ के धारा 60 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन के किसी अधिनिर्णय से; या

(ङ) ऐसे किसी भी विनिश्चय या अधिनिर्णय के, जो धारा 60 के अधीन किया जाये, निष्पादन में किसी विलम्ब या बाधा का निवारण करने की दृष्टि से [1]{धारा 101} के अधीन किये गये किसी आदेश से; या

(च) राज्य सरकार या, यथास्थिति, रजिस्ट्रार द्वारा धारा 104 के अधीन की गयी किसी अपील में पारित किसी विनिश्चय से,

[2]{(छ) रजिस्ट्रार धारा 125 के अधीन पारित किसी विनिश्चय से।}

व्यथित है, ऐसे विनिश्चय, अधिनिर्णय या, यथास्थिति, आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर–भीतर अधिकरण को अपील कर सकेगा।

स्पष्टीकरण :– इस अधिनियम के अधीन किसी अपील की सुनवाई करने वाले अधिकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की धारा 97 और प्रथम अनुसूची के आदेश 41 द्वारा किसी अपील न्यायालय को प्रदत्त समस्त शक्तियां होंगी।

(11) उप–धारा (10) के अधीन सुनवाई के लम्बित रहने के दौरान अधिकरण न्याय के उद्देश्य की विफलता को रोकने लिए ऐसे अन्तर्वर्ती आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

{राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 105 के प्रावधानानुसार संस्थाओं एवं उनके सदस्यों के प्रकरणों में पंजीयक एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निर्णय के विरूद्ध अपील की सुनवाई हेतु निम्नानुसार एक त्रिसदस्यीय राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण का गठन किया जाता है :–

[1] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा प्रतिस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।
[2] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा जोड़ा गया (04.04.2016 से प्रभावी)।

1.	राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के चयनित वेतन श्रृंखला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर का अधिकारी।	अध्यक्ष
2.	राजस्थान राज्य सहकारी सेवा का अतिरिक्त पंजीयक स्तर का अधिकारी	सदस्य
3.	सहकारिता का विशद अनुभवी अधिवक्ता अथवा सहकारी क्षेत्र का अनुभवी विज्ञ सहकार सेवीकर्ता।	सदस्य

अधिसूचना संख्या प. 12(21)सह./2002 दिनांक 29.11.2005, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 1 (ख) दिनांक 03.12.2005 में प्रकाशित।}

106. अधिकरण द्वारा आदेशों का पुनर्विलोकन –

(1) अधिकरण, या तो रजिस्ट्रार के आवेदन पर या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर, किसी भी मामले में अपने स्वयं के आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझेः

परन्तु ऐसा कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि अधिकरण का इस बात से कि ऐसी किसी नयी और महत्त्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलता है जो सम्यक् तत्परता बरतने के पश्चात् उस समय जब आदेश किया गया था, आवेदक की जानकारी में नहीं था या उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका था या कि अभिलेख से प्रकट कोई भूल या गलती है या किसी भी अन्य पर्याप्त कारण से समाधान नहीं हो जायेः

परन्तु यह और कि इस उप–धारा (1) के अधीन कोई ऐसा आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि समस्त हितबद्ध पक्षकारों को नोटिस नहीं दे दिया गया हो और उनको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो।

(2) किसी पक्षकार द्वारा उप–धारा (1) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन अधिकरण के आदेश से संसूचित होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर–भीतर किया जायेगा।

107. सरकार और रजिस्ट्रार की पुनरीक्षण की शक्ति –

(1) रजिस्ट्रार, ऐसे मामले में, जिसमें कार्रवाई रजिस्ट्रार के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा की गयी है और राज्य सरकार, ऐसे मामले में, जिसमें कार्यवाही रजिस्ट्रार द्वारा की गयी है, किसी भी जांच या ऐसे सभी मामलों की कार्यवाहियों के, जिनमें इस

अधिनियम के अधीन कोई कार्रवाई की गई है, उन मामलों को छोड़कर जिनमें अपील अधिकरण को होती है, किसी विनिश्चय या पारित आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे अधिकारी की कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में, स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के किसी आवेदन पर, स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए अभिलेख मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी। यदि, किसी मामले में, राज्य सरकार या रजिस्ट्रार को ऐसा प्रतीत हो कि इस प्रकार मंगाये गये किसी विनिश्चय, या आदेश या कार्यवाहियों को उपांतरित, बातिल या उल्टा जाना चाहिए तो राज्य सरकार या, यथास्थिति, रजिस्ट्रार प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह न्यायसंगत समझेः

परन्तु इस धारा के अधीन शक्तियों के प्रयोग के लिए रजिस्ट्रार या राज्य सरकार को प्रत्येक आवेदन ऐसी तारीख से नब्बे दिन के भीतर–भीतर किया जायेगा जिसको आवेदन से संबंधित कार्यवाहियों, विनिश्चय या आदेश से आवेदक को संसूचित किया गया थाः

[1]{परन्तु यह और कि रजिस्ट्रार या सरकार इस उप–धारा के अधीन की शक्तियों का प्रयोग ऐसे मामले में नहीं करेगा/करेगी जिसमें इस अधिनियम के अधीन, कोई अपील रजिस्ट्रार या, यथास्थिति, सरकार को होती है।}

स्पष्टीकरण :– इस उप–धारा के प्रयोजन के लिए धारा 4 की उप–धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए नियुक्त और रजिस्ट्रार की समस्त या किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रार का अधीनस्थ समझा जायेगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन सुनवाई के लंबित रहने के दौरान, राज्य सरकार या रजिस्ट्रार, न्याय के उद्देश्य की विफलता को रोकने के लिए ऐसे अंतर्वर्ती आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे।

अध्याय 15

अपराध और शास्तियां

108. 'सहकारी' शब्द के दुरूपयोग का प्रतिषेध. –

[1] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा प्रतिस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।

(1) सहकारी सोसाइटी से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसे किसी नाम या अभिनाम से, जिसका किसी भारतीय भाषा में 'सहकारी' या इसका कोई समानार्थक शब्द भाग हो, व्यापार या कारबार नहीं चलायेगा।

(2) उप–धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दोषसिद्धी पर ऐसे जुर्माने, जो पांच हजार रूपये तक हो सकेगा और अपराध चालू रहने की दशा में, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसको दोषसिद्धी के पश्चात् अपराध चालू रहता है, एक सौ रूपये के और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

109. अपराध और दण्ड –

(1) इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित अपरोध होंगे, यदि –

(क) कोई व्यक्ति धारा 38 की [1]{उप–धारा (3)} के उल्लंघन में किसी सम्पत्ति को अंतरित करता है; या

(ख) कोई सदस्य या उसका प्रत्याभूतिदाता या प्रतिभू या किसी मृत सदस्य का नामनिर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधि घोषणा में विनिर्दिष्ट किसी समपत्ति को धारा 39 के खण्ड (ग) के उल्लंघन में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अन्यसंक्रांत करता है; या

(ग) कोई नियोजक और प्रत्येक निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकार या ऐसे नियोजक की ओर से कार्य करने वाला एजेंट जो पर्याप्त कारण के बिना धारा 41 के अधीन [1]{कटौतियां करने और इस प्रकार काटी गयी रकम संदत्त करने} में असफल रहात है; या

(घ) सहकारी सोसाइटी की कोई समिति या उसका कोई अधिकारी या सदस्य धारा 49 द्वारा अपेक्षित रीति से ऐसी सोसाइटी की निधियां निहित करने मेंअसफल रहता है; या

(ङ) कोई व्यक्ति जो, किसी सृजनाधीन सहकारी सोसाइटी के लिए शेयर धन या कोई अन्य धन एकत्र करता है, उस धन को समुचित कालावधि के भीतर–भीतर, सरकारी बचत बैंक में या किसी ऐसे अन्य बैंक में या बैंकिंग का व्यवसाय करने वाले ऐसे किसी व्यक्ति के पास, जो रजिस्ट्रार इस

[1] 2013 का अधिनियम संख्यांक 17 द्वारा प्रतिस्थापित (24.04.2013 से प्रभावी)।

प्रयोजन हेतु अनुमोदित हो, या नियमों द्वारा अनुज्ञात किसी अन्य ढंग से, जमा नहीं कराता है; या

(च) कोई व्यक्ति, जो किसी सृजनाधीन सोसाइटी के लिए शेयर धन या कोई अन्य धन एकत्र करता है, इस प्रकार एकत्र निधि का, रजिस्ट्रीकृत होने वाली किसी सोसाइटी के नाम से कोई कारबार चलाने या व्यापार करने के लिए या अन्यथा उपयोग करता है; या

(छ) किसी सोसाइटी की समिति, या उसका कोई अधिकारी या सदस्य धारा 25 की उप–धारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है; या

(ज) किसी सहकारी सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति, जिसके कब्जे में कोई सूचना, पुस्तकें तथा अभिलेख हों या जिसके कब्जे में होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता हो या वह उन्हें कब्जे में रखने के लिए विधिक रूप से आबद्ध हो, सरकार या रजिस्ट्रार द्वारा धारा [1]{30, 31, 55, 60, 63 या 122–क के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत व्यक्ति को या धारा 54 के अधीन नियुक्त लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म को} ऐसी सूचना देने या पुस्तकें तथा अभिलेख प्रस्तुत करने या उसे सहायता देने में असफल रहता है; या

(झ) किसी सहकारी सोसाइटी का कोई अधिकारी ऐसी सोसाइटी की, जिसका वह अधिकारी है, पुस्तकें, अभिलेख, नकद, प्रतिभूति तथा अन्य सम्पत्तियां धारा 30 या 63 के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति को या उसके स्थान पर निर्वाचित या नियुक्त किसी अधिकारी को सौंपने में असफल रहता है; या

(ञ) किसी सहकारी सोसाइटी की समिति या उसका कोई अधिकारी या सदस्य रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त लिखित में उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अपेक्षित कार्य करने में या कोई सूचना देने में जानबूझकर उपेक्षा करता है या इन्कार करता है; या

---

[1] 2013 का अधिनियम संख्यांक 17 द्वारा प्रतिस्थापित (24.04.2013 से प्रभावी)।

(ट) किसी सहकारी सोसाइटी की कोई समिति या उसका कोई अधिकारी या सदस्य जानबूझकर मिथ्या विवरणी देता है या मिथ्या सूचना देता है या समुचित लेखे रखने में असफल रहात है; या

(ठ) किसी सहकारी सोसाइटी का कोई अधिकारी, सदस्य, एजेन्ट या सेवक धारा 54 की उप–धारा (2) की अपेक्षा का पालन करने में असफल रहता है; या

(ड) किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य धारा 60 के अधीन पारित विनिश्चय, अधिनिर्णय या आदेश का पालन करने में जानबूझकर असफल रहता है; या

(ढ़) किसी सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य ऐसी किसी संपत्ति का, जिस पर सोसाइटी का पूर्विक दावा है, कपटपूर्वक व्ययन करता है या कोई सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी या कोई व्यक्ति सोसाइटी को देय धन के संदाय से बचने के कपटपूर्ण आशय से अपनी सम्पत्ति का विक्रय, अंतरण, बंधक, दान द्वारा या अन्यथा व्ययन करता है; या

(ण) किसी सहकारी सोसाइटी का कोई अधिकारी अपने व्यक्तिगत उपयोग या फायदे के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसमें उसकी रूचि है, उपयोग या फायदे के लिए किसी अन्य व्यक्ति के नाम से उधार देने की जानबूझकर सिफारिश करता है या मंजूरी देता है; या

(त) किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य किन्हीं पुस्तकों, कागज–पत्रों या प्रतिभूतियों को नष्ट करता है, विकृत करता है, बिगाड़ता है या अन्यथा परिवर्तित करता है, मिथ्याकरण करता है या छिपाता है या उनके नाश, विकृति, परिवर्तन, मिथ्याकरण या छिपाये जाने में ससंर्गी बनता है या सोसाइटी के किसी रजिस्टर, लेखा पुस्तक या दस्तावेज में कोई मिथ्या या कपटपूर्ण प्रविष्टि करता है या किये जाने में ससंर्गी बनता है; या

(थ) किसी सहकारी सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य या कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है जिसे नियमों द्वारा अपराध घोषित किया गया हो; या

[1]{(द) कोई व्यक्ति जानबूझकर या किसी युक्तियुक्त कारण के बिना इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किये गये किसी समन, अध्यपेक्षा या विधिपूर्ण लिखित आदेश की अवज्ञा करता है; या}

---

[1] 2013 का अधिनियम संख्यांक 17 द्वारा प्रतिस्थापित (24.04.2013 से प्रभावी)।

[1]{(ध) कोई व्यक्ति, जो समिति के सदस्यों या इसके पदाधिकारियों के निर्वाचन के पहले, उसके दौरान या पश्चात् कोई भ्रष्ट आचरण अपनाता है।}

स्पष्टीकरण :– इस धारा के प्रयोजन के लिए, इस धारा में निर्दिष्ट अधिकारी या सदस्य के अन्तर्गत, भूतपूर्व अधिकारी या, यथास्थिति, भूतपूर्व सदस्य भी है।

(2) प्रत्येक सोसाइटी, किसी सोसाइटी का प्रत्येक अधिकारी या भूतपूर्व अधिकारी, सदस्य या भूतपूर्व सदस्य, कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जो उप–धारा (1) के अधीन कोई अपराध करता है, दोषसिद्धी पर, निम्न प्रकार से दण्डित किया जायेगा, –

(क) यदि वह उप–धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो [2]{पच्चीस हजार रूपये} तक का हो सकेगा या दोनों से;

(ख) यदि वह उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो [2]{पचास हजार रूपये} तक का हो सकेगा या दोनों से;

(ग) यदि वह उप–धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन अपराध हो तो ऐसे जुर्माने से, जो [2]{पच्चीस हजार रूपये} तक का हो सकेगा;

(घ) यदि वह उप–धारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन अपराध हो तो ऐसे जुर्माने से, जो [3]{दो हजार पांच सौ रूपये} तक का हो सकेगा;

(ङ) यदि वह उप–धारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन अपराध हो तो ऐसे जुर्माने से, जो [3]{दो हजार पांच सौ रूपये} तक का हो सकेगा;

(च) यदि वह उप–धारा (1) के खण्ड (च) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो [3]{दस हजार रूपये} तक का हो सकेगा या दोनों से;

(छ) यदि वह उप–धारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष

---

[1] 2013 का अधिनियम संख्यांक 17 द्वारा जोड़ा गया (24.04.2013 से प्रभावी)।

[2] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा प्रतिस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।

[3] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा प्रतिस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।

तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो [1]{दस हजार रूपये} तक का हो सकेगा;

(ज) यदि वह उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो [1]{पच्चीस हजार रूपये} तक का हो सकेगा;

(झ) यदि वह उप–धारा (1) के खण्ड (झ) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो [1]{पच्चीस हजार रूपये} तक का हो सकेगा;

(ञ) यदि वह उप–धारा (1) के खण्ड (ञ) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो [1]{दस हजार रूपये} तक का हो सकेगा;

(ट) यदि वह उप–धारा (1) के खण्ड (ट) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो [1]{दस हजार रूपये} तक का हो सकेगा;

(ठ) यदि वह उप–धारा (1) के खण्ड (ठ) के अधीन अपराध हो तो ऐसे जुर्माने से, जो [1]{पाँच हजार रूपये} तक का हो सकेगा;

(ड) यदि वह उप–धारा (1) के खण्ड (ड) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो [1]{पच्चीस हजार रूपये} तक का हो सकेगा या दोनों से;

(ढ़) यदि वह उप–धारा (1) के खण्ड (ढ़) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो [1]{पाँच हजार रूपये} तक का हो सकेगा या दोनों से;

---

[1] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा प्रतिस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।

(ण) यदि वह उप–धारा (1) के खण्ड (ण) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो [1]{पच्चीस हजार रूपये} तक का हो सकेगा या दोनों से;

(त) यदि वह उप–धारा (1) के खण्ड (त) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो [1]{दस हजार रूपये} तक का हो सकेगा या दोनों से;

(थ) यदि वह उप–धारा (1) के खण्ड (थ) के अधीन अपराध हो तो ऐसे जुर्माने से, जो [1]{दस हजार रूपये} तक का हो सकेगा;

[2]{(द) यदि वह उप–धारा (1) के खण्ड (द) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या ऐसे जुर्माने से, जो [1]{पच्चीस हजार रूपये} तक का हो सकेगा, या दोनों से;}

[3]{(ध) यदि वह उप–धारा (1) के खण्ड (ध) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो [1]{दस हजार रूपये} तक का हो सकेगा, या दोनों से।}

110. अपराधों का संज्ञान –

(1) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन के किसी भी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के लिए धारा 109 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन किये गये अपराध के लिए सिद्धदोष किसी व्यक्ति के संबंध में धारा 109 की उप–धारा (2) के अधीन यथा–उपबंधित जुर्माने का दण्डादेश उक्त संहिता की धारा 29 के अधीन उसकी शक्तियों के आधिक्य में पारित करना विधिपूर्ण होगा।

(3) धारा 109 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन किसी अपराध के मामले में सरकार की और इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य अपराध के मामले में रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान की पूर्व मंजूरी के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभियोजन प्रारंभ नहीं किया जायेगा। ऐसी मंजूरी सरकार के साधारण या

---

[1] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा प्रतिस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)।

[2] 2013 का अधिनियम संख्यांक 17 द्वारा प्रतिस्थापित (24.04.2013 से प्रभावी)।

[3] 2013 का अधिनियम संख्यांक 17 द्वारा जोड़ा गया (24.04.2013 से प्रभावी)।

विशेष आदेश से इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा या, यथास्थिति, रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान द्वारा संबंधित पक्ष की सुनवाई के पश्चात् के सिवाय नहीं दी जायेगी।

अध्याय 16

प्रकीर्ण

111. सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण –

(1) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपने अधिकारियों, कार्मिकों और सदस्यों के लिए संस्था की आधारभूत आवश्यकताओं से संबंधित सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था करे, और इस प्रयोजन के लिए वह अपने बजट में पर्याप्त व्यवस्था करेगी।

(2) रजिस्ट्रार, परिसंघीय निकायों, यदि कोई हों, तथा राजस्थान राज्य सहकारी संघ के साथ समन्वय करके, राज्य की विभिन्न सहकारी सोसाइटियों के लिए सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए कार्य योजना तैयार करेगा। रजिस्ट्रार, ऐसी योजना को राज्य के सहकारी संघ या ऐसी किसी शिक्षा और प्रशिक्षण संस्था के माध्यम से कार्यान्वित करेगा जिसके पास ऐसी योजना कार्यान्वित करने के लिए विशेषज्ञता/संसाधन हों।

112. सदस्यों का दिवाला –

दिवाले के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सदस्य द्वारा सोसाइटी को देय राशि का स्थान उसके विरूद्ध दिवाले की कार्यवाहियों में, पूर्विकता क्रम में, उसके द्वारा सरकार को संदेय रकम के पश्चात् होगा।

113. सदस्यों का पुस्तकें आदि देखने का अधिकार –

(1) सहकारी सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य, सोसाइटी के कार्यालय में, कार्य के लिए नियत समय में या सोसाइटी द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत किसी समय पर, इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों की प्रति, अंतिम लेखापरीक्षित वार्षिक तुलनपत्र, लाभ और हानि के लेखे, समिति के सदस्यों की सूची, सदस्यों के रजिस्टर, साधारण बैठकों के कार्यवृत्त, समिति की बैठकों के कार्यवृत्त और पुस्तकों और अभिलेखों के ऐसे भाग, जिनमें सोसाइटी के साथ उसके संव्यवहार अभिलिखित किये गये हों, का निःशुल्क निरीक्षण करने का हकदार होगा।

(2) सोसाइटी किसी सदस्य को उसका लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर और उसके लिए ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विहित की जाये, उप–धारा (1) में

उल्लिखित किसी दस्तावेज की प्रति, ऐसी फीस के संदाय की तारीख से सात दिवस के भीतर–भीतर देगी।

114. सहकारी सोसाइटी की पुस्तकों में की गयी प्रविष्टियों का प्रमाण –

(1) कोई सहकारी सोसाइटी उसके कारबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखे या अभिप्राप्त किये गये सोसाइटी के किसी भी दस्तावेज की या पुस्तकों में की किसी प्रविष्टि की प्रति दे सकेगी और ऐसी प्रति यदि ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, प्रमाणित हो तो किसी वाद या विधिक कार्यवाहियों में या किसी भी अन्य प्रयोजन में ऐसे दस्तावेज या प्रविष्टि के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और उसमें अभिलिखित विषयों, संव्यवहारों और लेखाओं के साक्ष्य के रूप में उसी रीति से और उसी सीमा तक ग्राह्य होगी, जिससे और जिस तक मूल दस्तावेज या प्रविष्टि स्वयं ग्राह्य है।

(2) सहकारी सोसाइटी के किसी अधिकारी को और ऐसे किसी अधिकारी को, जिसके कार्यालय में समापन के पश्चात् सहकारी सोसाइटी की पुस्तकें जमा की जाती हैं, किसी भी विधिक कार्यवाही में, जिसमें सोसाइटी या समापक पक्षकार नहीं है, सोसाइटी की कोई भी पुस्तकें या दस्तावेज, जिनकी अन्तर्वस्तु इस धारा के अधीन साबित की जा सकती है, प्रस्तुत करने या उनमें अभिलिखित विषयों, संव्यवहारों और लेखाओं को साबित करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए न्यायालय, अधिकरण या मध्यस्थ द्वारा विशेष कारण के आधार पर किये गये आदेश के सिवाय, बाध्य नहीं किया जायेगा।

115. सिविल न्यायालय की शक्तियां –

(1) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन कृत्यों का पालन करने में अधिकरण, रजिस्ट्रार, मध्यस्थ या किसी विवाद का विनिश्चय करने वाले किसी व्यक्ति को और किसी सहकारी सोसाइटी के समापक को, वाद का विचारण करते समय, निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् :–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और उसे पेश किये जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों द्वारा तथ्यों का सबूत देना; और

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

(2) किसी शपथ पत्र की दशा में अधिकरण द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी, रजिस्ट्रार, मध्यस्थ या किसी विवाद का विनिश्चय करने वाला कोई व्यक्ति या, यथास्थिति, समापक, अभिसाक्षी को शपथ दिला सकेगा।

(3) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा सशक्त किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा या उसकी कुर्की के बिना विक्रय द्वारा किसी रकम की वसूली के लिए इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय या ऐसी वसूली के लिए उसे किये गये किसी आवेदन पर कोई आदेश पारित करते समय या ऐसी वसूली की सहायतार्थ कोई कदम उठाते समय परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का केन्द्रीय अधिनियम 36) की प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद 136 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

116. रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों का लोक सेवक होना –

रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति, धारा 54 के अधीन किसी सोसाइटी क`लेखाओं की लेखा परीक्षा करने के लिए, या धारा 55 के अधीन कोई जांच करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति और धारा 30 के अधीन प्रशासक के रूप में या धारा 60 के अधीन मध्यस्थ के रूप में या धारा 63 के अधीन समापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

117. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन –

(1) इस अधिनियम में यथाउपबंधित के सिवाय किसी भी सिविल या राजस्व न्यायालय को निम्नलिखित के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं होगीः–

(क) किसी सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण या किसी उपविधि का संशोधन; और

(ख) किसी समिति को हटाना; और

(ग) किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन और विघटन से संबंधित या समापनाधीन किसी सोसाइटी के कारबार से संबंधित कोई भी मामला।

(2) इस अधिनियम में यथाउपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किये गये आदेश, विनिश्चय या अधिनिर्णय को किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार के किसी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

118. विधि व्यवसायी के लिए वर्जन –

तत्समय प्रवृत्त्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी विधि व्यवसायी इस अधिनियम के अधीन, अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या धारा 109 के अन्तर्गत किसी अपराध के अभियोजन के सिवाय किसी भी कार्यवाही में किसी भी पक्षकार की ओर से उपसंजात नहीं होगा।

119. अधिनियम के अधीन नोटिस की तामील –

इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये प्रत्येक नोटिस या किये गये प्रत्येक आदेश की किसी व्यक्ति पर तामील, ऐसे व्यक्ति के आवास या कारबार के अंतिम ज्ञात स्थान का उचित पता लिखकर नोटिस या आदेश से युक्त एक पत्र, डाक व्यय की पूर्व अदायगी करके, रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजकर, या उसके अंतिम ज्ञात पते वाले क्षेत्र में व्यापक परिचालन वाले हिन्दी समाचार पत्र में ऐसे नोटिस या आदेश केक प्रकाशन द्वारा की जा सकेगी और जब तक तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, ऐसी तामील, उस समय, जब ऐसा पत्र सामान्य अनुक्रम में परिदत्त हो जाता है या, यथास्थिति, समाचार पत्र में प्रकाशन की तारीख को, प्रभावी हुई समझी जायेगी।

120. सहकारी सोसाइटियों के कार्यों का कतिपय त्रुटियों के कारण अविधिमान्य नहीं होना –

किसी भी सहकारी सोसाइटी या किसी भी समिति का या किसी भी अधिकारी का कोई कार्य केवल सोसाइटी या समिति के गठन में या किसी अधिकारी की नियुक्ति या निर्वाचन में किसी त्रुटि या विलम्ब की विद्यमानता के कारण से या, इस आधार पर कि ऐसा अधिकारी उसकी नियुक्ति के लिए निरर्हित था, अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा।

121. संरक्षण –

इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या सद्भावपूर्वक की गयी तात्पर्यित किसी बात के संबंध में रजिस्ट्रार या उसके अधीनस्थ या उसके प्राधिकार से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अधिनियम या कोई विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

122. कतिपय अधिनियमों का लागू न होना –

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 1) के उपबंध सहकारी सोसाइटियों पर लागू नहीं होंगे।

(2) राजस्थान कृषि ऋणिता अवमुक्ति अधिनियम, 1957 में या राज्य के किसी भी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी तत्समान विधि में अंतर्विष्ट कोई बात सहकारी सोसाइटियों द्वारा इस अधिनियम के अधीन दिये गये उधारों पर लागू नहीं होगी।

[1]{**122–क. विवरणियों का फाइल किया जाना –**

प्रत्येक सोसाइटी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर–भीतर, रजिस्ट्रार को निम्नलिखित विवरणियां फाइल करेगी, अर्थात् :–

(क) अपने क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट;

(ख) अपने लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण;

(ग) अधिशेष के व्ययन के लिए योजना, जो सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित हो;

(घ) सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के संशोधनों, यदि कोई हों, की सूची;

(ङ) अपने साधारण निकाय की बैठक आयोजित करने की तारीख और निर्वाचनों का, जब नियत हों, संचालन करने के बारे में घोषणा; और

(च) ऐसी अन्य सूचना, जिसकी रजिस्ट्रार समय–समय पर अपेक्षा करे।}

123. नियम बनाने की शक्ति –

(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने हेतु सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए और सहकारी सोसाइटियों के किसी भी वर्ग के लिए, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, नियम बना सकेगीः

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी नियम, यदि राज्य सरकार का यह विचार हो कि उसे तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिए, पूर्व प्रकाशन के बिना भी बनाया जा सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(i) वह रीति जिससे किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जा सकेगा;

---

[1] 2013 का अधिनियम संख्यांक 17 द्वारा अन्तःस्थापित (24.04.2013 से प्रभावी)

(ii) सोसाइटियों के वर्ग, रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनार्थ न्यूनतम शेयर पँजी, वह मानदण्ड जिसके आधार पर कोई सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी;

(iii) आवेदक जिन्हें सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण नामंजूर करने वाला आदेश रजिस्ट्रार भेजा जा सकेगा;

(iv) सहकारी सोसाइटी के दायित्व के स्वरूप और सीमा में परिवर्तन के लिए प्रक्रिया और शर्तें;

(v) किसी सहकारी सोसाइटी की सदस्यता के संबंध में अर्हताएं और निरर्हताएं;

(vi) वह रीति जिससे किसी सहकारी सोसाइटीकी उपविधियों में किसी संशोधन के लिए या आस्तियों और दायित्वों के अन्तरण, उसके विभाजन और समामेलन के प्रस्ताव रजिस्ट्रार को अग्रेषित किये जायेंगे;

(vii) किसी सहकारी सोसाइटी की किसी बैठक के अध्यक्ष द्वारा द्वितीय या निर्णायक मत के लिए उपबंध;

(viii) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा किसी ऐसी अन्य सहकारी सोसाइटी की, जिसकी वह सदस्य है, बैठक में उसका प्रतिनिधित्व करने और उसकी ओर से मत देने के लिए अपने सदस्यों में से किसी एक की नियुक्ति;

(ix) सदस्यों का प्रत्याहरण, हटाया जाना या निष्कासन, उन्हें किये जाने वाले संदाय, भूतपूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों की संपदाओं के दायित्व;

[1]{(ix-क) सोसाइटी के किसी वर्ग के लिए सामान्य संवर्ग का, इसके लागूहोने और गवर्नेन्स के नियमों को सम्मिलित करते हुए बनाया जाना;}

(x) ऐसे व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करने की प्रक्रिया जिसे किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसका शेयर या हित अंतरित किया जा सकेगा या उसका मूल्य संदत्त किया जा सकेगा;

(xi) व्यक्तियों और स्थानीय प्राधिकारियों का वह वर्ग जिसे किसी सोसाइटी में नाममात्र के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा;

---

[1] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा अन्तःस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)

सोसाइटियों का वह वर्ग जिसमें किसी सदस्य के पति/पत्नी को किसी सहयुक्त सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा;

(xii) किसी हिन्दू संयुक्त कुटुम्ब के सदसयों और मृत सदस्यों के शेयर या हित विरासत में प्राप्त करने वाले अवयस्कों और विकृतचित्त व्यक्तियों को सम्मिलित करने के लिए प्रक्रिया और उनके अधिकारों और दायित्वों के लिए उपबंध;

(xiii) वह ढंग जिससे किसी मृत सदस्य के शेयर का मूल्य अभिनिश्चित किया जायेगा;

(xiv) उधार के लिए आवेदन करने वाले सदस्यों द्वारा किये जाने वाले संदाय और अनुपालित की जाने वाले शर्तें, वह कालावधि जिसके लिए उधार दिये जा सकेंगे और वह रकम जो किसी एक व्यष्टिक सदस्य को उधार दी जा सकेगी;

(xv) रजिस्ट्रार के कार्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण और उनकी प्रमाणित प्रतियां देने के लिए फीस का उद्ग्रहण;

(xvi) सदस्यों के रजिस्टर का, और जहां सदस्यों का दायित्व शेयरों द्वारा सीमित हो, वहां शेयरों के रजिस्टर और सदस्यों की सूची का पुष्टिकरण और अनुरक्षण;

(xvii) यह उपबंध करना कि किसी सोसाइटी की शेयर पँजी इस प्रकार उपलब्ध होगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि शेयरों का मूल्य बढ़े नहीं और आवश्यक पँजी सोसाइटी की अपेक्षा के अनुसार उपलब्ध रहे;

(xviii) वह रीति विनियमित करना जिससे किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग द्वारा शेयरों या डिबेंचरों के माध्यम से या अन्यथा निधियां जुटायी जा सकेंगी और इस प्रकार जुटायी गयी निधि की मात्रा;

(xix) किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग द्वारा, विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के पेटे या प्रतिभूति के बिना दिये जाने वाले उधारों की सीमाएं तथा उधार देने की प्रक्रिया;

(xx) उधार वापस लेने की रीति;

(xxi) किसी ऋणेत्तर सोसाइटी या ऋणेत्तर सोसाइटियों के किसी वर्ग द्वारा ऋण देने की सीमाएं;

(xxii) वह रीति जिससे किसी सोसाइटी के प्रतिनिधि साधारण निकाय का निर्वाचन किया जा सकेगा;

(xxiii) सहकारी सोसाइटी की साधारण बैठक की अध्यपेक्षा करना और वह समय जिसके भीतर ऐसी साधारण बैठक बुलायी जायेगी;

(xxiv) सदस्यों की साधारण बैठकें, ऐसी बैठकों की प्रक्रिया और ऐसी बैठकों द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली शक्तियां;

(xxv) सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा समिति के सदस्यों का निर्वाचन;

(xxvi) किसी समिति की सदस्यता के लिए अर्हताएं या निरर्हताएं;

(xxvii) वे शर्तें, जिनमें किसी सहकारी सोसाइटी के किसी सदस्य को मत देने के लिए निरर्हित किया जा सकेगा;

(xxviii) समिति के सदस्यों और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, निलम्बन, हटाया जाना, पदावधि और आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना तथा धारा 30 के अधीन प्रशासक की नियुक्ति और समिति की बैठक की प्रक्रिया तथा समिति, प्रशासक और अन्य अधिकारियों द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली शक्तियां और पालित किये जाने वाले कर्त्तव्य;

(xxix) वह रीति जिससे किसी सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन संचालित किया जायेगा;

(xxx) ऐसे मामलों में, जिनमें किसी सोसाइटी की या ऐसी सोसाइटी की, जिसके कार्यकलापों के परिसमापन का आदेश रजिस्ट्रार द्वारा या ऐसा करने के हकदार किसी व्यक्ति द्वारा दे दिया गया हो, पुस्तकों, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य सम्पत्तियों पर कब्जा करनेका प्रतिरोध किया जाता है या बाधा डाली जाती है तब, रजिस्ट्रार द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;

(xxxi) ऐसे मामलों में, जिनमें निधियों का दुर्विनियोग, न्यास भंग या कपट किया गया है या जिनमें यह संदेह या आशंका हो कि पुस्तकों, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य सम्पत्तियों में गड़बड़ी या नष्ट

किये जाने या हटाये जाने की संभावना है, धारा 54, 55 और 56 के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा सोसाइटी की पुस्तकों, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य सम्पत्तियों का कब्जा लेने में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;

(xxxii) सोसाइटी के प्रबंधक, सचिव, लेखाकार या किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की अर्हताएं तथा अनुशासन और नियंत्रण को सम्मिलित करते हुए उनकी सेवा की शर्तें;

(xxxiii) किसी सहकारी सोसाइटी के ऐसे अधिकारियों का प्रतिषेध जो सोसाइटी के साथ की संविदाओं में हितबद्ध हों;

(xxxiv) वे शर्तें जिन पर किसी सोसाइटी के पक्ष में किये गये किसी भार की तुष्टि की जायेगी और वह सीमा जिस तक और वह क्रम जिसमें भारग्रस्त सम्पत्ति उसकी तुष्टि के लिए उपयोग में ली जायेगी और धारा 39 के अधीन की जाने वाली घोषणा का प्ररूप;

(xxxv) धारा 39 के अधीन भार का युक्तियुक्त नोटिस;

(xxxvi) वह प्रक्रिया जिससे कोई सहकारी सोसाइटी अपने डूबत ऋणों की संगणना और उनका अपलेखन करेगी;

(xxxvii) वह प्ररूप जिसमें धारा 41 के अधीन कोई करार निष्पादित किया जा सकेगा;

(xxxviii) सहकारी सोसाइटियों में सरकार की प्रत्यक्ष तथा परोक्ष साझेदारी से संबंधित मामले;

(xxxix) वह दर, जिससे सहकारी सोसाइटियों द्वारा लाभांश का संदाय किया जा सकेगा;

(xl) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा किसी वर्ष के अपने शुद्ध लाभ में से आरक्षित निधियों को अन्तरित किये जाने हेतु कालावधि, जिसके भीतर–भीतर ऐसा अन्तरण किया जायेगा;

(xli) किसी सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण निधि का गठन और उस निधि में किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा अपने स्वयं के लाभों में से किया जाने वाला संदाय तथा उसके विनिधान का ढंग तथा उसकी प्रक्रिया;

(xlii) किसी सहकारी सोसाइटी की निधियों के विनिधान का ढंग;

(xliii) ऐसी भविष्य निधि का अनुरक्षण और प्रशासन जो किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा, उसके द्वारा नियोजित अधिकारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए स्थापित की जाये तथा ऐसी भविष्य निधि का प्रशासन;

(xliv) किसी सहकारी सोसाइटी की आरक्षित निधि के उद्देश्य और उसके विनिधान का ढंग;

(xlv) किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन पर उसकी आरक्षित निधि के व्ययन का ढंग;

(xlvi) वह सीमा और शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए कोई सहकारी सोसाइटी निक्षेप और उधार प्राप्त कर सकेगी;

(xlvii) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा गैर–सदस्यों के साथ संव्यवहार किये जाने पर निर्बंधन;

(xlviii) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा उसके शेयरों के विरूद्ध उधार मंजूर किये जाने पर निर्बंधन;

(xlix) निक्षेप स्वीकार करने वाली तथा नकद ऋण देने वाली सहकारी सोसाइटियों द्वारा संधारित किये जाने वाले तरल संसाधनों का स्वरूप और स्तरमान;

(l) सहकारी सोसाइटियों से लेखा परीक्षा फीस का उद्ग्रहण;

(li) लेखा परीक्षा किये जाने की प्रक्रिया, वे मामले जिन पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, वह प्ररूप जिसमें लेखा विवरण उसकी लेखा परीक्षा के लिए तैयार किया जायेगा, वे सीमाएं जिनके भीतर–भीतर लेखा परीक्षक किसी सोसाइटी के धन संबंधी संव्यवहारों की परीक्षा कर सकेगा, लेखा परीक्षा–ज्ञापन तथा रिपोर्ट का प्ररूप;

(lii) धारा 54 के अधीन लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया;

(liii) धारा 55 के अधीन जांच करने के लिए प्रक्रिया और सिद्धांत;

(liv) जांच और निरीक्षण के व्यय के प्रभाजन तथा धारा 57 के अधीन अपचारी संप्रवर्तकों के विरूद्ध नुकसानी के निर्धारण के लिए तथा व्यय और नुकसानी की वसूली के लिए प्रक्रिया;

(lv) रजिस्ट्रार, मध्यस्थ या विवादों का विनिश्चय करने वाले अन्य व्यक्ति के समक्ष कार्यवाहियों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;

(lvi) वह प्ररूप जिसमें कोई विवाद रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट किया जायेगा;

(lvii) आदेशिकाओं का जारी और तामील किया जाना और उनकी तामील साबित किये जाने का ढंग;

(lviii) अधिनिर्णयों के निष्पादन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(lix) वे शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए किसी सहकारी सोसाइटी को आस्तियां किसी समापक में निहित होंगी और किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;

(lx) वे मामले जिनमें धारा 63 के अधीन नियुक्त किसी समापक के आदेश से अपील हो सकेगी;

(lxi) वह समय जिसके भीतर–भीतर, और वह रीति जिससे भूमि विकास बैंक धारा 78 के अधीन के फायदे लेने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को बंधक की लिखत की प्रति भेज सकेगा;

(lxii) किसी सहकारी सोसाइटी को देय या संदेय रकमों की वसूली के लिए प्रक्रिया;

(lxiii) वह रीति जिससे रजिस्ट्रार या कलक्टर धारा 88 की उप–धारा (1) के अधीन किये गये किसी आवेदन पर कार्रवाई कर सकेगा;

(lxiv) निर्णय के पूर्व कुर्की करने का ढंग;

(lxv) ऐसे दावों और आक्षेपों का अन्वेषण जो रजिस्ट्रार द्वारा की गयी कुर्की के विरूद्ध किये जायें;

(lxvi) धारा 101 के अधीन कुर्क की गयी सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;

(lxvii) किसी भूमि विकास बैंक को बंधकित सम्पत्ति के करस्थम् और विक्रय की प्रक्रिया;

(lxviii) ऐसी किसी सोसाइटी द्वारा, जिस पर अध्याय 12 लागू होता है, जारी किये गये डिबेंचरों के जारी किये जाने, मोचन, पुनः जारी किये जाने, अंतरण, प्रतिस्थापन या संपरिवर्तन की प्रक्रिया और शर्तें;

(lxix) ऐसी किसी सोसाइटी द्वारा, जिस पर अध्याय 12 लागू होता है, जारी किये गये डिबेंचरों की प्रत्याभूति के लिए मूलधन की अधिकतम रकम, ब्याज की दर और अन्य शर्तें;

(lxx) धारा 89 के अधीन विक्रय की क्रियान्विति के लिए किसी अधिकारी की अर्हताएं और नियुक्ति का ढंग और वे शक्तियां और कृत्य जिनका ऐसा अधिकारी प्रयोग कर सकेगा;

(lxxi) धारा 89 के अधीन बंधकित सम्पत्ति या विक्रय के आगमों तथा आय के लिये प्रापक की नियुक्ति, वे शर्तें जिनके अधीन वह नियुक्त किया जा सकेगा या हटाया जा सकेगा, वे शक्तियां जिनका वह प्रयोग कर सकेगा और वे कृत्य जिन्हें वह कर सकेगा और प्रबंध पर होने वाला व्यय तथा पारिश्रमिक जो वह प्राप्त कर सकेगा;

(lxxii) वह प्रक्रिया जिसकेअनुसार किसी भूमि विकास बैंक द्वारा बंधककर्त्ता के विरूद्ध धारा 89 के अधीन कार्रवाई की जा सकेगी;

(lxxiii) अध्याय 12 के अधीन स्थावर सम्पत्ति के विक्रय के मामले में –

(क) विक्रय की उद्घोषणा तथा संचालन की प्रक्रिया और वे शर्तें जिनमें विक्रय के किसी प्रयत्न का परित्याग किया जा सकेगा;

(ख) विक्रय या प्रयतित विक्रय के आनुषंगिक व्ययों की संगणना का ढंग;

(ग) निक्षेप की प्राप्ति और विक्रय के आगमों के व्ययन की प्रक्रिया;

(घ) पुनः विक्रय के लिए प्रक्रिया जब किसी प्रयतित विक्रय का परित्याग कर दिया जाता है या क्रयधन विहित समय के भीतर–भीतर जमा नहीं कराया जाता है और ऐसे क्रेता के विरूद्ध उद्ग्रहणीय शास्ति जो क्रयधन जमा कराने में विफल रहता है;

(ङ) किसी भूमि विकास बैंक द्वारा धारा 91 के अधीन धन के व्ययन का प्रकार तथा ढंग;

(च) धारा 92 के अधीन किसी विक्रय प्रमाण–पत्र का प्ररूप;

(छ) क्रय की गई सम्पत्ति को धारा 92 के अधीन न्यायालय द्वारा क्रेता को परिदत्त किये जाने की प्रक्रिया;

(ज) धारा 97 में निर्दिष्ट नोटिस का प्ररूप; और

(झ) ऐसे नोटिस की तामील के लिए संदेय फीस और ऐसे नोटिस के तामील कराये जाने की रीति;

(lxxiv) ऐसा समय जिसके भीतर–भीतर और ऐसी प्रक्रिया, जिसके अनुसार अध्याय 12 के अधीन स्थावर सम्पत्ति, के विक्रय में किसी भूमि विकास बैंक द्वारा खरीदी गयी सम्पत्ति का बैंक द्वारा व्ययन किया जायेगा;

(lxxv) प्रत्याभूति निधियों का गठन, अनुरक्षण और उपयोग, ऐसी दर जिस पर राज्य भूमि विकास बैंक और भूमि विकास बैंक प्रत्याभूति निधि में अभिदाय करेंगे;

(lxxvi) वह रीति, जिससे धारा 103 के अधीन किसी सोसाइटी को अन्तरित किये जाने के लिए आदिष्ट सम्पत्ति या उसका कोई भाग किसी सोसाइटी को अन्तरित किया जायेगा;

(lxxvii) अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें और चयन की प्रक्रिया;

(lxxviii) अपीलें प्रस्तुत करने तथा उन्हें निपटाने हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;

(lxxix) इस अधिनियम या नियमों के अधीन संसूचित या प्रकाशित किये जाने के लिए अपेक्षित किसी आदेश, विनिश्चय या अधिनिर्णय को संसूचित या प्रकाशित करने का ढंग;

(lxxx) किन्हीं भी नियमों के उल्लंघन संबंधी अपराध;

(lxxxi) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा रखी जाने वाली लेखा पुस्तकें और रजिस्टर तथा लेखे तथा पुस्तकें अभिलिखित किये जाने का निर्देश देने की रजिस्ट्रार की शक्ति;

(lxxxii) किसी सहकारी सोसाइटी की पुस्तकों में की गयी प्रविष्टियों के और उसके द्वारा उसके कारबार के अनुक्रम में रखे जाने वाले दस्तावेजों की प्रतियों के प्रमाणीकरण की रीति;

(lxxxiii) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण तथा विवरणियां;

(lxxxiv) विधि व्यवसायी के रूप में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों पर निर्बंधन;

(lxxxv) दस्तावेजों का निरीक्षण और उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां मंजूर किये जाने के लिए किसी सहकारी सोसाइटी को संदेय फीस;

(lxxxvi) रजिस्ट्रार हटायी गयी किसी समिति के स्थान पर नियुक्त किसी प्रशासक को संदेय पारिश्रमिक;

(lxxxvii) वे विषय जिनका विहित किया जाना इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से अपेक्षित या अनुज्ञात है या जिनके लिए नियम बनाये जा सकेंगे।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् इसके अधीन बनाये गये समस्त नियम और विनियम उनके बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन की ऐसी कुल कालावधि के लिए रखे जायेंगे जो एक सत्र या दो या अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, और यदि ऐसे सत्र जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या यथापूर्वोक्त उत्तरोत्तर सत्रों की समाप्ति के पूर्व, सदन नियमों या, यथास्थिति, विनियमों में कोई भी उपान्तरण करने पर सहमत हो जाता है, यह वह संकल्प करता है कि कोई नियम या, यथास्थिति, विनियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो ऐसे नियम या, यथास्थिति विनियम तत्पश्चात् ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या बातिलकरण इन नियमों या, यथास्थिति, विनियमों के अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

124. राज्य के बाहर सोसाइटियों की शाखाएं आदि –

(1) रजिस्ट्रार की पूर्वानुमति से ही कोई सोसाइटी, राजस्थान राज्य के बाहर अपनी कोई शाखा या अपने कारबार का कोई स्थान स्थापित कर सकेगी अथवा किसी अन्य राज्य में किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी राजसीान राज्य में अपनी कोई शाखा या कारबार का कोई स्थान स्थापित कर सकेगी।

स्पष्टीकरण :– इस धारा के प्रयोजनार्थ "रजिस्ट्रार" के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी नहीं आयेंगे, जिन्हें इस अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।

(2) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, जो किसी भी अन्य राज्य में किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और पूर्ववर्ती उप–धारा के अधीन जिसे राजस्थान में कोई शाखा या कारबार का स्थान स्थापित करनेकी अनुमति दी गयी है या जिसकी कोई शाखा या कारबार का स्थान इस अधिनियम के प्रारंभ के समय राजस्थान में है, ऐसी शाखा या कारबार का स्थान स्थापित करने से या, यथास्थिति, इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन मास

के भीतर–भीतर, रजिस्ट्रार को उपविधियों और संशोधनों की प्रमाणित प्रति, और यदि वे अंग्रेजी भाषा में नहीं है तो अंग्रेजी या हिन्दी में उनका प्रमाणित अनुवाद प्रस्तुत करेगी और रजिस्ट्रार को ऐसी विवरणियां और सूचनाओं के अतिरिक्त जो उस राज्य के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जायें, जिसमें ऐसी सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत है, ऐसी विवरणियां और सूचनाएं रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसी ही सोसाइटियों द्वारा प्रस्तुत की जाती है।

125. [1]कतिपय संकल्पों को विखंडित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति. –

यदि, रजिस्ट्रार की राय में, किसी सहकारी सोसाइटी या उसकी समिति की बैठक में पारित कोई संकल्प सोसाइटी के उद्देश्यों के विरूद्ध है या उस सोसाइटी या उसके अधिकांश सदस्यों के हितों के प्रतिकूल है या इस अधिनियम, नियमों के या सोसाइटी की उपविधियों के उपबंधों के विरूद्ध है या अन्यथा सोसाइटी की शक्तियों के आधिक्य में है तो, रजिस्ट्रार, सोसाइटी को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात्, संकल्प को विखंडित कर सकेगा।

126. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति. –

(1) यदि इस अधिनियम के या किसी विद्यमान विधि के उपबंधों को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो तो सरकार, जैसा अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, आदेश द्वारा, कोई भी ऐसी बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होः

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन आदेश द्वारा दिये गये उपबंधों का प्रभाव इस प्रकार होगा मानो वे इस अधिनियम में अधिनियमित किये गये हों और ऐसा कोई भी आदेश किसी भी ऐसी भूतलक्षी तारीख से किया जा सकेगा, जो इस अधिनियम का प्रारम्भ होने की तारीख से पहले की न होः

परन्तु किसी व्यक्ति को किसी अधिसूचना के ऐसे भाग के कारण, जिसे भूतलक्षी प्रभाव दिया गया हो, अधिसूचना के जारी होने की तारीख के पूर्व के किसी अपराध का दोष नहीं समझा जायेगा।

127. निरसन और व्यावृत्तियां –

---

[1] 2016 का अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा प्रतिस्थापित (04.04.2016 से प्रभावी)

(1) राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1965 (1965 का अधिनियम सं. 13) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन निरसन का प्रभाव इस प्रकार निरसित अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन पर नहीं पड़ेगा और निरसित अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन की गयी कोई बात या कोई कार्रवाई या की गयी समझी गयी बात या कार्रवाई (जिसमें की गयी कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन, फाइल किया गया आवेदन या अन्य दस्तावेज, दिया गया कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र, निष्पादित करार, जारी की गयी अधिसूचना, आदेश, निदेश या नोटिस, बनाये गये और रजिस्ट्रीकृत विनियम, प्ररूप या उपविधि, बनाया गया समझा गया नियम या किसी रजिस्ट्रार, मण्यस्थ, समापक या अन्य अधिकारी, प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष संस्थित कार्यवाही सम्मिलित है) जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, इस अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन की गयी समझाी जायेगी और तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक इस अधिनियम के अधीन की गयी किसी कार्यवाही द्वारा अतिष्ठित न कर दी जाये।

(3) तद्नुसार, निरसित अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझाी गयी समस्त सोसाइटियां, जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम का प्रारंभ होने के समय प्रवृत्त है, ऐसा प्रारंभ होने पर इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की हुई समझाी जायेगी, और ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी रजिस्ट्रार, मध्यस्थ, समापक या अन्य अधिकारी, प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष निरसित अधिनियम के उपबंधों के अधीन लंबित समस्त कार्यवाहियां, जहां आवश्यक हो, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार, मध्यस्थ, समापक या अन्य तत्समान अधिकारी, प्राधिकारी या व्यक्ति को, और यदि ऐसा कोई अधिकारी, प्राधिकारी या व्यक्ति विद्यमान न हो या यदि तत्समान अधिकारी, प्राधिकारी या व्यक्ति के संबंध में कोई संदेह हो तो, ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या व्यक्ति को, जिसे राज्य सरकार पदाभिहित करे, अन्तरित हो जायेंगी तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार खलू रखी जायेंगी और निपटायी जायेगी।

(4) निरसित अधिनियम के या उसके किन्हीं उपबंधों के या तद्धीन किन्हीं कृत्यों से न्यस्त किसी अधिकारी, प्राधिकारी या व्यक्ति के प्रति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी लिखत दस्तावेज में, कोई निर्देश, जहां आवश्यक हो, इस अधिनियम के या इसके सुसंगत उपबंधों के या इस अधिनियम के अधीन कार्य कर रहे तत्समान अधिकारी, प्राधिकारी या व्यक्ति के प्रति निर्देश समझा जायेगा, और तत्समान अधिकारी, प्राधिकारी या,

यथास्थिति, व्यक्ति के कृत्य वे होंगे जो निरसित अधिनियम के अधीन या लिखतों या दस्तावेजों के अधीन हैं और वह उनका क्रियान्वयन करेगा।

अनुसूची – क

(धारा 5 देखिए)

सहकारिता के सिद्धांत

सहकारिता के सिद्धांत ऐसे मार्गदर्शक हैं, जिनके द्वारा सहकारी संस्थाएं अपने मूल्यों को व्यवहार में लाती हैं।

प्रथम सिद्धांत : स्वैच्छिक और खुली सदस्यता

सहकारी संस्थाएं ऐसे स्वैच्छिक संगठन हैं जो इनकी सेवाओं का उपयोग करने में समर्थ और सदस्यता के उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने के इच्छुक सभी व्यक्तियों के लिए लैंगिक, सामाजिक, जातीय, राजनैतिक या धार्मिक भेदभाव के बिना खुले हैं।

द्वितीय सिद्धांत : सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण

सहकारी संस्थाएं अपने ऐसे सदस्यों के द्वारा नियंत्रित लोकतांत्रिक संगठन हैं जो उनकी नीतियां बनाने और विनिश्चय करने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करने वाले पुरूष और महिलाएं सदस्यों के प्रति जबावदेह होते हैं। प्राथमिक सहकारी संस्थाओं में सदस्यों को समान मत (एक सदस्य, एक मत) देने के अधिकार प्राप्त होते हैं और अन्य स्तर पर भी सहकारी संस्थाएं लोकतांत्रिक रीति से संगठित की जाती हैं।

तृतीय सिद्धांत : सदस्यों की आर्थिक सहभागिता

सदस्य, अपनी सहकारी संस्था की पूँजी में अभिदाय करते हैं, और उस पर लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रण करते हैं। उस पूँजी का न्यूनतम भाग प्रायः सहकारी संस्थाओं की सामान्य सम्पत्ति है। सदस्य, सदस्यता की शर्त के रूप में अभिदत्त पूँजी पर प्रायः सीमित प्रकार, यदि कोई हो, प्राप्त करते हैं। सदस्य, निम्नलिखित किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए अधिशेष आवंटित करते हैं :–

अपनी सहकारी संस्था का यथासंभव ऐसी आरक्षिती स्थापित करके जिसका कम से कम एक भाग अविभाज्य होगा, विकास करना, सदस्यों को सहकारी संस्था के साथ उनके

संव्यवहारों के अनुपात में फायदा पहुंचाना, और सदस्यों द्वारा अनुमोदित अन्य क्रियाकलापों का समर्थन करना।

चतुर्थ सिद्धांत : स्वायत्तता और स्वतंत्रता

सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित स्वायत्त, स्वसाहाय्य संगठन है। यदि वे सरकारों सहित अन्य संगठनों के साथ करार करती हैं या, बाह्य स्त्रोतों से पूँजी जुटाती हैं तो वे ऐसा उन निबंधनों पर करती हैं जो उनके सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक नियंत्रण को सुनिश्चित करे और उनकी सहकारी स्वायत्तता को बनाये रखे।

पंचम सिद्धांत : शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना

सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रबंधकों और कर्मचारियों को शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराती हैं जिससे वे अपनी सहकारी संस्थाओं के विकास के लिए प्रभावी रूप से सहयोग कर सकें। वे, सहकारिता के स्वरूप और फायदों के बारे में जनसाधारण, विशेष रूप से युवाओं और मतनायकों को सूचित करती हैं।

षष्ठम् सिद्धांत : सहकारी संस्थाओं के मध्य सहकारिता

सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से अपने समुदायों के पोषणीय विकास के लिए कार्य करती हैं।

अनुसूची – ख

(धारा 8 देखिए)

उपविधियों की विषयवस्तु

(1) किसी सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में निम्नलिखित विषयों का उपबंध किया जायेगा, अर्थात् :–

(क) सोसाइटी का नाम और पता;

(ख) उसका कार्यक्षेत्र;

(ग) सोसाइटी के उद्देश्य;

(घ) वह रीति जिससे निधियां जुटायी जा सकेंगी और अधिकतम शेयर पँजी जो कोई एकल सदस्य धारण कर सकेगा;

[1]{(घक) सोसाइटी की सेवाओं के न्यूनतम आवश्यक उपयोग के बारे में या सोसाइटी की बैठकों में न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति के बारे में या सोसाइटी के साथ अन्य संव्यवहारों के बारे में मानक, जो सदस्य द्वारा पूर्ण किये जायेंगे};

(ङ) सदस्यों के दायित्व का प्रकार और सीमा;

(च) वह सीमा जिस तक सोसाइटी निधियां उधार ले सकेंगी और ऐसी निधियों पर संदेय ब्याज की दरें;

(छ) सदस्यों से संगृहीत की जाने वाली प्रवेश और अन्य फीसें;

(ज) वे प्रयोजन जिनके लिए उसकी निधियों का उपयोजन किया जा सकेगा;

(झ) सदस्यों के सम्मिलित किये जाने के निबंधन, अर्हताएं और शर्तें और उनके अधिकार और दायित्व;

(ञ) ऋण सोसाइटियों की दशा में, –

(i) किसी सदस्य को अनुज्ञेय अधिकतम उधार;

(ii) सदस्यों को दिये गये उधारों के ब्याज की अधिकतम दरें;

(iii) वे शर्तें जिन पर सदस्यों को उधार मंजूर किया जा सकेगा;

(iv) उधारों और अग्रिमों के प्रतिसंदाय के लिए समय बढ़ाने की मंजूरी के लिए प्रक्रिया;

(v) किसी शोध्य राशि के संदाय में व्यतिवम के परिणाम; और

(vi) वे परिस्थितियां जिनके अधीन उधार वापस लिया जा सकेगा।

(ट) ऋणेत्तर सोसाइटियों की दशा में, कारबार, क्रय, विक्रय, स्टॉक मिलान करने का ढंग और अन्य सहबद्ध मामले;

(ठ) बैठकें करने और नोटिस जारी करने का ढंग;

(ड) समिति की निर्वाचन द्वारा या अन्यथा नियुक्ति और समिति को हटाने का ढंग तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति और उनको हटाये जाने का ढंग, समिति और ऐसे अधिकारियों के कर्त्तव्य और शक्तियां तथा उनकी अवधि;

(ढ) शुद्ध लाभों का व्ययन;

---

[1] 2013 का अधिनियम संख्यांक 17 द्वारा अन्तःस्थापित (24.04.2013 से प्रभावी)

(ण) रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणों को तैयार करना और प्रस्तुत करना तथा उनका प्रकाशन;

(त) ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के मामले में, जो सम्बद्ध कृषि सहकारी ऋण सोसाइटियों के कार्य को सुकर बनाती है और जिसने सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त की है, "कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि" का गठन;

(थ) निधियों का गठन और अनुरक्षण;

(द) नाम मात्र के और सहयुक्त सदस्यों को सम्मिलित करते हुए सदस्यों के विशेषाधिकार, अधिकार, कर्त्तव्य और दायित्व;

(ध) उपविधियों को बनाने, परिवर्तित करने और निराकृत करने की रीति;

(न) अध्यक्ष की शक्तियां, कर्त्तव्य और कृत्य तथा बहुमत का समर्थन खो देने पर उसका हटाया जाना;

(प) वार्षिक और विशेष साधारण बैठकें बुलाने, नोटिस जारी करने का ढंग तथा उनमें किया जाने वाला कारबार;

(फ) अन्य सोसाइटी को प्रतिनिधि भेजने;

(ब) अपने कारबार के प्रबंध से आनुषंगिक कोई अन्य मामले।

(2) कोई सोसाइटी निम्नलिखित विषयों के लिए उपविधियां बना सकेगी, अर्थात् :–

(क) सोसाइटी के वेतन पाने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों की भर्ती का ढंग, सेवा की शर्तें और उनके वेतनमानों और भत्तों को नियत, पुनरीक्षित या विनियमित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और उनके विरूद्ध अनुशासनिक मामलों के निपटारे में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;

(ख) वे परिस्थितियां जिनके अधीन सदस्यता से प्रत्याहरण अनुज्ञात किया जा सकेगा;

(ग) सदस्यों के प्रत्याहरण, अपात्रता और मृत्यु की दशा में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;

(घ) वे शर्तें, यदि कोई हों, जिनके अधीन किसी सदस्य के शेयर या हित का अन्तरण अनुज्ञात किया जा सकेगा;

(ङ) ऐसे सदस्यों द्वारा, जिनसे धन शोध्य है, किये गये संदायों के विनियोजन का ढंग;

(च) सोसाइटी की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और वाद औरी अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित करने और प्रतिवाद करने के लिए अधिकारी या अधिकारियों की शक्तियां।